श्रम संगम

वर्ष: 9, अंक: 1

जनवरी–जून 2023

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

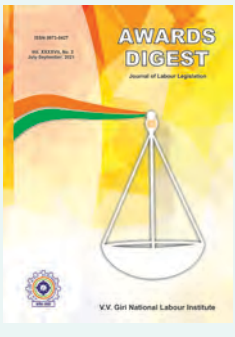

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश

श्रम संगम

वर्ष: 9, अंक: 1, जनवरी-जून 2023

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	ii
❍	कुमाऊं हिमालय के गांवों में पुरुष–चयनात्मक प्रवासन और महिलाओं के बीच निर्णय लेने की शक्ति – डॉ. मनोज जाटव	1
❍	विकसित राष्ट्र के मार्ग पर भारत – राजेश कुमार कर्ण	4
❍	प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी: पंजाब केसरी लाला लाजपत राय – बीरेन्द्र सिंह रावत	13
❍	भावनाओं की भाषा है हिंदी (कविता) – सुधा वोहरा	16
❍	माता–पिता (कविता) – लमजिंगरेन्बा क्षेत्रिमयूम	16
❍	हमारा राष्ट्रीय चिन्ह: अशोक स्तंभ – गीता अरोड़ा	17
❍	अभिलाषा (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	19
❍	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका' विषय पर कार्यशाला का आयोजन	20
❍	हिंदी का वैश्वीकरण – डॉ. अश्विनी कुमार दुबे	21
❍	आजादी के 77 साल बेमिसाल – राजेश कुमार कर्ण	24
❍	प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी: कस्तूरबा गाँधी – सुधा वोहरा	29
❍	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन	30
❍	मानव हस्तक्षेप का पर्यावरण पर प्रभाव – मंजु सिंह	31
❍	ध्वस्त होता सामाजिक ताना–बाना – बीरेन्द्र सिंह रावत	34
❍	विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियाँ – राजेश कुमार कर्ण	37
❍	अपनी–अपनी बीमारी (कहानी) – हरिशंकर परसाई	41
❍	राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान	42

मुख्य संरक्षक
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी–97, शकरपुर
दिल्ली–110092

महानिदेशक की कलम से...

हमारा देश विविध भाषाओं, बोलियों एवं संस्कृतियों का देश है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही देश के सभी भाषा–भाषियों के मध्य भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम हिंदी रही है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है और इसमें उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। हिंदी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है और इसे लिखने के लिए सदियों से एक ऐसी अक्षरात्मक प्रणाली विकसित हो गई है जिसे भाषा वैज्ञानिक विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। हिंदी भाषा की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। राजभाषा का मुख्य कार्य सरकार तथा जनता के मध्य संवाद की स्थिति को बनाए रखना है ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ–साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को आसानी से सुलभ हो सके तथा देश की उन्नति में जन–जन की भागीदारी हो सके।

हिंदी एक सशक्त एवं समृद्ध भाषा होने के साथ–साथ भारतीय संस्कृति की संवाहक भी है। स्वतंत्रता के बाद से ही संघ सरकार का यह प्रयास रहा है कि सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु ऐसे प्रभावकारी कदम उठाए जाएं जो प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा सद्भावना पर आधारित हों। भारत सरकार के इस मंतव्य को पूरा करने में राजभाषा पत्रिकाओं का योगदान सराहनीय रहा है। पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाने में सहायता तो मिलती ही है, साथ ही हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं। इसी उद्देश्य से संस्थान द्वारा वर्ष 2015 से अपनी छमाही राजभाषा गृह पत्रिका 'श्रम संगम' का प्रकाशन नियमित तौर पर किया जा रहा है।

संस्थान की राजभाषा पत्रिका *Je lxe^ पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

¼Mk- vjfon½

कुमाऊं हिमालय के गांवों में पुरूष–चयनात्मक प्रवासन और महिलाओं के बीच निर्णय लेने की शक्ति

मनोज जाटव*

प्रसंग

सामान्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं कठोर और नीरस कार्यों में संलग्न रहती हैं, यह रोजगार के उद्देश्य से होने वाले पुरुष–चयनात्मक बाह्य–प्रवासन के परिणामस्वरूप अधिक दृश्यमान हो गया है। परिणामस्वरूप, इससे महिलाओं के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। चयनात्मक प्रवासन की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से बदला है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं की सामाजिक स्थिति, कठिन परिश्रम, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मविश्वास में बदलाव पर पड़ा है। हालाँकि, महिलाओं को हस्तांतरित निर्णय लेने की गुणवत्ता सवालों के घेरे में रही है। प्रवासी परिवारों में पीछे छूट गई महिलाओं को जिम्मेदारियों का हस्तांतरण घरेलू और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में अस्पष्ट बना हुआ है।

सामान्य तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक आर्थिक और गैर–आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और घरेलू एवं बाजार–आधारित उत्पादन–संबंधी गतिविधियों में निर्णय लेने के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में महिलाओं की स्थिति काफी कम बनी हुई है। यह 2019 में समय उपयोग पर आधिकारिक सर्वेक्षण (तालिका–1) में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। समग्र रूप से उत्तराखंड में महिलाओं ने उन गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम समय बिताया जो रोजगार अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा, समाजीकरण, सामुदायिक भागीदारी, स्व–रखरखाव आदि से संबंधित हैं, यह उनकी ग्रामीण समाज में प्रणालीगत और संरचनात्मक उपेक्षा की ओर इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप उनकी घर और समुदाय दोनों में सौदा–शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। घर–आधारित एसएनए, देखभाल जैसे विस्तारित–एसएनए एवं अन्य अवैतनिक घरेलू सेवाओं में उनकी अधिक भागीदारी भी उस संरचनात्मक जाल का संकेत है जिसने उनके समग्र विकास में बाधा के रूप में योगदान किया है। ग्रामीण परिवारों के पुरुष सदस्यों के बाह्य प्रवास ने महिलाओं पर ऐसी गतिविधियों का अतिरिक्त बोझ डालकर स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में लिंग अनुपात में असंतुलन (पुरुष चयनात्मक बाह्य–प्रावसन को मापने के लिए एक परोक्षी संकेतक) अभी भी जारी है (तालिका 1)।

जैसा कि कई अध्ययनों में बताया गया है, यदि किसी घर से प्रवासी व्यक्ति पुरुष है, तो यह पीछे छूट गए परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं पर अतिरिक्त कार्य और जिम्मेदारियाँ डालता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए चयनात्मक प्रवासन में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं का कार्य–बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रवासी परिवारों में कृषि फार्मों और अन्य घरेलू कार्यों के प्रबधन में महिलाओं की भूमिका को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएं ज्यादातर घरेलू कामकाज के साथ–साथ कृषि आधारित गतिविधियों में भी लगी रहती हैं। पुरुषों का चयनात्मक प्रवासन 'कृषि के स्त्रैणीकरण' अथवा कृषि के 'रेंगते स्त्रैणीकरण' को उत्प्रेरित करता है। अधिकांश ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए कुछ कार्य वर्जित हैं, विशेष रूप से भूमि की जुताई लेकिन, सामान्य तौर पर कृषि श्रम का स्त्रैणीकरण हुआ है, जबकि पुरुषों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः गैर–कृषि कार्यों को अपनाया है।

बड़े शहरों (जैसे दिल्ली और मुंबई) में जीवन का आकर्षण, एक सफल करियर का सपना और शहरी जीवन की आकांक्षा कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने पुरुषों, विशेषकर कम उम्र के लोगों के पलायन को प्रेरित किया है। एक बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया, मोबाइल फोन की भूमिका और शहरों में पहले से ही पलायन का अनुभव कर चुके रिश्तेदारों और दोस्तों से प्राप्त जानकारी उत्तराखंड के गाँवों में एक श्रृंखलाबद्ध–पलायन का महत्वपूर्ण कारक बनी है। इसके विपरीत, महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहें, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल–कार्य और छूटे हुए आर्थिक एवं घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लें। परिणामस्वरूप, उनका कार्य और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बाहर से पलायन करने वाले पुरुषों का दृढ़ विश्वास है कि शहरों में नौकरी के अवसर उन्हें परिवार के बचे हुए सदस्यों का भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में मदद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्ता के प्रबल प्रभाव के कारण परिवार का पुरुष सदस्य ही आमतौर पर अधिक लाभकारी नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करता है। उन पुरुषों के बीच जो बाहर पलायन करते हैं, स्थानीय स्तर पर व्यवसाय जिसे 'होटलिंग' कहा जाता है (अर्थात होटल और रेस्तरां क्षेत्र में कुक, वेटर या कुक–और–वेटर), मोटरकार ड्राइविंग, सुरक्षा गार्ड इत्यादि सबसे लोकप्रिय नौकरी विकल्पों में से हैं। अक्सर घरों में निर्णय पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, भले ही वे शहरी क्षेत्रों में पलायन कर गए हों। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के बीच निर्णय लेने का हस्तांतरण हुआ है, वे सीमित हैं और बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की एसएनए और विस्तारित–एसएनए गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं जिन्हें वे दैनिक जीवन में करती हैं। महिलाओं द्वारा निर्णय विशेषकर उन क्षेत्रों में लिए जाते हैं जहां पुरुषों का वस्तुतः नियंत्रण नहीं है या जिन कार्यों में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित जरूरतों के समय।

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

इस संदर्भ में, इस लेख में यह चर्चा की गयी है कि क्या रोजगार के लिए पुरुषों के प्रवासन ने घरेलू और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में निर्णय लेने के मामले में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। कृषि क्षेत्र को मुख्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में लिया गया है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य मुख्य रूप से कृषि–आधारित गतिविधियों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी और गैर–प्रवासी परिवारों के बीच कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों में प्राथमिक निर्णय लेने के प्रकारों के संबंध में महिला एवं पुरुष के बीच तुलना की गई है।

चयनात्मक प्रवासन और उसके प्रभाव

प्रवासन का नव–शास्त्रीय नव–उदारवादी मॉडल प्रवासी प्रक्रिया को अधिकतम लाभ के लिए व्यक्तियों की निजी पसंद के आधार पर श्रम के एक कुशल भौगोलिक पुनर्वितरण के रूप में देखता है। इस प्रकार यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि प्रवासन हमेशा आय अधिकतमकरण की रणनीति पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह एक जीवित रहने की रणनीति है जो कई गैर–आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होती है जैसे जनसंख्या का दबाव, भूमि स्वामित्व के वितरण में असमानताएं, संस्थागत तंत्र, इत्यादि। प्रवासन के अंतर–सामयिक पारिवारिक अनुबंध मॉडल प्रवासन पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन वैकल्पिक मॉडलों का मूल आधार, जो घरेलू उपयोगिता अधिकतमकरण पर आधारित हैं, यह है कि प्रवास का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि घर के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता है। प्रवासियों से प्राप्त धन को प्रवासी और परिवार के बीच एक अंतर–सामयिक संविदात्मक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। घरेलू संरचना अर्थात परिवार का प्रकार, घर में पुरुष सदस्यों की संख्या, घर का आकार इत्यादि, महिलाओं के बीच निर्णय लेने पर असर डालते हैं। जो लोग विस्तारित परिवारों में नहीं रह रहे हैं, उनके पास उच्च स्तर की जिम्मेदारियाँ और अधिक स्वायत्तता है।

आय के अंतर को क्रमशः गंतव्य और मूल स्थान पर नकारात्मक कारक (पुश फैक्टर्स) एवं सकारात्मक कारक (पुल फैक्टर्स) के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक कारकों में मौसम एवं जलवायु, जोखिम, बाजार की विफलता, संपत्ति का क्षरण और भूमिहीनता को प्रमुख कारकों के रूप में देखा जाता है जो आय में अंतर पैदा करते हैं। भारत में प्रवासन पर किए गए अधिकांश सूक्ष्म अध्ययनों से पता चलता है कि भूमि स्वामित्व में असमानता, गरीबी और कृषि पिछड़ापन जैसे कारक बाहरी प्रवासन के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं। सूक्ष्म अध्ययनों ने भारत में गरीब क्षेत्रों से प्रवासन के उच्च स्तर को लगातार दिखाया है। कुमाऊं, उत्तराखंड के मामले में यहाँ की स्थिति अद्वितीय भौतिक 'विशिष्टताओं', जैसे दुर्गमता, नाजुकता और सीमांतता के कारण मौलिक रूप से भिन्न है। बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकियों और सूचनाओं तक पहुंच की कमी के साथ–साथ उन्हें प्रदान करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति न केवल उनके अविकसित होने का कारण है, बल्कि व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और संचार प्रक्रियाओं में अलगाव और गैर–भागीदारी का भी एक पहलू है। हालाँकि यह क्षेत्र वनों, खनिजों और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध है, लेकिन बुनियादी ढांचे, तकनीकी, सूचनात्मक और राजनीतिक बाधाओं के कारण इन संसाधनों तक पहुंच और सतत उपयोग चिंता का विषय है। बागवानी और पर्यटन क्षेत्रों को व्यवहार्य विकल्प माना जाता है लेकिन इन्ही चुनौतियों की वजह से उनका विकास बाधित है।

कई अध्ययनों में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष–प्रवासन के कारण पीछे छूट गई महिलाओं की स्थिति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों पर एक साथ चर्चा की गई है। चयनात्मक प्रवासन में विशेष रूप से जब पीछे कोई वयस्क पुरुष नहीं बचा होता है,

rkfydk 1&çeq[k xfrfof/k;ksa esa çfr 0;fDr ¼15&59 o"kZ dh vk;q½ ,d fnu esa fcrk;k x;k vkSlr le; ¼feuVksa esa½] o"kZ 2019					
	xfrfof/k dk çdkj	xzkeh.k mÙkjk[kaM		xzkeh.k Hkkjr	
		iq#"k	efgyk	iq#"k	efgyk
,l,u,	क. रोजगार और संबंधित गतिविधियाँ	322	26	311	74
	ख. स्वयं के अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन	44	89	43	35
foLrkfjr& ,l,u,	ग. घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाएँ	40	296	30	298
	घ. घरेलू सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाएँ	16	50	12	46
	ङ. अवैतनिक स्वयंसेवक, प्रशिक्षु और अन्य अवैतनिक कार्य	05	01	03	02
xSj&,l,u,@ vof'k"V	च. शिक्षा	62	56	56	41
	छ. समाजीकरण और संचार, सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक प्रथाएँ	146	121	143	126
	ज. संस्कृति, अवकाश, जन–मीडिया और खेल अभ्यास	136	138	121	114
	झ. स्वयं की देखभाल और रखरखाव	669	662	720	705
vuqekfur 0;fDr		26778	28494	2301432	2340152
çfr gtkj iq#"kksa ij efgyk,a ¼vuqekfur½			1064	1017	
çfrn'kZ gsrq fy, x, 0;fDr		772	1000	98292	99939

स्रोतः समय उपयोग सर्वेक्षण–2019, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तो महिलाओं को घर के मुखिया की भूमिका निभाने और विभिन्न संबंधित जिम्मेदारियाँ उठाने की आवश्यकता होती है। इससे अंतर–घरेलू लैंगिक संबंधों में बुनियादी बदलाव आ सकते हैं। सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के अलावा विभिन्न घरेलू और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने में पीछे रह गई महिलाओं की हिस्सेदारी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक प्रमुख ग्रामीण आजीविका रणनीति होने के नाते प्रवासन के कई फायदे हो सकते हैं। पति की अनुपस्थिति में महिला के पास धन (प्रेषण सहित) तक संभावित रूप से अधिक पहुंच होती है, जिससे उनकी समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। उन्हें आवागमन की स्वतंत्रता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा और बीमारी की स्थिति में, उन्हें दिए जाने वाले उपचार के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नियमित प्रेषण का प्रत्यक्ष संबंध पीछे छूट गई महिलाओं के बीच अधिक स्वायत्तता से है।

कई अध्ययनों में महिलाओं के बीच निर्णय लेने की क्षमता पर चयनात्मक प्रवासन का विपरीत प्रभाव पाया गया है। महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता पर चयनात्मक प्रवासन के सकारात्मक प्रभाव के बावजूद वित्तीय स्वायत्तता की कमी और निर्णय लेने में असमर्थता दिखाई दी है। इससे प्रवासी परिवारों में महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव नहीं आया है। चयनात्मक प्रवासन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अधिक स्वामित्व हो सकता है। हालाँकि, हो सकता है कि यह संसाधनों के उत्पादक उपयोग पर महिलाओं के बीच निर्णय लेने की क्षमता में सुधार न कर सके। इसके अलावा, प्रवासन महिलाओं को नए क्षेत्रों में जाने और नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करता है जो लैंगिक संबंधों को बदलने और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। फिर भी, इससे प्रवासी परिवारों की महिलाओं पर आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर आर्थिक कार्य और घरेलू कर्तव्यों दोनों का भारी बोझ उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है। कार्य का अंतर–घरेलू पुनर्विभाजन मुख्य रूप से महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चयनात्मक प्रवासन के परिणामस्वरूप उन पर आर्थिक गतिविधियों (ज्यादातर निर्वाह कृषि में केंद्रित) का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। कार्य का यह बढ़ा हुआ बोझ महिलाओं पर अधिक शारीरिक और मानसिक दबाव डालता है और स्वास्थ्य सहित उनके समग्र कल्याण पर प्रभाव डालता है।

अध्ययन से निष्कर्ष

पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुष–चयनात्मक प्रवासन की प्रक्रिया से पीछे रह गई महिलाओं के बीच घरेलू निर्णय लेने का सकारात्मक हस्तांतरण होने की उम्मीद है, खासकर जब घर में कार्यभार संभालने के लिए कोई पुरुष नहीं बचा है। पुरुष के प्रवास के बाद स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में महिला की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य देखभाल, दैनिक जरूरतों के सामान खरीदने, प्रेषण सहित घरेलू धन खर्च करने और रिश्तेदारों से मिलने जैसे क्षेत्रों में निर्णय लेने में प्रवासी पुरुष का प्रभाव नगण्य बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता ने घरों में महिलाओं की स्थिति को कुछ हद तक मजबूत किया है। घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का श्रेय प्रवासित पुरुषों द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों को दिया जाता है। प्रमुख निर्णयों के संबंध में विशेष रूप से वित्त से जुड़े निर्णयों के संबंध में पुरुष अभी भी अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, यहां तक कि प्रवासन के बाद भी। पुरुषों के बाह्य प्रवासन ने घरेलू और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभालने में महिलाओं की भूमिका में काफी सुधार किया है। हालाँकि, ये प्रभाव उन डोमेन या गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम देखे जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदारी होती है।

प्रवासी परिवारों के बीच पुरुष–चयनात्मक प्रवासन महिलाओं के बीच कृषि–आधारित व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता विकसित करने का अवसर लाता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रेषण के उपयोग सहित घर के वित्तीय मामलों के संबंध में निर्णय लेकर प्रबंधकीय कौशल दिखाया है। पुरुषों की अनुपस्थिति में, विशेष रूप से फसल उत्पादन के दौरान महिलाओं ने स्वतंत्र रूप से या ग्रामीणों की मदद से विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालकर प्रबंधकीय कौशल के साथ–साथ अपनी सामाजिक पूंजी को बढ़ाया। इस प्रकार, पर्याप्त अवसर हैं कि प्रवासी परिवारों की महिलाओं को बड़ी संख्या में कृषि–आधारित व्यवसायों के गैर–पारंपरिक क्षितिज में प्रशिक्षित किया जा सकता है जो कुमाऊं क्षेत्र की जलवायु और भूगोल के अनुकूल हैं। इस क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों के बीच कई व्यवसाय विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ कृषि–आधारित व्यवसायों में संभावित अवसरों की वकालत और प्रभावित गांवों में उनके व्यापक प्रसार की अनुशंसा की जानी चाहिए। हम उपयुक्त संस्थागत सहायता (विस्तार सेवाएँ, सब्सिडी, इत्यादि) विकसित करने की भी अनुशंसा करते हैं जो विशेष रूप से प्रवासी परिवारों की महिलाओं के लिए उपयुक्त हो। अन्यथा, केवल कठिन परिश्रम में संलग्न रहना न तो महिलाओं और उनके परिवारों और न ही बड़े पैमाने पर ग्रामीण समाज की समग्र भलाई के लिए व्यवहार्य होगा।

{इस लेख का पूरा संस्करण सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में 18 जुलाई 2023 को 'जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज' में प्रकाशित हुआ था (https://doi.org/10.1177/00219096231186 3)},

''राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) सभी मानवीय गतिविधियों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: (1) एसएनए गतिविधियाँ, जो अनिवार्य रूप से प्राथमिक उत्पादन गतिविधियों की सीमा के अंतर्गत आने वाली बाजार–उन्मुख गतिविधियाँ हैं, (2) विस्तारित–एसएनए गतिविधियाँ, जो गैर–बाजार–उन्मुख घरेलू गतिविधियाँ हैं और सामान्य उत्पादन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन प्राथमिक उत्पादन गतिविधियों से बाहर होती हैं, क्योंकि ये गतिविधियाँ मुख्य रूप से घरों के स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए की जाती हैं, ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं हैं, और (3) गैर–एसएनए/अवशिष्ट गतिविधियाँ, जो सामान्य उत्पादन से बाहर हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण, सीखने, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, अवकाश, आत्म–देखभाल इत्यादि से संबंधित हैं।''

विकसित राष्ट्र के मार्ग पर भारत

राजेश कुमार कर्ण*

देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले दौर से निकलकर अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कालजयी नेतृत्व में देश 2047 तक 'विकसित भारत' का संकल्प सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर कर्तव्य पथ पर बढ़ चला है। देश गुलामी की मानसिकता को दरकिनार करते हुए आजादी की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को साकार करने वाला संकल्प सूत्र है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत, आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प राष्ट्र के सामने रखा था जिसे वह लगातार दोहरा भी रहे हैं। संकल्प पूरा करने वाले पंच प्रण, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति के साथ वैश्विक नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि विकसित भारत का विजन किसी का निजी या छोटे समूह का विजन नहीं है बल्कि यह 140 करोड़ देशवासियों का विजन है। ऐसे में विकसित भारत के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए।

एक समय था जब लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थीं। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। किंतु आज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार, एक विचार और एक परंपरा है। आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला है। शिलान्यास से उद्घाटन तक, संसद का नया भवन साकार हुआ है क्योंकि आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। यही मुक्ति राष्ट्र को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी।

भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत के गांवो की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत के गांवो की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इसे मानकर केंद्र सरकार पूरी दृढ़ता से ग्रामोदय के लिए अग्रसर है। भारत की आत्मा यानी 83 करोड़ से अधिक आबादी को समेटे ग्रामीण भारत से जुड़ी विशेष पहल और योजनाओं ने गांवों को सशक्त–सक्षम और स्वावलंबी बनाया है तो उतनी ही तेजी से गरीबी को भी कम किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समान और समावेशी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीणों के जीवन तथा जीवन स्तर में गरिमामय परिवर्तन लाना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सपने को साकार करने वाली सोच का ही परिणाम है कि गरीबी में जीवन–यापन को मजबूर रहने वालों की संख्या बीते कुछ वर्षों मे ही 22% से घटकर 10% तक आ गई है और अत्यंत गरीबी रेखा की दर भी एक प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

बीते कुछ वर्षों में ही ग्रामीण भारत अपने विकास की गति के कारण विकसित भारत के संकल्प का आधार बन गया है। "भारत अपने गांवों में बसता है'', महात्मा गांधी ने यह बात बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में कही थी। उनके यह उद्गार आज 21वीं सदी में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, दुर्भाग्यवश कई दशक बीत जाने के बाद भी, हमारे गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। ऐसे में किसी भी राष्ट्र और उसके नेतृत्वकर्ता के लिए यह बड़ी चिंता का विषय था कि दशकों बाद भी लाखों परिवारों के घर में बिजली का एक बल्ब तक नहीं था, बैकों में खाते नहीं थे। विकास की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। केंद्र से जाने वाला 1 रुपया गांव तक पहुंचते–पहुंचते 15 पैसा रह जाता था। लेकिन 2014 में आए बदलाव ने देश को एक सशक्त और मजबूत निर्णय करने वाला नेतृत्व दिया, जिसने गांव–गरीबी की परेशानियाँ न केवल देखी थी, बल्कि उसकी अनुभूति अपने जीवन में की है। इसलिए लाल किले की प्राचीर से देश के बाकी 18500 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा करना हो या फिर हर घर की रसोई तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाना, 50% से अधिक आबादी जो बैंकिंग तंत्र से दूर थी, उसके द्वार तक पहुंचकर बैंकिंग से जोड़ना हो या फिर बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, ऐसी योजनाओं की सूची बेहद लंबी है, जिसने गांव–गरीब और वंचितों को दशकों की पीड़ा से मुक्ति दिलाई। 'अंत्योदय' के सिद्धांत को साकार किया गया है जिसका अर्थ है– समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद व्यक्ति का उत्थान।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को लगातार प्राथमिकता दी है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश की आबादी का कुल 65% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और कुल 47 प्रतिशत आबादी अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्यो पर निर्भर है। निस्संदेह किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये का लाभ मिला।

* *आशुलिपिक सहायक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

दूध के उत्पादन में पिछले 9 सालों में 51% की वृद्धि हुई है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में 7000 से अधिक और श्री अन्न में इस समय 500 से अधिक स्टार्ट अप हैं। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाई योजना, ई–नाम जैसे कदम से किसानों का जीवन आसान हुआ है। ई–नाम प्लेटफॉर्म पर 1260 से अधिक मंडी और 1.74 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं।

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समान और समावेशी विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से जीवन स्तर में लगातार बदलाव हो रहे है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में ऐसे संकेतक दिए गए हैं जो ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के बारे मे जानकारी देते हैं। इनमें अन्य मुद्दों के साथ–साथ लोगों की बिजली तक पहुंच, पीने के स्वच्छ जल के लिए बेहतर स्रोत की उपलब्धता, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ आदि शामिल हैं।

गांव भी तेज गति से विकास की यात्रा में दौड़ें, इसलिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गांवों में विकसित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हर मौसम में अनुकूल सड़कें आज विकास की साक्षी बनी हैं। बीते नौ वर्षों में तकनीक ने न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद की है बल्कि इंटरनेट की खपत भी ग्रामीण इलाकों में शहरों की तुलना में बढ़ी है। वर्ष 2015 से 2021 के बीच इंटरनेट ग्राहकों की संख्या, शहरी क्षेत्रों में 158% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 200% बढ़ी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर करने और ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका (डीएवाई–एनआरएलएम) के जरिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए हैं।

सभी के लिए आवास ने सम्मान के साथ मकान का सपना पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर लोगों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की भागीरथी मुहिम तेजी से चल रही है। अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर की योजना ने गांवों में पानी की उपलब्धता को नया जीवन दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण हो या फिर उससे आगे बढ़कर स्वच्छता प्रबंधन में स्टार्ट अप की शुरुआत, कचरे से कंचन बनाने की पहल ने गांवों का स्वरूप बदल दिया है। बिजली उपलब्ध कराने में सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना को देश के ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण करने तथा शहरों में गरीब परिवारों को बिजली आपूर्ति पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज लगभग हर गांव का विद्युतीकरण हुआ है। बीते वर्षों में लगभग 40 करोड़ सस्ते एलईडी बल्ब दिए गए उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल बिजली का बिल करीब 20 हजार करोड़ रुपये कम हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। 80 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया। ई–श्रम पोर्टल पर 29 करोड़ असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता की कमान संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों की, गरीबों द्वारा और गरीबों के लिए होगी। गरीबी को निर्मूल खत्म करने और देश के गांव और गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन का यही दृढ़ संकल्प आर्थिक सुधारों का द्योतक है। देश की गरीबी दूर करने के कई दृष्टिकोण हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को अनुवांशिक रूप से बदलना चाहते हैं और सुधारों का ताना–बाना इन्हीं विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित है। सबसे पहले, सरकार देश को आर्थिक विकास के उस पथ पर ले जाना चाहती है जिससे अगले एक दशक तक मजबूत विकास दर हासिल की जा सके। गरीबी दूर करने का दूसरा नजरिया यह है कि वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों की किस तरह मदद कर रही है। सरकार गरीबों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने के साथ–साथ अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हर गरीब परिवार के पास आज एक बैंक खाता है, कर्ज और बीमे के लिए कई सारे वित्तीय माध्यम हैं, उच्च शिक्षा और हुनरमंद बनने के लिए उनके पास मौके हैं, स्वास्थ्य बीमा, बिजली, सड़कें और अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाएं हैं। एक तरफ गरीबों को अधिकार संपन्न किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में ये तीसरा सबसे बड़ा आयाम है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा का ताना–बाना गरीबों को उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे खाद्य (खाद्य सुरक्षा कानून का प्रभावी परिपालन), घर (प्रधानमंत्री आवास योजना), शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान), स्वास्थ्य सेवा, बीमा (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) और आमदनी में सहयोग (मनरेगा) मुहैया कराया जा रहा है। कोई भी भारतीय भूखे पेट न सोए और उसे इस बात की चिंता न हो कि कल क्या होगा, इसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने JAM (जनधन, आधार और मोबाइल) के शक्तिशाली सामाजिक सुरक्षा मंच का प्रयोग किया है जिससे हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान हो, उसके पास बैक खाता हो और वो अपने मोबाइल फोन पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। सामाजिक सुरक्षा का ये प्लेटफार्म आज देशवासियों को सरकार की कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है जिसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। देश में गरीबों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ रहा है। आज हर गांव और गरीब को विश्वास और भरोसा है कि उसे भोजन और आवास मिलेगा, बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण मिलेगा और युवाओं को जरूरी प्रशिक्षण मिलेगा। आज बीमा, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधाएं पहले शहरों तक सीमित थीं, वे आज बिना किसी भेदभाव के सभी देशवासियों को उपलब्ध हैं।

हाल ही में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट ने सबका ध्यान खींचा कि भारत ने जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल फोन के उपयोग से वित्तीय समावेशन दर को 80 प्रतिशत तक प्राप्त करने में केवल छह साल का समय लिया, जिसके लिए

इस तरह के डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के बिना 47 साल लग सकते थे। जिस देश में दिल्ली से एक रुपया चलता था तो गांव तक उसमें से 15 पैसे ही पहुंचते थे, उस देश में आज 100 के 100 पैसे पूरे मिल रहे हैं और वह भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में, तो इसका श्रेय मोदी सरकार की वित्तीय समावेशन नीति को जाता है। आज 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं के लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा ने डीबीटी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। उनके अनुसार डिजिटलीकरण सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क की मजबूत बनाता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी डीबीटी को गरीबी उन्मूलन का कारगर हथियार बताया है।

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण मंच कोविन बनाने में सक्षम रहा। कोविन की सहायता से न सिर्फ टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक किए जा सकते थे बल्कि टीका की अलग–अलग खुराक विभिन्न केंद्रों पर ली जा सकती थी। डिजिटल प्रमाणपत्र भी वहाँ जारी किए जाते थे। ये ऐसी उपलब्धियां भी, जिन्हें विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए थे। हमने यह सफलता इसलिए पाई, क्योंकि हमारे पास ऐसा डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जो विभिन्न डिजिटल उत्पादों को एक–दूसरे से जोड़ता भी है। यह उन लोगों को भी सेवाओं का लाभ देता है, जो अन्यथा पीछे छूट जाते हैं। आधार ने लाखों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया। यूपीआई जैसे ढांचे ने छोटे दुकानदारों को भी भौतिक दूरी रखते हुए लेन–देन की सुविधा दी। आम लोगों तक डिजिटल दुनिया के विस्तार ने नवाचार को प्रोत्साहित किया। इससे भारतीय फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) बाजार में तेजी आई और छोटे–छोटे ऑनलाइन पेमेंट में भी मदद मिलने लगी। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार स्वास्थ्य एवं वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में भी होने लगा है। आज विश्व को ऐसे कुशल राष्ट्र की जरूरत है, जिसका डिजिटल ढांचा उसे संकटों से बाहर निकलने में मदद करता हो। यही वजह है कि भारत जी–20 के नेतृत्व के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हमारे पास जी–20 देशों के साथ साझा करने के लिए सबक, चुनौतियाँ और बेहतर संचालन व्यवस्था है। हम पहले से ही इंजीनियरिंग टैलेंट और आईटी सर्विस इंडस्ट्री के लिए चर्चित हैं। जी–20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने प्रौद्योगिकी के प्रति खुले, समावेशन और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। डिजिटल ढांचा ऐसा लचीला समाज बनाने में मदद करता है, जो अपने लक्ष्यों को तेजी से पा सकता है। सार्वजनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके और ज्ञान को साझा करके हम अन्य देशों की संप्रभुता को मजबूत ही करते हैं। इस प्रकार, भारत द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे का अनुभव बांटना 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है।

केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है, जहां तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है। इस दृष्टिकोण ने ही देश के गांव–गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जय) ने देश के गरीबों के 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होने से बचाएं हैं, जो गरीब की जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना नहीं होती इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। पीएम जन औषधि केंद्र से अच्छी और सस्ती दवा मिलने से गरीबों के करीब 20 हजार करोड़ रुपये बचे हैं। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है। बल्कि मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और सुरक्षा कवच है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपये इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जैम–ट्रिनिटी, ये सभी सुरक्षा कवच का ही हिस्सा हैं। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है, वो उसे जरूर मिलेगा। यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक कार्य–दस्तावेज में कहा गया था कि ऐसी योजनाओं के कारण, कोविड जैसी महामारी के बावजूद भारत में अत्यंत गरीबी खत्म होने की कगार पर है, यही क्रांतिकारी परिवर्तन सुधार की गाथा को बताता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में व्यक्त 'गरीब कल्याण' के संकल्पों को साकार करते हुए केंद्र सरकार की लाभार्थी कल्याण की अनेक योजनाओं से गांव और गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। दुनिया की विश्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार भी भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है। जन–धन योजना के तहत बैंक खाते से लेकर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत धुंआ मुक्त रसोई तक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय से लेकर जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पानी के नल तक, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों को आर्थिक संबल देने से लेकर, छोटे व मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार व स्व–रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे अनेक सराहनीय कार्य गत 9 वर्षों में हुए हैं। इनके माध्यम से गांव और गरीबों के जीवन में बदलाव आया है।

सर्व स्पर्शी–समावेशी सरकार के रूप में पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की मूल भावना के अनुरूप काम हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियां–योजनाएं सदैव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित हैं। वंचित समाज के हितों के लिए आवाज उठाने वाले महान राष्ट्रनायक बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने के कार्य इस दौरान हुए हैं। इन स्थलों से समाज को समता और समरसता की प्रेरणा मिलती है। अगर केंद्र सरकार के कदमों की तुलना की जाए तो अनुसूचित जाति–जनजाति समाज के हित में पिछले 9 वर्षों में जितने कदम उठाए गए हैं, उतने पहले कभी नहीं उठाए गए। अनुसूचित जाति–जनजाति समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए साल–दर–साल बजट में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाओं में भी दलित व आदिवासी समाज को प्राथमिकता दी गयी है। दलित समाज के आर्थिक सशक्तीकरण एवं स्व–रोजगार में

उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण में प्राथमिकता को केंद्र सरकार सुनिश्चित कर रही है। इन योजनाओं का परिणाम है कि एससी–एसटी समाज के लोग शिक्षा, उद्योग, रोजगार, सेवा तथा सामाजिक क्षेत्र में उभरकर आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो या फिर 2017 में राष्ट्रपति के रूप में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद और 2022 में जनजातीय समुदाय की प्रतीक बनीं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कराने की पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत को सर्वोपरि रखा और वंचित समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी कटिबद्ध ता को यथार्थ में परिलक्षित किया है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण के लिए केंद्र सरकार ने दशकों से लंबित पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को पूरा किया है। केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय से मेडिकल क्षेत्र के दाखिले में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं। शिक्षा और रोजगार में ओबीसी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन प्रयास हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी तेजी से कम हुई है। बीते 5 वर्षों में ही केंद्र सरकार के प्रयासों की वजह से 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी गिरकर वर्ष 2019-2021 में 14.96% हो गई। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में हुई है। इसमें पोषण, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस–5 (2019-21) के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण दोनों सर्वेक्षणों, एनएफएचएस–4 (2015-16) और एनएफएचएस–5 (2019-21) के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों आयामों को मापता है। इनमें शामिल 12 मापदंडों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। इन सभी में बीते कुछ वर्षों में ही उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने में योगदान प्रदान किया है जबकि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसी पहलों ने देशभर में स्वच्छता संबंधी सुधार किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के माध्यम से सब्सिडी वाले रसोई गैस के प्रावधान ने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

केंद्र की वर्तमान सरकार नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है, जिसने नए भारत, विकसित राष्ट्र और लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी नीति, कार्यक्रम और योजनाओं के जरिए देश में विश्वास का वातावरण तैयार कर दिया है जिसका संकल्प, एजेंडा, भावना और मार्ग भी सकारात्मक है। जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश कालजयी फैसले करता है। सही अर्थों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वस्पर्शी–सर्व समावेशी विकास हो रहा है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, वंचित, आदिवासी, युवा, महिला–सबके कल्याण एवं जीवन में उत्थान लाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि समाज के सभी वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले। केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सुरक्षा और गरिमामय जीवन मिला है। जिन्हें दशकों तक यही अहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ हैं, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थीं, तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है, ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बनी हैं।" बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव का अनुभव कर रहा है। निश्चित रूप से आज देश में समग्र दृष्टिकोण और मिशन मोड में काम हो रहा है। इस दौरान सत्ता की सोच भी बदली है और सेवा ही सर्वोपरि का सिद्धांत धरातल पर परिलक्षित हो रहा है। भारत की आत्मा कहे जाने वाला ग्रामीण भारत आज विकसित भारत के संकल्प का सारथी है क्योंकि बदलाव की यह यात्रा समकालीन होने के साथ–साथ भविष्यवादी भी है।

आजादी के अमृतकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए देश ने अंग्रेजी को लेकर हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा, तो उनकी प्रतिभा खुल कर सामने आएगी। अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। पीएम मोदी ने शिक्षा समागम में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है– भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर मिले। पहले बहुत से बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे। लेकिन आज देशभर में हजारों स्कूल को पीएम– श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। '5जी' के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल, भारत के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे।

2014 से भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती का प्रतीक बनकर सामने आई है। बड़ी एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत अपनी अलग पहचान के साथ चमक रहा है, जिसकी अपनी सफलता गाथा है। ब्रिटिश

अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन गई है।

भारत की सफलता में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के विकास की अहम भूमिका है। यह सेक्टर सतत विकास की राह पर बढ़ रहा है, जो औद्योगिक विकास की दिशा में भारत के रणनीतिक निवेश को दर्शाता है। 14 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम ने इसमें बड़ा योगदान दिया है, जिससे देश में नए उद्योग स्थापित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ मैन्यूफैक्चरिंग एवं औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत मात्र शब्दों तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि घरेलू उत्पादकता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करते हुए जमीनी स्तर पर यह परिलक्षित भी हो रहा है। वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से भरपूर भारत दिख रहा है।

अर्थशास्त्री श्री विवेक देवराय एवं आदित्य सिन्हा ने ठीक ही लिखा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि आत्मनिर्भरता को केवल आयात नियंत्रण पर केंद्रित नहीं करना चाहिए। ऐसी नीति से उद्योगों को नुकसान होता है। आत्मनिर्भर भारत को उद्यमिता एवं नवोन्मेष बढ़ाने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इसकी झलक दिखती है। पहले इस क्षेत्र में हम 75 प्रतिशत से ज्यादा आयात पर निर्भर थे। आज भारत ने इस क्षेत्र में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। आत्मनिर्भरता की नीति को घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। पीएलआइ जैसी स्कीम इस दिशा में कारगर है। संकट के समय में जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है, उनकी मैन्यूफैक्चरिंग को भी प्राथमिकता में रखना होगा। रणनीतिक एवं रक्षा क्षेत्र के उपकरणों में भी आत्मनिर्भरता को गति देनी होगी।

आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत को दो महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला, शोध एवं नवोन्मेष में निवेश बढ़ाना होगा। बिना इसके भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता को नुकसान होगा। इससे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। दूसरा, भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए नए बाजार तैयार करने पर भी जोर देना होगा। स्थानीय व्यापार समझौते जैसे एफटीए आदि इसमें कारगर हो सकते हैं। भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आत्मनिर्भरता इस दिशा में अहम कड़ी है। सभी के लिए विकास के समान अवसर सृजित करने होंगे।

भारत की उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में चुंबक का काम करती है। इससे घरेलू उद्योग को भी ताकत मिलती है, जिससे विकास होता है। पिछले एक दशक में नीतियों ने व्यवस्थित तरीके से आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम की है, साथ ही घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया है और कई यूनिकॉर्न के लिए माहौल बनाया है। आज भारत आइटी एवं साफ्टवेयर सर्विसेज का हब बनकर सामने आया है। भारत की इस स्वावलंबन की यात्रा में राजनीतिक स्थिरता और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी बड़ी भूमिका है। राजनीतिक स्थिरता से आर्थिक विकास का माहौल बनता है और इससे निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलती है। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से उत्पादकता एवं दक्षता बढ़ी है। इससे हमारा निर्यात भी प्रतिस्पर्धी हुआ है।

विकसित भारत का रोडमैप तैयार करके केंद्र और राज्य की सरकारें जिस तरह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए काम करेगी, उसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गुणात्मक और सकारात्मक होगा। भारत का विकास राज्यों के विकास के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि "जब हमारे राज्य बढ़ते हैं, भारत बढ़ता है।" भारत की जी–20 अध्यक्षता से विश्व मंच पर राष्ट्र का गौरव बढ़ा है। राज्यों को अपनी संस्कृति, खान–पान और एक जिला–एक उत्पाद के तौर पर वैश्विक प्रदर्शन का अवसर मिला है। इससे पर्यटन और व्यापारिक समृद्धि को बढ़ाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि जो अवसर मिल रहे हैं, उसका लाभ उठाने के लिए आगे आएं, एक्शन प्लान बनाकर उस पर काम करें। प्रदर्शन और गुणवत्ता को विकसित देशों के समानांतर या उससे ऊपर लाएं।

वर्ष 2014 में जब भारत के लोगों ने अपना भरोसा दिखाते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को देश की उम्मीदें और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी तो सरकार ने भी इस जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकारा और बीते 9 वर्षों में भारत के विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी। ये जनभागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की। साथ ही, केंद्र सरकार इन 9 वर्षों में न्यू इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए निरंतर नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ पिछली सरकारों द्वारा अधूरी परियोजनाओं को अविश्वसनीय और अप्रत्याशित गति के साथ आगे बढ़ाया बल्कि कई सारी नई परियोजनाओं की आधारशिला रख समय से पहले सफलतापूर्वक उसे पूरा भी किया। 2014 से पहले जहां विकास के नाम पर परियोजना को पूरा करने में सालों लगते थे वहीं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इसकी गति बढ़ गई है। हम रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले हैं।

मूलभूत आवश्यकता होते हुए भी सड़क पिछली सरकारों में गांव–गांव नहीं पहुंची थी वो अब सुदूर गांवों और देहातों तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। यह अपने आप में विश्व रिकार्ड बना रही है। देश में जहां 2014 से पहले हवाई अड्डों की संख्या सिर्फ 74 थी जो अब बढ़कर 148 हो गई है। देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए नए–नए आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाएं खोली जा रही हैं।

केंद्र सरकार विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने की अपनी प्रतिबद्धता तेजी से पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखकर जो रोजगार मेला शुरू किया उसमें अभी तक पांच लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, युवाओं का सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। केंद्र सरकार देशभर में रोजगार सृजन की मजबूत नींव पर आगे बढ़ रही है, सरकारी नौकरी में खाली पदों को भरने का काम मिशन मोड में कर रही है। पिछले 9 वर्षों में भर्ती

प्रक्रिया को तेज, निष्पक्ष और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। पहले कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब–करीब 15 से 18 महीने का समय लेता था जो अब छह से आठ महीने में पूरी हो रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार रोजगार मेले आयोजित करके 10 लाख नियुक्ति पत्र सौंपने के लक्ष्य को पूरा करने की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में कहा, "आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। डॉक्यूमेंट का स्वयं सत्यापन पर्याप्त है तो समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई–भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं।"

युवा शक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1.21 करोड़ लोगों को लाभ मिला। पिछले 9 वर्षों में 390 नए विश्वविद्यालय, 23 आईआईटी और 20 आईआईएम स्थापित स्थापित किए गए। पीएम श्री के तहत 14500 स्कूलों को उन्नत और विकसित किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में 273 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए।

विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू हैं। उसमें खेल एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो संगठित और संरचित तरीके से आज दुनिया में देश की छवि और शक्ति का परिचय कराता है। इसी को ध्यान में रखकर खेल का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए वर्ष 2016 में 12 सब–कंपोनेंट के साथ खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई। योजना के कार्यान्वयन से मिले अनुभव और थर्ड पार्टी मूल्यांकनकर्ताओं से मिले सुझाव के हिसाब से 5 सब–कंपोनेंट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना 2021–22 से 2025–26 तक कार्यान्वित की जा रही है। देश भर में 733 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

नया भारत अपने शहरों को स्मार्ट–आधुनिक बनाकर आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद देश में परिणाम उन्मुख और एकीकृत शहरी विकास नीति बनी। 5 स्तंभों पर आधारित इस नीति में शहर के गवर्नेंस को सुधारने का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया। ई–गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी मिशन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सीसीटीवी नेटवर्क से शहरी प्रशासन सुधारने की कड़ी में 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। बेशक आबादी जैसे–जैसे बढ़ रही है, अधिक से अधिक लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या की 31% आबादी अभी शहरों में है जिनका जीडीपी में 63% का योगदान है। वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% और जीडीपी में उनका योगदान करीब 75% पहुंचने की संभावना है। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ व्यापक विकास की आवश्यकता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, निवेश को आकर्षित करने, प्रगति और विकास के अच्छे चक्र को गति देने में स्मार्ट सिटी मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। टीयर–2 और 3 शहरों में युवा विकास के केंद्र बन गए हैं।

यह एक कटु सत्य है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें इन्हें जड़ से मिटाना ही होगा। हजार साल की गुलामी के बाद देश मोदी जी के नेतृत्व में संवर रहा है। आज हम जो भी कदम उठाएंगे, वे हजारों साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे। आज देश की मातृशक्ति सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। देश से आतंकवाद का सफाया हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है और वहां विकास की कहानी शुरू हुई है। विकास को गांव–गांव, घर–घर तक पहुंचाने के कारण आए सकारात्मक बदलावों और रक्षा क्षेत्र में सुधारों के कारण सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अब देश की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बन गए। हैं। इनके चलते नीतिगत स्थिरता, बेहतर समन्वय और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति सुधरी है। इससे भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'फ्रेजाइल फाइव' से 'टाप फाइव' की यात्रा की है और अगले पाँच वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की 'जीरो टालरेंस' नीति के कारण आज सरकार की हर योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है जिससे लाभार्थियों का सशक्तीकरण हो रहा है। डीबीटी के तहत अब तक लगभग 27 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन–धन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं जन–जन के जीवन में कल्याण लाने का माध्यम बनी हैं। यह बदलते भारत और आगे बढ़ते भारत की सुनहरी तस्वीर है।

भारत में विकास परियोजनाएं लगातार चलती रहती हैं। इनके सामाजिक प्रभाव भी पड़ते रहे हैं, मगर इन योजनाओं के सामाजिक प्रभावों का समग्र मूल्यांकन उच्च कोटि की अकादमिक संस्थाओं द्वारा कम ही किया जाता है। हालांकि अब यह स्थिति कुछ बदल रही है। पिछले साल केंद्रीय विश्वविद्यालय, आइआइटी, आइआइएम एवं अन्य शोध संस्थानों जैसी उत्कृष्ट संस्थाओं ने गत नौ वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित एवं लागू की गई विकास योजनाओं का अध्ययन किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीएम जनधन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, वन नेशन वन कार्ड आदि योजनाओं को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार 2016 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ने अपने 71% प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस अवधि में 2.07 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। इस योजना में आवंटित कोष के उपयोग की दर भी संतोषजनक रही। इसके लिए निर्धारित बजट की 86% राशि योजना को लागू करने की प्रक्रिया में खर्च की गई। इसने अति उपेक्षित एवं जरूरतमंद लोगों के

घर के सपने को पूरा किया है। वहीं, उज्ज्वला योजना ने भारत की गरीबों एवं ग्रामीण महिलाओं को बड़े पैमाने पर चूल्हे के धुएं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों एवं कष्टों से बचाया है। इससे उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है। ग्रामीण महिलाओं का चूल्हे चौके में खर्च होने वाला समय तो बचा ही है, इसने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दी है। कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में से अनेक ने पहली बार के बाद गैस सिलेंडर नहीं भरवाया। इसके लिए बढ़ती महंगाई को कारण बताया गया। नए अध्ययन से जाहिर होता है कि कई लाभार्थियों द्वारा पहली बार के बाद गैस सिलेंडर न भरवाने के कारणों में महंगाई नहीं, बल्कि अन्य परंपरागत विकल्पों की मौजूदगी है।

इन नौ वर्षों में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खाद्य सुरक्षा की एक जरूरी एवं सफल योजना के रूप में सामने आई है। तकनीक के इस्तेमाल ने इस प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार एवं लीकेज यानी रिसाव को न्यूनतम स्तर पर तो ला ही दिया है, लाभार्थियों को इसका लाभ लेने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानी को भी खत्म कर दिया है। कोविड के समय में तो इस योजना ने लोगों की जीवनरेखा के रूप में काम किया। साथ ही वन नेशन–वन राशन कार्ड योजना से पीडीएस को जोड़ कर प्रवासी श्रमिकों के लिए इसे ज्यादा कारगर, आसान बनाया गया है। लक्ष्य आधारित पीडीएस तो गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है, जिसने उनमें बेहतर जीवन की आकांक्षा उत्पन्न की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने भी पीडीएस से होने वाले सामाजिक लाभ का विस्तार करते हुए खाद्य सुरक्षा की दिशा में अगला कदम बढ़ाया है, जो 2020 की विकट परिस्थिति में प्रारंभ की गई थी। इस योजना ने देश के गरीब एवं हाशिये पर खड़े सामाजिक समूहों को न केवल अन्न सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि उनमें बेहतर जीवन की आकांक्षा भी पैदा की है। यही आकांक्षा की शक्ति गरीब सामाजिक समूहों को जनतंत्र की परिधि में सम्मानित ढंग से शामिल करती हैं एवं उन्हें लोग से नागरिक में रूपांतरित करते हुए उनमें नागरिक बोध पैदा करती है।

स्वच्छ भारत मिशन ने भारतीय समाज में सफाई एवं स्वास्थ्य बोध जगाया है। इससे खुले में शौच एवं कूड़ा निष्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं के जीवन में रूपांतरकारी परिवर्तन लाया है। उनके जीवन में सम्मान एवं सुरक्षा बोध आया है। हमने स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन विकसित देश बनने के लिए इस मोर्चे पर बहुत काम करना है। भारत को चिकित्सा पर्यटन और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और अन्य प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सामने आई है। भारत दुनिया का एक बड़ा विद्युत उपभोक्ता देश है। पूरे विश्व के ऊर्जा उपभोग में हमारे देश की हिस्सेदारी 3.4% है। इस योजना ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के साथ मिलकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर क्षण एवं हरेक के लिए विद्युत' का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ग्रामीण भारत में घर–घर जल का लक्ष्य भी आजादी के बाद से भारत सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहा है। मोदी सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

इन योजनाओं ने गरीब लाभार्थियों का एक व्यापक वर्ग निर्मित किया है, परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक रूप से निर्बल सामाजिक समूहों मैं आकांक्षा पैदा हुई है। यही आकांक्षा आगे चलकर आशा में बदल भारत में सामाजिक परिवर्तन की वह परिस्थिति बनाती है, जो भारत के उपेक्षित, वंचित एवं निराश्रितों में आगे बढ़ने का हौसला दे उन्हें गरीबी से मुक्ति देती है। इधर लगातार आ रहीं वैश्विक रपट भी बता रही हैं कि भारत गरीबी से मुक्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे चलकर यही गरीब सबल–शक्तिवान होकर भारत का भविष्य रचने की निर्णायक शक्ति के रूप में आगे आएंगे।

भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह मानकर चला जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दुनिया जब दो ध्रुवों में बंट रही थी और उनके बीच निर्मित खाईयों के निरंतर गहरे तथा चौड़े होने का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, उसी दौर में भारत आजाद हुआ तथा इस विचार के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया कि 'हमें शांति और सभ्य व्यवहार की आवश्यकता है, हम युद्ध नहीं चाहते।' आज जब यूक्रेन की धरती पर एक युद्ध लड़ा जा रहा है और यह युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है बल्कि यहां पर भी दो दुनियाओं का विभाजन स्पष्ट दिख रहा है। आज के इस दौर में भी भारत की विदेश नीति का अहम विषय 'वसुधैव कुटुंबकम' का है और संदेश वही है कि यह युद्ध का युग नहीं है। वास्तव में भारत की विदेश नीति का यही सार है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि भारत किसी एक जगह पर ठिठका हुआ है बल्कि उसने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति से लेकर 'पॉलिसी ऑफ एक्ट फॉरवर्ड' तक का सफर तय किया है, जिसमें "राष्ट्र प्रथम" की प्रबल भावना होने के साथ–साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रभावशाली संदेश भी छुपा है तथा वे वैश्विक चिंताएं भी, जिनका दुनिया सामना कर रही है या फिर आने वाले समय में कर सकती है।

दरअसल चीन असीमित इच्छाशक्तियों से संपन्न, अर्थव्यवस्था की नींव पर निर्मित सैन्य क्षमता व आक्रामकता का प्रदर्शन करने के लिए हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इसी महत्वाकांक्षा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को असीमित इच्छाशक्तियों वाला शासक बना दिया, जो सीपीसी की 20वीं कांग्रेस के दौरान यह घोषणा करता है कि वर्ष 2049 तक चीन दुनिया को नेतृत्व देने वाली राष्ट्रीय शक्ति बनेगा। यदि ऐसा है तो भारत को वर्ष 2047 तक भारतीय विदेश नीति को उस मार्ग पर ले जाने की जरूरत होगी, जो चीन को रोक सके। इसके लिए भारत को विदेश नीति में अतिरिक्त आयाम जोड़ने होंगे, जो चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगा सके।

फिलहाल विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार भारत की विदेश नीति 'एडवांसिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इंफ्लुएंस' की विशिष्टता के साथ आगे बढ़ेगी। स्वाभाविक है कि गुटनिरपेक्षता के तत्वों पर कम बल दिया जाएगा। होना भी चाहिए क्योंकि यह युग निरपेक्षता का नहीं बल्कि सापेक्षता का है। आज पूरी दुनिया एक–दूसरे से जुड़ी (इंटर–कनेक्टेड) और अन्योन्याश्रित

(इंटर–डिपेंडेंट) है इसलिए अलग–थलग रहकर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। इस दिशा में प्रधानमंत्री का थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग का मंत्र विदेश नीति को एक नया आयाम दे सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज का युग गैर–संभ्रांतिक प्रतिस्पर्धाओं वाला युग है, जिसमें सफल होने के लिए नई स्ट्रैटेजी के साथ–साथ नई केमिस्ट्री की भी जरूरत होगी, जिसका सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि अंकगणितीय (अर्थमेटिकल) मूल्य भी हो।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है जहां परिवारवाद न हो, भ्रष्टाचार न हो, तुष्टीकरण न हो और सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 'विश्व मित्र' के रूप में राष्ट्र को संदर्भित किया गया है। अर्थात वैश्विक कल्याण में योगदान के कारण भारत आज सभी देशों के मित्र रूप में प्रस्थापित है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम् के सूत्र को चरितार्थ करते हुए एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का आह्वान किया है जिसे वैश्विक स्वीकृति और समर्थन मिला है। 'राष्ट्र प्रथम' मोदी सरकार का प्रमुख संकल्प बना हुआ है। देश का एक–एक पैसा अब देश की भलाई और कल्याण में निवेश किया जा रहा है।

इसमें संदेह नहीं कि पिछले 9 वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसका सबसे अधिक श्रेय चुनौतियों से निपटने की प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति को जाता है। यह उनके सक्षम नेतृत्व का ही परिणाम है कि देश कोविड महामारी जैसी वैश्विक चुनौती से निपट सका। उस कठिन दौर में जब विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं तब देश की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत संभली रही। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेजी दिख रही है, वह पीएम की दूरदर्शी नीतियों का ही प्रतिफल है।

घरेलू मोर्चे पर अनेक सफलताएँ अर्जित करने के साथ प्रधानमंत्री ने भारत का अंतरराष्ट्रीय मान बढ़ाने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए वे कारण भी गिनाए, जिनकी वजह से दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। इनमें से एक भारत की युवाशक्ति है। विश्व में 30 वर्ष से कम आयु की सबसे अधिक आबादी भारत में है। इस युवाशक्ति को यह मौका मिला है कि वह अपनी ऊर्जा और संकल्प से देश को वह समृद्धि प्रदान करे जो कभी भारत की पहचान हुआ करती थी।

यह अनायास नहीं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार को वह दीमक बताया जो देश की संभावनाओं को खोखला कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भ्रष्टाचार को हर कीमत पर जड़ से मिटाने की बात कहकर नए सिरे से साफ कर दिया कि वह इसे सहन करने को तैयार नहीं। उनका यह संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल रसूख वाले तत्वों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई तेज की है, इसका प्रमाण यह है कि केवल प्रवर्तन निदेशालय मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है। इसके बाद भी यह एक यथार्थ है कि नेताओं और नौकरशाहों का एक वर्ग अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका यह भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसे सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बताया, उससे यह आस बंधी है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के प्रयास और तेज होंगे।

2047 में स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस लिहाज से अगले 25 वर्षों को अमृतकाल माना जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आने वाले पांच साल सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताए हैं। उनका मानना है कि सशक्त सक्षम भारत बनाने के लिए, इन पाँच वर्ष में जो कार्य किए जाएंगे, वे अगले एक हजार साल का समृद्ध, भारत बनाने का आधार तैयार करेंगे। देश की आर्थिकी जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए इसमें संदेह नहीं कि 2047 तक भारत आर्थिक दृष्टि से अग्रणी राष्ट्रों में होगा, लेकिन विकसित देश की कसौटी का केवल यही पैमाना नहीं। कोई देश विकसित तब बनता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं के जरिये लोगों को सुगम जीवन की अनुभूति भी कराए।

नागरिक एवं बुनियादी सेवाओं के ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के साथ राज्यों के शासन–प्रशासन को हर स्तर पर इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी। इस इच्छाशक्ति का अभी अभाव ही दिखता है। इसी कारण हमारे बड़े शहर भी अपेक्षित नागरिक सुविधाओं से लैस नहीं स्पष्ट है कि सरकारी कामकाज में गुणवत्ता के मानकों को पूरा करने के लिए व्यापक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग–सचेत होना होगा।

परिवारवाद सामाजिक न्याय के साथ–साथ देश की प्रगति में भी बाधक है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के भी विरुद्ध है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए सिद्धांत पर चलता है। अगर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है और विकास की गति तेज करनी है तो भ्रष्टाचार व परिवारवाद को पूरी तरह समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के एजेंडे को रेखांकित कर दिया है। अब देश को भी उनके इस एजेंडे को पूरा करने के लिए उनके साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

विज्ञान और तकनीक के महत्व और उसकी अनवरत जरुरतों को समझते हुई पिछले नौ वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इसी का नतीजा है कि भारत आज उच्च तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में विश्व के उन देशों के समक्ष खड़ा है जहां कुछ वर्ष पहले तक सिर्फ विकसित देशों का ही स्थान था। केंद्र की वर्तमान सरकार निरंतर छात्रों और युवाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है ताकि विश्व मानचित्र पर भारत की और मजबूत पहचान बन सके। आज देश के सामने 2047 का स्पष्ट लक्ष्य है। भारत का आर्थिक विकास, सतत विकास का लक्ष्य हो या फिर नवाचार के लिए समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना, टेक्नोलॉजी कदम–कदम पर हमारे लिए जरूरी है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का थीम स्कूल टू स्टार्टअप– इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी दिवस कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं में जो जोश दिखा वही नए और विकसित होते भारत का प्रमाण भी है। आज की युवा पीढ़ी के पास नए सपने और नए संकल्प हैं। उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उत्साह यही नए भारत की ताकत है।

केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। विज्ञान पहले किताबों तक सीमित था वह अब प्रयोग से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट में बदल रही है।

भारत की युवा पीढ़ी को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए पिछले नौ वर्षों में देश की मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंगरिंग लैब आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। सरकार के ऐसे निर्णयों की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चे भी नवाचार की ओर प्रेरित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही योग भारत से निकल कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के रूप में विश्व के कोने–कोने तक अपनी पहुंच बना चुका है। योग में वर्तमान समय की कई वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान छिपा है। योग में नए रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। भारत में रिटेल फिटनेस सेवा बाजार करीब 2.6 अरब यूएस डालर और योग इंडस्ट्री का आकार 80 अरब यूएस डॉलर आंका गया है। योग से संबंधित उपकरणों का बाजार कोविड–19 के दौरान करीब 154% बढ़ा। 'हील इन इंडिया' और 'हील बाई इंडिया' दोनों ही अभियानों में योग केंद्रीय भूमिका में है। ऐसे में योग सिर्फ व्यक्ति के जीवन में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बदलाव का कारक बन सकता है।

भारत ने अमृत काल के लिए सामाजिक न्याय की प्रतिमूर्ति जनजातीय समुदाय से आने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति के नेतृत्व में विकास का संकल्प लिया है और उसे साकार करने का आधार स्तम्भ बीते लगभग 9 वर्षों में तैयार भी कर दिया है। महिला सशक्तीकरण को भी काफी गति मिली है। घरों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी साफ नजर आने लगी है। महिलाओं के स्वयं के बैंक खाते हैं और वे अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों से संबंधित अधिकतर सूचक उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए 9 करोड़ से अधिक महिला शक्ति जुड़ी हैं। कोविड के दौरान इन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा मास्क उत्पादन का काम उल्लेखनीय रहा। ग्रामीण महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में समग्रता से भाग ले रही हैं। इस वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी (एफएलएफपीआर) 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हो चुकी है। निःसंदेह यह धारणा टूटी है कि युवतियाँ विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में रुचि नहीं रखतीं। एक समय था, जब विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या नगण्य सी हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में तेजी के साथ नारी सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही अपनी काबिलियत का परिचय नहीं दे रही हैं। अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। वे विज्ञानी, इंजीनियर के साथ पायलट आदि भी बन रही हैं। इसके अतिरिक्त वे खेल जगत में भी अपनी सफलता से प्रसिद्धि हासिल करने के साथ अन्य लड़कियों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही हैं। अब तो सेना में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। कई युवतियां तो युद्धक विमान उड़ा रही हैं। इसी तरह उद्योग–व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने को साबित कर रही हैं। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़े, इसके लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान तब बनता है, जब वहां की महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है।

महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उन्हे स्वावलंबी बनाने की दिशा में बीते 9 वर्ष में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे आधी आबादी को अपना हुनर दिखाने का सुरक्षित माहौल मिल रहा है। नए भारत की सोच महिला विकास तक सीमित नही है, बल्कि वह महिला के नेतृत्व में विकास की यात्रा पर निकल चुका है। अब जी–20 जैसे दुनिया के शक्तिशाली आर्थिक समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास को वैश्विक एजेंडे में शामिल कर विश्व समाज को एक नई दिशा देने की पहल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण की कहानी 'महिला–नेतृत्व वाले विकास' में ढल चुकी है। भारत का यह नवोन्मेशी नजरिया अब जी–20 का हिस्सा बन चुका है। इसमें ताउम्र सलाह–मशविरा जैसी सोच भी शामिल है, जिसमें माना जाता है कि महिला उद्यमियों की जरूरतें और चुनौतियां समय के साथ बदलती रहती हैं, जिनके समाधान के लिए अनुकूल परामर्श ढांचे की दरकार है। भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान लांच किया गया 'जी–20 इम्पॉवर' इसका बड़ा उदाहरण है, जो आकांक्षी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है और स्थापितों का मार्गदर्शन करता है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सोच है कि महिला सशक्तीकरण अब केवल सामाजिक न्याय का विषय नही है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम है कि सेना हो या स्टार्ट अप, ओलंपिक–पैरालंपिक हो या शोध, न्यू इंडिया में आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना हो या ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या का बढ़ना, यह बदलाव इस बात के संकेत हैं कि अमृत काल का नया भारत कितना सामर्थ्यशाली होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27% की बढोतरी हो सकती है। यदि 50% कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं तो विकास दर 1.5% बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो सकती है। बेशक, यदि वर्ष 2047 तक विकास दर में लगभग 9% की बढ़ोतरी होती रहेगी तो भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। ।

प्रमुख स्वतंत्रता सेनानीः पंजाब केसरी लाला लाजपत राय

बीरेन्द्र सिंह रावत*

"मेरे शरीर पर पड़ी एक–एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी"।

30 अक्तूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल होने पर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा सही साबित हुई और उनके बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका निर्विवाद रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए. ओ. ह्यूम (थियिसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य), दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरूआत से लेकर मध्य तक कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है कि किसी भी संगठन अथवा दल में व्यक्तियों के मध्य विचारों की भिन्नता होना आम बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ नेता अंग्रेजों के साथ सामंजस्य में सरकार बनाने के पक्ष में थे तो कुछ नेता हर हाल में अंग्रेजों से पूर्ण आजादी चाहते थे। ऐसे नेताओं को क्रमशः नरम दल और गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता था। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरु कर रहे थे तो गरम दल का नेतृत्व अरविन्द घोष के साथ लाल–बाल–पाल की तिकड़ी कर रही थी। लाल–बाल–पाल की तिकड़ी में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल थे।

प्रारंभिक जीवन

पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को धुड़ीके गाँव, पंजाब, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम लाला लाजपत राधाकृष्ण राय था। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल एक शिक्षक और फारसी एवं उर्दू के महान विद्वान थे और माता गुलाब देवी धार्मिक महिला थीं। लाजपत राय प्रारंभ से ही लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और समर्पण की भावना थी। ykyk yktir jk; dks mudh ns'k HkfDr dh Hkkouk dh otg ls ^iatkc dsljh* rFkk ^iatkc dk 'ksj* Hkh dgk tkrk FkkA लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1880 में कानून की पढ़ाई के करने के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहीं से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की।

करियर

1884 में उनके पिता जी का तबादला रोहतक हो गया और लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राय भी उनके साथ आ गये। 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था उस समय लाला लाजपत राय ने बड़े उत्साह के साथ इस नए आंदोलन को देखना शुरु कर दिया था। 1886 में वह हिसार चले गए जहाँ उनके पिता का स्थानांतरण हो गया था। उन्होंने कानून का अभ्यास करना शुरू कर दिया और बाबू चुरामणि के साथ हिसार की बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य बन गए। उसी वर्ष, उन्होंने महात्मा हंसराज को राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो–वैदिक स्कूल, लाहौर की स्थापना में मदद की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखाओं एवं कई अन्य स्थानीय नेताओं के साथ सुधारवादी आर्य समाज आंदोलन की भी स्थापना की। इनमें बाबू चुरामणि (वकील), तीन तायल भाई (चंदू लाल तायल, हरि लाल तायल और बालमोकंद तायल), डॉ. रामजी लाल हुडा, डॉ. धनी राम, आर्य समाज पंडित

** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

मुरारी लाल, सेठ छाजू राम जाट (जाट स्कूल, हिसार के संस्थापक) और देव राज संधीर शामिल थे।

राजनीतिक यात्रा

1888 में जब अली मुहम्मद भीम जी कांग्रेस की तरफ से पंजाब के दौरे पर आए, तब लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने नगर हिसार आने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया। यह कांग्रेस से मिलने का उनके लिए पहला मौका था जिसने इनके जीवन को एक नया राजनीतिक आधार दिया। 1888 में और फिर 1889 में उन्हें बाबू चुरामणि, लाला छबील दास और सेठ गौरी शंकर के साथ इलाहाबाद में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए हिसार से चार प्रतिनिधियों में से एक होने का सम्मान मिला। इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान उनके ओजस्वी भाषण ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गयी और इससे उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिली। इस तरह धीरे–धीरे लाला लाजपत राय कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। 1892 में वह लाहौर चले गए, वहां पर उन्होंने 'लक्ष्मी बीमा कंपनी' की स्थापना की और वर्तमान में भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक 'पंजाब नेशनल बैंक' की स्थापना में अहम योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाजपत राय के निष्पक्ष स्वभाव की वजह से ही इसके बाद उन्हें 'हिसार नगर निगम' का सदस्य चुना गया और फिर बाद में वह सचिव भी चुन लिए गए। लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता बन कर उभरे।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत की राजनीतिक नीति को आकार देने के लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की और 'द ट्रिब्यून' सहित कई समाचार पत्रों में नियमित योगदान दिया। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में शिविर लगाकर पीड़ितों की तन, मन और धन से सेवा की। 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के मध्य मतभेद खुलकर सामने आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल के नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे जबकि नरम दल के नेता इसे सिर्फ बंगाल तक रखना चाहते थे। हालांकि, साल 1906 में उनको कांग्रेस द्वारा गोपालकृष्ण गोखले के साथ शिष्टमंडल का सदस्य भी बनाया गया। कांग्रेस के नेताओं के मध्य मतभेद बढ़ते गए और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। बंगाल में शुरू हुआ धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देश के अन्य भागों में भी फैल गया। 1907 की इस क्रांति से लाहौर और रावलपिंडी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें 1907 में गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। लाला जी ने अपने जीवन में कई संघर्षों को पार किया। एक समय ऐसा भी आया कि जब लाला जी के विचारों से कांग्रेस के कुछ नेता पूरी तरह असहमत दिखने लगे क्योंकि वह उस गरम दल का हिस्सा थे जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज लेना चाहता था। वहीं कुछ समय तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद सन 1912 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस को ज्वॉइन कर लिया। इसके दो साल बाद 1914 में उन्होंने खुद को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने के लिए कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और पहले ब्रिटेन तथा फिर 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। वहां पर उन्होंने भारत की स्थिति में सुधार के लिए अंग्रेजों से विचार–विमर्श किए। साथ ही, वह जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल हो गए थे कि अगर आजादी चाहिए तो यह सिर्फ प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से मिलने वाली नहीं है। अमेरिका में उन्होंने स्वाधीनता प्रेमी अमेरिकावासियों के सामने भारत की स्वाधीनता का पक्ष बड़ी प्रबलता से अपने क्रांतिकारी किताबों और प्रभावी भाषणों से पेश किया। उन्होंने भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार के द्धारा किए गए अत्याचारों की भी खुलकर चर्चा की। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वह 1917 से 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। उनका प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम आर्य समाज और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से प्रभावित था। लालाजी जब 20 फरवरी 1920 को भारत लौटे तो उस समय तक वह देशवासियों के लिए एक महान नायक बन चुके थे। उन्हें कलकत्ता में कांग्रेस के खास सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ उन्होंने पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। जब गाँधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी बनाई। भारत की आजादी के महान नायक लाला लाजपत राय जी ने अपने कामों से लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, इसी वजह से लोग उन पर भरोसा करने लगे थे और उनके अनुयायी बन गए थे।

इसके बाद उन्होंने लाहौर में 'सर्वेन्ट्स ऑफ पीपल सोसाइटी' का गठन किया था, जो कि गैर लाभकारी संगठन था। वहीं उनकी बढती लोकप्रियता का प्रभाव ब्रिटिश सरकार

पर भी पड़ने लगा था और ब्रिटिश सरकार को भी उनसे डर लगने लगा था। ब्रिटिशर्स उन्हें कांग्रेस से अलग करना चाहते थे लेकिन यह करना ब्रिटिश शासकों के लिए इतना आसान नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साल 1921 से लेकर 1923 तक मांडले जेल में कैद कर लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनका यह दाँव उल्टा पड़ गया क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद लोगों के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने अपना फैसला बदलकर लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया था।

लाला लाजपत राय जब जेल से छूटे तो उन्होंने देश में बढ़ रही साम्प्रदायिक समस्याओं पर ध्यान दिया, दरअसल उस समय इस तरह की समस्याएं देश के लिए बड़ी खतरा बन चुकी थीं। दरअसल उस समय की परिस्थितियों में हिन्दू–मुस्लिम एकता के महत्व को उन्होंने समझ लिया था। इसी वजह से साल 1925 में उन्होंने कलकत्ता में हिन्दू महासभा का आयोजन किया, जहां उनके ओजस्वी भाषण ने बहुत से हिंदुओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था।

सामाजिक कार्य

लाजपत राय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलनों और आर्य समाज के एक दिग्गज नेता थे, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं को प्रेरित किया और पत्रकारिता लेखन के साथ उनके दिलों में देशभक्ति की छिपी भावना जगाई। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चन्द्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य अनेकों क्रांतिकारी युवा उनसे प्रेरित थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में लाला लाजपत राय स्वयं हिसार कांग्रेस, हिसार बार काउंसिल, राष्ट्रीय डीएवी प्रबंधन समिति सहित कई संगठनों के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय 'लक्ष्मी बीमा कंपनी' के प्रमुख भी थे और उन्होंने कराची में लक्ष्मी बिल्डिंग की स्थापना की थी, जिस पर आज भी उनकी याद में एक पट्टिका लगी हुई है। 1956 के दौरान जीवन बीमा व्यवसाय का सामूहिक राष्ट्रीयकरण होने पर लक्ष्मी बीमा कंपनी का भारतीय जीवन बीमा निगम में विलय कर दिया गया था।

1926 में लाला लाजपत राय ने अपने पिता श्री राधाकृष्ण की स्मृति में आरके ट्रस्ट की स्थापना की। 1956 में आरके ट्रस्ट ने जगराओं में लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना की। बाद में कॉलेज को डीएवी प्रबंधन के अधीन ले लिया गया और इसका नाम बदलकर लाजपत राय डीएवी कॉलेज कर दिया गया। आरके ट्रस्ट जगराओं में आरके हाई स्कूल का प्रबंधन भी करता है। लाला लाजपत राय के छोटे भाई लाला धनपत राय को उनके द्वारा आरके हाई स्कूल का पहला प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था।

1927 में लाजपत राय ने महिलाओं के लिए एक तपेदिक अस्पताल बनाने और चलाने के लिए अपनी मां की स्मृति में एक ट्रस्ट की स्थापना की, कथित तौर पर उस स्थान पर जहां उनकी मां गुलाब देवी की लाहौर में तपेदिक से मृत्यु हो गई थी। इसे गुलाब देवी चेस्ट अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा और 17 जुलाई 1934 को खोला गया। अब गुलाब देवी मेमोरियल अस्पताल वर्तमान पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जो एक समय में 2000 से अधिक रोगियों को सेवा प्रदान करता है।

साइमन कमीशन का विरोध

03 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला जी भी शामिल हो गए और इस कमीशन का विरोध करने लगे। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा एवं रपट तैयार करने के लिए बनायी गयी सात सदस्यों की कमेटी थी। यह सभी भारत में संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी मंशा के आधार पर तैयार करने के लिए भारत आये थे। जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। साइमन कमीशन के भारत में आने के साथ ही इसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई। चौरी–चौरा कांड के बाद गाँधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से आजादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब टूट चुका था। लोग फिर से सड़कों पर निकल कर आने लगे और देखते ही देखते पूरा देश 'साइमन गो बैक (साइमन वापस जाओ)' के नारों से गूंज उठा।

साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था, जिसका नेतृत्व लालाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़े जनसैलाब को देखकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। इस प्रदर्शन से डरे अंग्रेजों ने लालाजी और उनके दल पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें शामिल युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की इस लाठी से डरे नहीं और जमकर उनका सामना किया। इस लाठीचार्ज में लाला जी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को इस वीर ने हमेशा के लिए आंखे मूंद लीं। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निर्णय किया। इन जांबाज देशभक्तों ने लाला जी की मौत के ठीक एक महीने

बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसम्बर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफ़सर सांडर्स को गोली से उड़ा दिया। बाद में सांडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगतसिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

लाला लाजपत राय की स्मृति में स्थापित स्मारक एवं संस्थान

लाहौर में लाजपत राय की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे बाद में भारत के विभाजन के बाद शिमला के सेंट्रल स्क्वायर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1959 में लाला लाजपत राय ट्रस्ट का गठन उनके शताब्दी जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पंजाबी परोपकारियों (आरपी गुप्ता और बीएम ग्रोवर सहित) के एक समूह द्वारा किया गया था। मुंबई में लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1998 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मोगा उनके नाम पर रखा गया था। 2010 में हरियाणा सरकार ने उनकी स्मृति में हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

हिसार में उनकी प्रतिमा के साथ लाला लाजपत राय चौराहा, नई दिल्ली में लाजपत नगर और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क, दिल्ली के चांदनी चौक में लाजपत राय मार्केट; खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेजिडेंस; कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल; उनके गृहनगर जगराओं में बस टर्मिनल, कई संस्थानों, स्कूलों और पुस्तकालयों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जिसमें प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्ति के साथ एक बस टर्मिनल भी शामिल है। इसके अलावा, भारत के कई महानगरों और अन्य शहरों में उनके नाम पर कई सड़कें हैं।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

भावनाओं की भाषा है हिंदी

l/kk okgjk*

कई प्रदेशों से, जिलों से, शहरों से,
गलियों से हो कर निकलती है,
कभी लहजा तो कभी शब्द बदलती है,
पर जहाँ–जहाँ से गुजरती है,
लोगों से लोगों के जुड़ने का
जरिया बनती है हिंदी।

कभी आधी–अधूरी, कभी पूरी,
कभी टूटी–फूटी ही समझ आती हो किसी को,
फिर भी एक–दूसरे को समझने का
तरीका बन जाती है हिंदी।

कभी सात समंदर पार,
गलती से कानों में पड़ जाये तो,
गर्मी की धूप में ठंडी हवा के झोंके सी
मन को छू जाती है हिंदी।
जहाँ वजह नहीं कोई बात करने की,
वहां बातों का सिलसिला बन जाती है हिंदी।

दिन भर चाहे मुँह पे रहे अंग्रेजी,
पर दिल की बात बयाँ करने होठों पे आती है हिंदी,
स्क्रीन पे अक्षर अंग्रेजी के टाइप करते चलें तो भी,
गीत गुनगुनाने आती है हिंदी।

माता–पिता

yef t xjUck {kf=e;e**

जनक–जननी को करते प्रणाम
जिन्होंने दिया अपना नाम।
करना है जग में रहकर
सबसे अलग अपना नाम।।

सबसे अच्छा बच्चा बनकर
माता–पिता को खुश रखकर
खुद को खुश रखना
यह सभी बच्चों को है करना।।

जब गलत करता
मुझको माँ से बहुत डाँट मिलती
और पापा कमरे में आकर मुझे हंसाते।।
पापा के साथ विद्यालय जाता
मुझे बड़ा मजा आता
गाड़ी में गाना सुनते और गाते
घर में खिलौनों के साथ मजे से खेलते।।

माता मेरे लिए खाना बनाती
सुलाने के लिए मुझे कहानी सुनाती।।
जनक–जननी को करते प्रणाम
जिन्होंने दिया अपना नाम।
करना है जग में रहकर
सबसे अलग अपना नाम।।

---

* *आशुलिपिक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा* ** सुपुत्र डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

हमारा राष्ट्रीय चिन्हः अशोक स्तंभ

गीता अरोड़ा*

वर्तमान में दुनियाभर में 200 से अधिक देश हैं और उनकी पहचान के सबसे प्रमुख माध्यम उनके राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। हमारे यहां भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनमें से एक है अशोक स्तंभ जो कि देश के आत्म विश्वास और संवैधानिक मूल्यों की नींव का प्रतीक माना जाता है। कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक–दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसे सिंहचतुर्मुख कहते हैं। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर सांड, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच–बीच में चक्र बने हुए हैं। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक स्तंभ के चारों शेर साहस, गर्व, शक्ति और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं।

भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है। अशोक स्तंभ में चार शेर हैं, लेकिन तीन ही शेर दिखाई पड़ते हैं। इसकी गोलाकार आकृति की वजह से आप किसी भी तरफ से देखें तो आपको केवल तीन ही शेर दिखाई पड़ते हैं। एक शेर हमेशा नहीं दिखाई पड़ता। इसके नीचे पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं तथा बाएं दोनों छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। इस चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया गया है।

* पर्यवेक्षक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

आधार का पदम छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही फलक के नीचे मुण्डकोपनिषद का सूत्र *lR;eo t ;r* देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है – *lR; dh gh fot ; gkrh gA* करीब सवा दो मीटर का सिंहचतुर्मुख आज की तारीख में सारनाथ म्यूजियम में रखा है। जिस अशोक स्तंभ का यह शीर्ष है, वह अब भी अपने मूल स्थान पर ही है। सम्राट अशोक ने करीब 250 ईसा पूर्व सिंहचतुर्मुख को स्तंभ के शीर्ष पर रखवाया था। ऐसे कई स्तंभ अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अपने साम्राज्य में कई जगह लगवाए थे, जिनमें से साँची का स्तंभ प्रमुख है। अब केवल सात अशोक स्तंभ ही बचे हैं। कई चीनी यात्रियों के विवरणों में इन स्तंभों का जिक्र मिलता है। सारनाथ के स्तंभ का भी ब्योरा दिया गया था मगर 20वीं सदी की शुरुआत तक इसे खोजा नहीं जा सका था। वजह, पुरातत्वविदों को सारनाथ की जमीन पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता था कि नीचे ऐसा कुछ दबा हो सकता है। सारनाथ के जिस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है, उसमें दिखाए गए सिंहों का भी अपना महत्व है। हालांकि चार में से केवल तीन ही सिंह प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक सिंह विश्वगुरु और तथागत बुद्ध माने जाते हैं। पालि गाथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध शाक्यसिंह और नरसिंह भी माने गए हैं। बुद्ध ने वर्षावास समाप्ति पर मृगदाव में भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु *cgtu fgrk; cgtu l[kk;* का प्रचार करने को कहा था। यही जगह आज सारनाथ के नाम से मशहूर है। इसलिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट व सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों का निर्माण करवाया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का यह चौमुखी सिंह स्तंभ विश्वगुरू तथागत बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन तथा उनके लोक कल्याणकारी धर्म के प्रतीक के रूप में स्थापित है।

1851 में खुदाई के दौरान साँची से एक अशोक स्तंभ मिल चुका था। उसका सिंहचतुर्मुख सारनाथ वाले से थोड़ा अलग है। ब्रिटिश राज पर कई किताबें लिखने वाले मशहूर इतिहासकार चार्ल्स रॉबिन एलेन ने सम्राट अशोक से जुड़ी खोजों पर भी लिखा। Ashoka: The Search for

India's Lost Emperor में वह सारनाथ के अशोक स्तंभ की खोज का विवरण देते हैं। उनके अनुसार फ्रेडरिक ऑस्कर ओरटेल की पैदाइश जर्मनी में हुई थी। वह जवानी में जर्मन नागरिकता छोड़कर भारत आए और तब के नियमों के हिसाब से ब्रिटिश नागरिकता ले ली। रुड़की के थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग (अब आईआईटी रुड़की) से डिग्री ली। रेलवे में बतौर सिविल इंजीनियर काम करने के बाद फ्रेडरिक ऑस्कर ओरटेल ने लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर ले लिया।

1903 में ओरटेल की तैनाती बनारस (अब वाराणसी) में हुई। सारनाथ की वाराणसी से दूरी बमुश्किल साढ़े दस–ग्यारह किलोमीटर होगी। ओरटेल के पास आर्कियोलॉजी का कोई अनुभव नहीं था, इसके बावजूद उन्हें इजाजत मिल गई कि वह सारनाथ में खुदाई करवा सकें। सबसे पहले मुख्य स्तूप के पास गुप्त काल के मंदिर के अवशेष मिले, उसके नीचे अशोक काल का एक ढाँचा था। पश्चिम की तरफ फ्रेडरिक को स्तंभ का सबसे निचला हिस्सा मिला। आस–पास ही स्तंभ के बाकी हिस्से भी मिल गए। फिर साँची जैसे शीर्ष की तलाश शुरू हुई। एलेन अपनी किताब में लिखते हैं कि विशेषज्ञों को लगा कि किसी समयकाल में स्तंभ को जानबूझकर ध्वस्त किया गया था। फ्रेडरिक के हाथ तो जैसे लॉटरी लग गई थी। मार्च 1905 में स्तंभ का शीर्ष मिल गया। सारनाथ में अशोक स्तंभ की खोज भारत में आर्कियोलॉजी की बेहद महत्वपूर्ण घटना थी। जहाँ स्तंभ मिला था, फौरन ही वहाँ म्यूजियम बनाने के आदेश दे दिए गए। सारनाथ म्यूजियम भारत का पहला ऑन–साइट म्यूजियम है। अगले साल जब शाही दौरा हुआ तो फ्रेडरिक ने वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी (बाद में किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी) को सारनाथ में अपनी खोज दिखाई। अगले 15 सालों के दौरान फ्रेडरिक ने बनारस, लखनऊ, कानपुर, असम में कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया। 1921 में वह यूनाइटेड किंगडम लौट गए। 1928 तक फ्रेडरिक लंदन के टेडिंगटन स्थित जिस घर में रहे, उसे उन्होंने 'सारनाथ' नाम दिया था। वह भारत से कई ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ अपने साथ ले गए थे।

दरअसल सारनाथ का अशोक स्तंभ धर्मचक्र वर्तन की घटना की याद के तौर पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना धर्मसंघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए की गई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड पर बना हुआ है। जमीन के अंदर धंसे आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से चार भागों में बंटा है। उनमें हाथी, घोड़ा, सांड (बुद्ध की वृष राशि का प्रतीक) और सिंह की सजीव आकृतियाँ उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपर शीर्ष में चार सिंह मूर्तियाँ हैं, जो एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त इसका निचला भाग अपने मूल स्थान में है। शेष संग्रहालय में रखा है। धर्मचक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हैं। वाराणसी के नजदीक सारनाथ और भोपाल के करीब साँची में बने स्तंभ में शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए गए थे।

देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कोई मामूली प्रतीक नहीं है। अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उस वक्त मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक, बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। अपने शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित करवाए। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि यह राज्य उनके अधीन है। वह एक क्रूर शासक माने जाते थे। कंलिग युद्ध के नरसंहार ने इस क्रूर शासक का ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि उसने अपना जीवन बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। इसी बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका पूरा परिवार शामिल हो गया और उन्होंने सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। यहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसे सिंह गर्जना के तौर पर भी जाना जाता है।

जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो एक राष्ट्रीय प्रतीक की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 30 दिसंबर 1947 को सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंहचतुर्मुख की अनुकृति को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। इधर संविधान ड्राफ्ट किए जाने की शुरुआत हुई। हाथों से लिखे जा रहे संविधान पर भी राष्ट्रीय प्रतीक उकेरा जाना था। संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाने का काम मिला आधुनिक भारतीय कला के पुरोधाओं में से एक नंदलाल बोस को। बोस ने एक टीम बनाई जिसमें 21 साल के दीनानाथ भार्गव भी थे। बोस का मन था कि संविधान के शुरुआती पन्नों में ही सिंहचतुर्मुख चित्रित होना चाहिए। चूंकि भार्गव कोलकाता के चिड़ियाघर में शेरों के व्यवहार पर रिसर्च कर चुके थे, इसलिए बोस ने उन्हें चुना। 26 जनवरी 1950 को 'सत्यमेय जयते' के ऊपर अशोक के सिंहचतुर्मुख की एक अनुकृति को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया।

इसकी ताकत इतनी है कि यह एक साधारण से कागज पर लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देता है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को प्रदर्शित

करता है। अशोक की लाट वाले इस राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है। केवल संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें देश के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी जैसे लोग आते हैं। हालांकि रिटायर होने के बाद कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी बगैर अधिकार के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी इस प्रतीक का बेजा इस्तेमाल होने पर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (दुरुपयोग की रोकथाम) एक्ट 2005 बनाया गया। साल 2007 में इसमें सुधार कर अपडेट किया गया। इसके तहत बगैर अधिकार कोई भी इसका इस्तेमाल करता है तो उसे दो साल की कैद और पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज जो अशोक स्तंभ से ली गई है, वह है अशोक चक्र। अशोक चक्र को राष्ट्रध्वज में देखा जा सकता है। अशोक चक्र को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह चक्र हमें बताता है कि चलते रहना ही जीवन है और रुक जाना मृत्यु। इस चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियाँ होती हैं। इसकी 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अगर देश के सभी नागरिक इन 24 गुणों को अपना लें, तो देश को उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी वजह से 1947 में हमारे नीति निर्माताओं द्वारा अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। अशोक चक्र की 24 तीलियाँ क्रमानुसार मनुष्य के निम्नलिखित 24 गुणों को दर्शाती हैं: संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार और बुद्धिमत्ता।

आजादी के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम उपर्युक्त गुणों को आत्मसात करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सदैव सम्मान करें और भारत की प्रगति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान करें ताकि भारत के विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सके। जय हिंद।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

अभिलाषा

बीरेन्द्र सिंह रावत*

सुबह–सुबह की भीनी हवा का झोंका हो,
या हो भरी दुपहरी की चिलचिलाती धूप।
हम उम्रों का होता है स्कूल आना–जाना,
पर अपने सामने होता है कूड़े का स्तूप।
निकृष्टता से न देखो, जीवन का है दाम,
दो जून की रोटी पाने को करते यह काम।

मेरा भी मन करता है कि खूब खेलूँ–कूदूँ,
पर मेरी किस्मत में तो है ढोना बोझ।
कब सुबह हुई या फिर कब दिन ढला,
मुझे पता ही नहीं चल पाता है हर रोज।
उठाना है मजबूरी शरीर के जितना वजन,
और इसी प्रकार बीतता है अपना बचपन।

इस दुनिया में आते हैं सब एक समान,
अपनों को प्यार, दूजे की लगाते दुकान।
बहुत निर्दयी एवं निष्ठुर हैं इस संसार में,
जो दैवीय आदेश का भी करते अपमान।
पूँजी–पिपासु! मत कर कभी तू यह भूल,
वहाँ देर है अंधेर नहीं, मिलेंगे तुम्हें शूल।

सुना है बहुत सारी हैं सरकारी योजनाएँ,
करने हम असहाय–मजबूरों का उत्थान।
कार्यान्वयन प्रवर्तन की समुचित रीति के,
बिना बाल श्रम का कलंक है विद्यमान।
प्रबुद्ध जनो! गंभीरता से करें यह ध्यान,
मिले हमें कैसे श्रम से मुक्ति एवं मान।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के साथ ही,
सब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार।
अभिलाषा है कोई हम बाल श्रमिकों का
पुनर्वास करते हुए दे दे हमें ऐसी दीक्षा
कि हम अबोध बालकों को करना पड़े
न श्रम और न मांगनी पड़े कभी भिक्षा।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 07 मार्च 2023 को संस्थान में 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला के विषय का संदर्भ प्रस्तुत किया। डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि डॉ. रचना बिमल, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ दीं। श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि का परिचय देने के बाद उनसे प्रतिभगियों को संबोधित करने का अनुरोध किया। डॉ. रचना बिमल ने कार्यशाला के विषय पर आने से पहले भारत में वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति से प्रतिभगियों को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्नीसवी शताब्दी में समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ से लेकर अंत तक उन्होंने न केवल शंतिपूर्ण आन्दोलनों में पूरी सक्रियता से भाग लिया अपितु वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं। कुल मिलाकर महिलाओं के अंदर उस समय जो राष्ट्रचेतना पैदा हुई थी उसने यह सिद्ध कर दिया कि वे ऐसी राष्ट्रीय शक्ति हैं जो राष्ट्र की स्वाधीनता और अधिकारों के लिए सभी बंधनों से उन्मुक्त होकर लड़ सकती हैं। देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली अनेक वीरांगनाओं ने युद्ध में अंग्रेजों के सम्मुख अपना लोहा मनवाया। अंत में, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए डॉ. रचना बिमल ने सभी प्रतिभागियों से आजादी के दीवानों को सदैव याद करने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथि के संबोधन के बाद संस्थान के कर्मचारियों द्वारा विषय पर कविता पाठ किया गया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

हिंदी का वैश्वीकरण

डॉ. अश्विनी कुमार दुबे*

विगत दो–तीन दशको में समूचे विश्व में जितना परिवर्तन हुआ है उतना परिवर्तन विगत सदियों में नहीं हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और उन्नत संचार व्यवस्था ने सम्पूर्ण जगत को एक विश्वग्राम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। विश्व के प्रत्येक कोने में व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन बहुत बढ़ गया है। इसी के बीच 'वैश्वीकरण अथवा भूमण्डलीकरण' की विचारधारा ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण, भारतवर्ष की भव्य व उच्च सभ्यता और संस्कृति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात 'सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है' पर आधारित है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विचारों, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्थाओं के आदान–प्रदान की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विदेशों से व्यापार करने के लिए संप्रेषण के लिए आवश्यकतानुसार भाषा अपनानी पड़ती है। वस्तुओं की बिक्री और उनके प्रचार में अपनाये जाने वाले साधनों में स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है। भारत में इस कार्य के लिए अधिकतर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपना माल बेचने के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ उपयोग कर रही हैं। यह भी भविष्यवाणी की जा रही है वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व की 10 भाषाएँ ही जीवित रहेंगी, जिनमें हिंदी भी एक होगी। वैश्वीकरण और बाजारवाद के संदर्भ में हिंदी का महत्व इसलिए बढेगा क्योंकि भविष्य में भारत व्यावसायिक, व्यापारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से एक विकसित देश होगा।

'हिंदी का वैश्वीकरण' का तात्पर्य 'विश्व में हिंदी भाषा की व्यापकता' से है। किसी भी भाषा के वैश्विक स्वरूप से परिचित होने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इसे विश्व में कितने लोग बोलते हैं। विश्व की प्रत्येक उस भाषा को विश्वभाषा कहा जा सकता है जिसके प्रयोक्ता एक से अधिक देशों में बसे हैं। परंतु विश्वभाषा पद की अधिकारिणी वे भाषाएँ हैं जो विश्व के अधिकतर देशों में पढ़ी, लिखी, बोली, और समझी जाती हैं। वस्तुतः प्रत्येक विश्वभाषा के प्रमुख कार्य होते है – बोलचाल एवं जनसंपर्क, साहित्य सृजन, शिक्षा एवं जनसंचार माध्यम, प्रशासनिक कामकाज, व्यावसायिक एवं तकनीकी अनुप्रयोग और विश्वबोध या वैश्विक चेतना। विश्वभाषा से अपेक्षाएं होती हैं कि उसे बोलने समझाने वालों का भौगोलिक विस्तार हो। दूसरी अपेक्षा है कि वह भाषा लचीली हो, उसमें भिन्न संदर्भो की अभिव्यक्ति की क्षमता हो, उसका एक सर्वस्वीकृत मानक रूप हो, उसमें उपमानकों की कुछ हद तक स्वीकार्यता के बावजूद परस्पर संप्रेषणीयता किसी न किसी स्वीकृत मानक के माध्यम से बनी हुई हो। विश्वभाषा से तीसरी अपेक्षा है कि भाषा में विश्व के मन का भाव हो। हिंदी में यह समस्त गुण हैं।

हिंदी विश्व की श्रेष्ठ एवं समृद्ध भाषा है जिसकी लोकप्रियता विकासशील देशों में निरंतर बढ़ती जा रही है। हिंदी एक विश्वभाषा है क्योंकि इसको बोलने समझने वाले संसार के सब महाद्वीपों में फैले हैं। विश्व के 137 देशों में भारतीय मूल के 2 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं जिनकी संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा नेपाल, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे अन्य देशों में भी बोली जाती है। भारत के बाहर विश्व के विभिन्न देशों के 125 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का पठन–पाठन हो रहा है। जनतांत्रिक आधार पर भी हिंदी विश्वभाषा है क्योंकि उसको बोलने समझने वालों की संख्या संसार में तीसरे स्थान पर है। हिंदी का किसी भी देशी अथवा विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। हिंदी स्वयं में एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छिपाए हुए है। अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनी, आर्य, द्रविड़, आदिवासी विभिन्न भाषाओं के शब्द इसकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुम्बकम् वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। भारत के आकाशवाणी और दूरदर्शन हिंदी को विश्वस्तर पर स्थापित करने में निरंतर कार्यरत हैं। विश्व के टी. वी. चैनलों से हिंदी के कार्यक्रमों के प्रसारण ने भी हिंदी को विश्वभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी की व्यापकता के कारण विश्व के 175 देशों में हिंदी के अनेक शिक्षण–प्रशिक्षण केंद्र बन गए हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 100 से अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी

* *वैज्ञानिक ग्रेड–III, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नौएडा/नराकास (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में 16 दिसम्बर 2022 को आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता।*

पढाई जा रही है। इससे हिंदी का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

मॉरीशस एक ऐसा देश है जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के प्रवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाये जाने की मुहिम की शुरुआत नागपुर (भारत) में 10 जनवरी 1975 को आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मलेन में हुई थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री के तौर पर वर्ष 1977 में और प्रधानमंत्री के तौर पर वर्ष 2002 में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा नहीं है परंतु व्यवहारिक स्तर पर उसकी सभी एजेंसियों की मान्य भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में नियमित रूप से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। जिन देशों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, उन देशों का एक संगठन बनाने का प्रयास भी भारत सरकार कर रही है।

वस्तुतः मारीशस ऐसा पहला देश है जहाँ संसद द्वारा कानून बनाकर हिंदी को बढ़ावा देने का दायित्व सरकार ने संभाला है। अकेले मॉरीशस में ही हिंदी की लगभग 42 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। विदेशी भूमि पर प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिकाओं में 'सौरभ', 'विश्वा' और 'विश्व विवेक' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन 1881 में कलाकार रमेश रामपाल सिंह एक त्रिभाषी (हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी) त्रैमासिक पत्रिका लंदन से प्रकाशित करते थे जो कि 1887 में एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में परिवर्तित हो गयी। विदेशों से प्रकाशित कुछ पत्र–पत्रिकाओं के नाम नीचे सारणी–1 में दिए गए हैं:

भारत के बाहर हिंदी के लेखकों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में

lkj.kh & 1% fon’kks ls çdkf’kr dqN i=&if=dkvks ds uke

क्रम संख्या	पत्र/पत्रिकाओं के नाम	प्रकाशक देश/स्थान
1	हिन्दोस्तान (त्रिभाषी त्रैमासिक पत्रिका)	लंदन
2	चीन सचित्र, जन सचित्र	चीन
3	भित्ति पत्रिका (हस्तलिखित)	पेइचिंग विश्वविद्यालय, चीन
4	शांतिदूत, त्रिवेणी, परिचय, पहचान, स्पाईल, अल्फाओमेगा, अप्रवासी टाइम्स आदि	नॉर्वे
5	ज्योति, कोहिनूर, आर्य संदेश	त्रिनिदाद एवं टोबागो
6	सूरीनाम दर्पण, प्रेम संदेश, भारतोदय, सनातन धर्म प्रकाश, विकास और जागृति, आर्य दिवाकर	सूरीनाम
7	संगम (पाक्षिक पत्र), संवाद (मासिक पत्रिका)	टोरंटो, कनाडा
8	मॉरीशस आर्य पत्रिका, मॉरीशस मित्र, दुर्गा, बसंत, आर्यवीर जागृति, जमाना, मजदूर, अनुराग आदि	मॉरीशस
9	साहित्यलोक	नेपाल
10	'सौरभ', 'विश्वा' और 'विश्व विवेक'	अमेरिका

सारणी –2: विदेशों में हिंदी के कुछ लेखकों के नाम

क्रम संख्या	लेखक	स्थान/देश
1	अभिमन्यु अनंत, रामदेव घुरघुर, पुजानंद नेमा आदि	मॉरीशस
2	वरिन्कोव चेलीशेव, सैकेविच उलत्सफेरोव आदि	रूस
3	प्रो. ओदोलेन स्मेकल	चेक गणराज्य
4	मरिया क्षिस्तोनफ	पोलैंड
5	डॉ. गाई लिओल बैक	अमेरिका
6	डॉ. क्रिस्टीयाना श्लनकारव	जर्मनी

विशिष्ट कार्य किया है। इंग्लैंड, मॉरीशस, फिजी, अमेरिका के अनेकानेक लेखक अपने लेख हिंदी में लिख रहे हैं जो उनके हिंदी के प्रति प्रेम को दर्शाता है। विदेशों में हिंदी के कुछ लेखकों के नाम सारणी–2 में दिए गए हैं:

विभिन्न देशों में कई इकाइयाँ हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी कई बार गुंजायमान हो चुकी है। जो भारतीय दूसरे देशों में चले गए, खासकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, वे अपने साथ हिंदी ले गए, जिससे भाषा का विश्व स्तर पर अधिक प्रसार हुआ है। प्रवासी भारतीय वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष वाहक लगते हैं और ऑडियो –वीडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके बीच हिंदी एक जीवंत कड़ी बन रही है। देश–विदेश में प्रकाशित होने वाले पत्र–पत्रिकओं ने हिंदी को विश्वभाषा बनाया है। इंटरनेट पर हिंदी लोकप्रिय हो रही है, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर में प्रसारित होने लगा है। अंग्रेजी के बाद हिंदी भाषा का ही कंप्यूटर व इंटरनेट की दुनिया में बर्चस्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए 'भारतीय संस्कृति संबंध परिषद' महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसने दुनिया भर में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना की है। इन विश्वविद्यालयों में यह भारत से ही शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजती है, जो उस देश में हिंदी के प्रचार–प्रसार, अध्यापन, शोधकार्य इत्यादि में सहयोग करते हैं। यह प्रति वर्ष योग्य हिंदी प्राध्यापकों का पैनल भी तैयार कराती है।

हिंदी के प्रचार–प्रसार को गति देने के लिए विदेश मंत्रालय में 'हिंदी एवं संस्कृत प्रभाग' का गठन किया गया है। यह विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करता है। यह विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से हिंदी के प्रचार–प्रसार में जुटी संस्थाओं को हिंदी कक्षाएं आयोजित करने एवं अन्य गतिविधियों के लिए अनुदान देता है। साथ ही, यह विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

विदेशी कंपनियाँ अपने उत्पादों को भारतीय बाजारों में बेचने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। भारतीय बाजार की ताकत जैसे–जैसे बढ़ेगी, भारतीय भाषाओं और हिंदी की भूमिका व्यापक होगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हम अपने यहाँ के उत्पादों, चाहे वे औषधियाँ हों या उपभोग्ता वर्ग की अन्य अनिवार्य वस्तुएं आदि, पर लेबलिंग हिंदी में करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे हिंदी का प्रचार–प्रसार भी होगा। विश्व व्यापार आयात–निर्यात के क्षेत्रों में दस्तावेजों आदि के लिए प्रयुक्त मानक फॉर्म मात्र दिखावा बनकर रह गए हैं, उनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। भारत सरकार को इन क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की अवश्यकता है।

हिंदी भाषा के वैश्वीकरण को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक भाषा के मानकीकरण की कमी है। हिंदी के मानकीकृत लिखित रूप का विकास एक वैश्विक भाषा के रूप में इसके उपयोग में सुधार कर सकता है और शिक्षार्थियों के लिए इसे समझना आसान बना सकता है। इसलिए हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए और हिंदी लिखते–बोलते समय हिंदी के मूल शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। अन्य बोली, भाषा के शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। यद्यपि हिंदी भारत और कुछ अन्य देशों में व्यापक रूप से बोली जाती है, फिर भी इसकी अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सीमित मान्यता है, विशेष रूप से व्यापार और शैक्षणिक दुनिया में।

हिंदी सीखने वालों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भाषा संसाधनों, जैसे पाठ्यपुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और शब्दकोशों की कमी भी हिन्दी के वैश्वीकरण में बाधक है। अधिक उच्च गुणवत्ता वाले भाषा संसाधन, जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शब्दकोश हिंदी सीखने वालों को भाषा तक आसानी से पहुंचने में मदद कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द अभी तक हिंदी में मानकीकृत नहीं हुए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में भाषा का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विकसित की जानी चाहिए। भारत सरकार को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी भाषा के कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने जैसी पहलों के माध्यम से विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार में निवेश करने की आवश्यकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के साथ–साथ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं अधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने के लिए कुछ ठोस पहल की जाए।

आजादी के 77 साल बेमिसाल

राजेश कुमार कर्ण*

लगभग दो सौ साल तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ था। इन चुनौतियों के बीच हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं को सब तक पहुंचाने में शिद्दत से जुटे रहे। आजादी के बाद के कुछ वर्षों में नीतिगत मोर्चे पर कुछ खामियाँ रहीं, लेकिन हम धीरे–धीरे आगे बढ़ते रहे। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि कभी जिन वस्तुओं के लिए हम पूरी तरह आयात पर निर्भर थे, आज उनमें हम आत्मनिर्भर हुए हैं। कई वस्तुओं के निर्यात में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की नई कहानी लिख रहा है। विगत एक दशक इस विकास को गति देने वाले रहे। आज वैश्विक मंच पर भारत की बात न सिर्फ सुनी जा रही है, बल्कि कई मामलों में हम दुनिया की अगुआई कर रहे हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने व्यापक एवं बहुपक्षीय परिवर्तन देखा है। भारत इस समय विश्व की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। इस सफर में लचीलापन भी है और नवोन्मेष भी।

स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्षों में देश की जो विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं, उनमें शिक्षा के विस्तार को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। स्वतंत्रता मिलने के समय देश की साक्षरता दर मात्र 18% थी, जो आगे बढ़ने की राह में बड़ी चुनौती थी। देश की साक्षरता दर बढ़कर 77% हो गई है। 1947 में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 20 और कॉलेजों की संख्या 591 मात्र थी। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या 1113 है, जिनमें कुल मिला कर 4.2 करोड़ युवा उच्च शिक्षा पा रहे हैं। आज देश में 15 लाख से ज्यादा प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल हैं, जिनमें 30 करोड़ बच्चे शिक्षा पाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक इन्हें पढ़ाते हैं। शिक्षा का बजट 1947 में 2.2 करोड़ रुपये था, जो कि अब एक लाख करोड़ रुपये के आस–पास रहता है। आज भारत के शिक्षा जगत का आकार संख्यात्मक रूप से दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। देश के शीर्षस्थ 5% विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान, जिनमें 20 आईआईटी, 21 आईआईएम, 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनआईटी और एम्स भी शामिल हैं, जो दुनिया के अनेक नामचीन संस्थानों से टक्कर ले सकते हैं।

पिछले 75 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में भारी बदलाव आया है। जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष से दोगुनी से अधिक होकर लगभग 70 वर्ष हो गई है। रोकथाम योग्य बीमारियों के कारण कम बच्चे मरते हैं और माताओं की गर्भावस्था में मृत्यु का जोखिम कम हो गया है। प्रति महिला छह बच्चों का जन्म और प्रति हजार जन्म पर 180 शिशुओं की मृत्यु भी बड़ी चिंता का विषय थी। प्रति हजार पर शिशु मृत्यु दर अब घटकर अब 27.7 रह गई है। चेचक की बीमारी खत्म हो चुकी है और पोलियो अब भारत में नहीं है। टीकों से रोकी जा सकने वाली अधिकांश बीमारियों में कमी आई है। आज इन संकेतकों पर हमारी उपलब्धियाँ इतराने वाली हैं। भारत में लगभग 650 मेडिकल कॉलेज और 777 नर्सिंग कॉलेज हैं। 10 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर हैं। यह सराहनीय प्रगति है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. चन्द्रकांत लहारिया के अनुसार स्वास्थ्य सुधार में भारत की यात्रा 1946 की सर जोसफ भौरे समिति की रिपोर्ट से शुरू हुई और उसके बाद हर दशक में गठित कई उच्च स्तरीय समितियों द्वारा निर्देशित हुई। देश ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में जारी की थी और उसके बाद 2002 तथा फिर 2017 में दो और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों जारी की गईं। पिछले दो दशकों में प्रमुख स्वास्थ्य पहलों में से कुछ 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और फिर 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम हैं। ये सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में अंतर ला रहे हैं। कई राज्यों ने भी अपने स्तर पर कदम उठाये हैं।

15 अगस्त 1947 को भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ इसकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की शुरुआत भी हुई थी। अंग्रेज अपने पीछे आर्थिक रूप से कमजोर एवं अस्थिर भारत छोड़ गए थे। वर्ष 1947 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपये और जनसंख्या 34 करोड़ थी। कैंब्रिज के इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1700 में 22.6% (यूरोप के 23.3% के बराबर) से घटकर 1952 में मात्र 3.8% रह गई थी। इसे देखते हुए कई विदेशी विशेषज्ञ एकजुट रहने की भारत की क्षमता पर संदेह जताने लगे थे। तब भारतीय नेता भी चिंतित थे कि कहीं व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी न कर ले। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पिछले 75 वर्षों में भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। आज देश की जीडीपी लगभग 375 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

वर्ष 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सिंचाई पर केंद्रित थी। 1956 में शुरू की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत की दीर्घकालिक विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक आधुनिकीकरण की नींव रखी। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लालबहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप वित्त

* *आशुलिपिक सहायक ग्रेड–I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

वर्ष 1978-79 में 13.1 करोड़ टन का रिकार्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया। पिछली सदी का सातवां दशक भारत के लिए विभिन्न आर्थिक न चुनौतियां भी लेकर आया था। रुपये के अवमूल्यन ने विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी थीं। देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। जब पीवी नरसिंह राव ने 1991 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला तब उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया। इससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया। उनकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आए जिन्होंने ग्रामीण रोजगार एवं गरीबों को मजबूती दी।

कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत कृषि उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि कई जिंसों का निर्यात भी कर रहा है। कृषि विज्ञानी नार्मन बोरलाग और एमएस स्वामीनाथन ने 1965.66 में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। वर्ष 1950.51 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज उपलब्धता 399.7 ग्राम थी जो अब बढ़कर 512.5 ग्राम हो गई है। अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन ने आपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। इसके दम पर 1998 में अमेरिका को पछाड़ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। हम न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं, बल्कि वैश्विक उत्पादन में 20 फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं।

किसी भी देश के विकास में ऊर्जा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। चाहे वह जलावन लकड़ी के रूप में हो या बिजली के रूप में या फिर नाभकीय ऊर्जा के रूप में। हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। सन् 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत काफी कम थी। अपरिष्कृत बायोमास (जलावन लकड़ी, गोबर) लगभग 90 फीसदी ऊर्जा खपत को पूरा करते थे। वर्ष 1947 में बिजली उत्पादन और वितरण का काम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के हाथ में था। निजी कंपनियां और उनकी सहायिकाएं शहरी और औद्योगिक मांग पर ही ध्यान केंद्रित रखती थीं, जिससे उन्हें उनके निवेश पर यथोचित प्रतिलाभ मिल जाता था। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को लाभरहित मानकर उनकी उपेक्षा की जाती थी। 200 में से केवल एक गांव में बिजली थी और छह बड़े नगरों में केवल तीन फीसदी लोग उपलब्ध बिजली का 56% हिस्सा इस्तेमाल कर लेते थे। 10 हजार से अधिक की जनसंख्या वाले 856 शहरों में से 506 शहरों में बिजली नहीं थी। उस समय प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 14 किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ष थी और कई राज्यों में तो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत एक किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ष के न्यूनतम स्तर पर थी (यह एक साल में एक घर में एक बल्ब जलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी)। कुल मिलाकर ज्यादातर लोग ऊर्जा के लिए केवल जलावन लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। किंतु वर्ष 2023 में ज्यादातर गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।

देश के विकास के लिए ऊर्जा का काफी महत्व रहा है। आर्थिक विकास और ऊर्जा खपत विकास में एक मजबूत संबंध है। जब हम 1947 के भारत से आज के भारत की तुलना करते हैं तो हमें जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति में नाटकीय सुधार दिखाई देता है। वर्ष 2047 तक भारत की ऊर्जा खपत कम– से–कम तीन गुना बढ़ानी होगी। इससे आर्थिक विकास और आय में वृद्धि को गति मिलेगी।

आजादी के बाद लंबी दूरी की यात्राओं का मुख्य माध्यम रेल परिवहन था। हमने रेल परिवहन को तो सुदृढ़ किया ही है, साथ ही अब हाईवे भी लंबी दूरी के लिए लोगों की पसंद बन रहे हैं। इसका कारण है सड़कों का मजबूत नेटवर्क। आजादी के समय देश में 20 हजार किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो 1.45 लाख किमी हो चुका है। तीन लाख पंजीकृत वाहन बढ़कर 28 करोड़ हो चुके हैं। विमान यात्राओं का दायरा भी बढ़ा है। 1995.96 में 3ण्7 करोड़ लोगों ने विमान यात्रा की थी। 2022.23 में यह संख्या 32ण्7 करोड़ रही। वर्ष 1950 में देश में 4 लाख किमी लंबी सड़कें थी। अब करीब 63ण्31 लाख किमी के सड़क नेटवर्क के साथ हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं।

वरिष्ठ पत्रकार श्री शशि शेखर के अनुसार अमृतकाल का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं पनपा है। इसकी बुनियाद हमारे इतिहास में है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने लिखा है–ईस्वी सन 1000 यानी राजपूत युग में भारत का विश्व की समूची जीडीपी में एक–चौथाई से अधिक योगदान था। मुगलकाल में भी यह 27% तक बना रहा। इस पर असली चोट पहुंचाई पश्चिम के हुक्मरानों ने। मध्य एशिया अथवा अरब से आए आक्रांताओं और उनके नजरिये में बुनियादी फर्क था। अंग्रेज, फ्रेंच और पुर्तगीज यहां बसने के लिए नहीं, लूटने के लिए आए थे। उन्होंने यह काम बड़ी जतन से किया। सन 1757 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज उद्दौला को हराया था, तब तय हो गया था कि भारत के अधिकतर हिस्से पर बर्तानिया की हुकूमत स्थापित होने जा रही है। अगले लगभग दो सौ साल उन्होंने 'सोने की चिड़िया' के प्राण खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

हालात इतने खराब हो गए थे कि वर्ष 1900 से 1947 के बीच भारत की विकास दर महज 0.07% रह बची थी। 15 अगस्त, 1947 को जब अंग्रेज विदा हुए, तब 90% से अधिक हिन्दुस्तानी दरिद्रता की स्थिति में जी रहे थे और साक्षरता दर सिमटकर सिर्फ 12% रह गई थी। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए सूरत में जगह देने की जो गलती की थी, उसे समूचे देश ने अपने जिस्म–ओ–जान पर भोगा था। किंतु जिन अंग्रेजों ने हमें इस बदहाली तक पहुंचाया था, आज उनसे हमारी अर्थव्यवस्था एक पायदान ऊपर है। वर्ष 2030 तक भारत हर हाल में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा और अगले दो दशक में वह दूसरे मुकाम पर पहुंच चुका होगा।

अंग्रेजों ने हमें पौने दो सौ साल लगातार लूटा, लेकिन हम सौ साल में या तो उस पुरानी स्थिति में पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। यह कमाल अपार भारतीय जिजीविषा और विशाल कामकाजी आबादी के चलते हुआ है।

किसी जमाने में जिस देश को 'जहाज से सीधे मुंह तक' भोजन पहुंचने वाली स्थिति में रहने वाला माना जाता था यानी खाद्यान्न के लिए उसे आयात परनिर्भर रहना पड़ता था, उसकी कहानी वर्ष 2023 तक आते–आते पूरी तरह पलट चुकी है। आज वह देश दुनिया के भोजन आपूर्तिकर्ता की स्थिति में आ गया है। शायद 2023 भारत की आजादी के पहले 75 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। सन् 1943 में बंगाल में आए भीषण अकाल में कम से कम 30 लाख लोगों को खोने की विभीषिका से गुजरने के बाद आज भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वह इस वर्ष गैर बासमती चावल के साथ–साथ गेहूं के निर्यात पर लगाई रोक को वापस ले ले। यह स्थिति कृषि क्षेत्र में उठाए गए व्यापक कदमों को स्वतः बयान करने के लिए पर्याप्त है। भारत इन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, फल एवं सब्जियों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है। भारत इस समय दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक भी है और साथ ही दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है।

समुचित दाम और सार्वजनिक खरीद नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और कमी वाले क्षेत्रों में भोजन के वितरण जैसे कदमों की मदद और समर्थन के साथ हरित क्रांति ने निसंदेह भोजन की गंभीर कमी के युग को समाप्त कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की लचीली व्यवस्था बन चुकी है कि लगातार कई वर्षों तक गंभीर सूखा पड़ने पर भी अकाल की दूर–दूर तक छाया नहीं दिखाई पड़ी। हरित क्रांति शुरू होने से एक साल पहले भारत में श्वेत क्रांति का सूत्रपात हुआ था, जिसने भारत को दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस समय दूध का उत्पादन 210 मिलियन टन से भी ज्यादा हो चुका है। भारत वर्ष 2022–23 में 40% के वैश्विक चावल व्यापार में हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है। रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति में गिरावट के चलते दुनियाभर में गेहूं की मांग बढ़ रही थी, लेकिन भारत ने अपनी घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक रुख अपनाने का फैसला किया।

इन 75 वर्षों में किसानों ने शानदार बंपर फसल पाने के लिए जी–तोड़ मेहनत की है। साल–दर–साल उसने रेकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन हर गुजरते साल के साथ किसान परिवारों की स्थिति और खराब होती गई है। विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। कृषि को मजबूत करना ग्रामीण खर्च में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। बेशक, कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और लाभप्रद बनाया जाए। इससे अधिक मांग पैदा होगी, जो बदले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहियों को आगे बढ़ाएगी। अगर किसान अपनी उगाई जाने वाली प्रत्येक फसल से लाभ कमा सकें तो कृषि का चेहरा हमेशा के लिए बेहतर हो जाएगा। और, एक बार कृषि क्षेत्र लाभप्रद हो जाएगा तो शहरों से गांवों की तरफ उलटा पलायन देखने को मिलेगा और इससे बेरोजगार युवाओं की बड़ी संख्या को काम मिलने लगेगा। अकेले कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का माद्दा रखती है।

2014 के बाद सरकार के प्रयास से प्रायः हर घर तक तक बिजली की पहुंच, पेय जल के स्रोतों में सुधार, स्वास्थ्य बीमा योजना का विकास, बैंक खाते में वृद्धि, मोबाइल एवं इंटरनेट के प्रयोग में वृद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य हुए। महिलाओं के सशक्तीकरण को बल मिला। बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ो में काफी सुधार हुआ। दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ी आशा की किरण दिखाई दे रही है। ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना', 'फसल बीमा योजना', 'सिंचाई योजना', 'पेंशन योजना', 'कृषि ऋण' और 'स्वरोजगार योजना', 'आवास योजना', 'उज्ज्वला' और अन्य कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की गईं। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का बंदर बांट कम हुआ, वित्तीय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता आई, पर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरों पर विकास योजनाएं अब भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, उनके 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृढ़ संकल्प से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। लोगों में ऊर्जा और उत्साह बढ़ा है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद से लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

भारतवर्ष ने विगत 75 वर्ष में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उत्तार चढ़ाव की यात्रा की है। गुटनिरपेक्षता से जी–20 तक भारतोदय की गाथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर जी–20 सम्मेलन तक भारत ने अपना स्थान स्थापित कर लिया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, (बिहार) के पूर्व कुलपति प्रो. संजीव कुमार शर्मा मानते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम् के ध्येय वाक्य के साथ समय है विश्व–पटल पर अपनी संस्कृति व शक्ति दर्शाने का। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों के आधिपत्य से अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिणी अमेरिका में 1945 से 1960 तक लगभग 90 देश स्वतंत्र हुए। इन देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक ढांचे को उपनिवेशवादी शक्तियों ने लगभग पूर्णतया नष्ट कर दिया था इसी बीच समस्त विश्व दो शक्ति ध्रुवों के विभाजित स्वरूप में शीत युद्ध के आवरण में प्रवेश कर चुका था। नव–स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष आर्थिक अनुदान तथा सामरिक सहायता प्राप्त करने का संकट भी था। तथापि किसी एक महाशक्ति की ओर अधिक झुकाव के प्रदर्शन से दूसरी महाशक्ति की कुपित दृष्टि के दुष्प्रभावों की

आशंका भी रहती थी। इसने नए राष्ट्रों के नीति–निर्माताओं की अकुलाहट को वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में समेकित किया। परिणामस्वरूप तत्कालीन यूगोस्लाविया के ब्रिजूनी में 1956 में गुटनिरपेक्षता के विचार को एक वृहद सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई। गुटनिरपेक्षता ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। छोटे–छोटे अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में इस आंदोलन ने एक उत्साह का संचार किया। क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, दारिद्र, अन्नाभाव आदि से जूझते राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, पारस्परिक युद्ध–निषेध, निशस्त्रीकरण, नस्लभेद–विरोध तथा औपनिवेशिकता से मुक्ति की कामना आदि संचालक सिद्धांतों से संपन्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया। शनैः– शनैः अनेक राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नियमित सम्मेलनों में प्रतिभाग करने लगे। भारतवर्ष को भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता करने तथा शासनाध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वैश्विक स्तर पर भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। परंतु दो शक्तिशाली गुटों से समान दूरी बनाए रखने का सिद्धांत अपनी अव्यावहारिकता के बोझ से दबने लगा। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की अपरिहार्यता ने प्रत्येक राष्ट्र को अपने गुटनिरपेक्ष आडंबर से बाहर आने को बाध्य कर दिया। आंतरिक शांति तथा बाह्य सुरक्षा की आवश्यकताओं ने महाशक्तियों के आकर्षण में वृद्धि की। शस्त्रों के क्रय विकास हेतु अनुदान तथा आधारभूत संरचना निर्माण आदि के दबाव में गुटनिरपेक्षता ओझल हो गई। सम्मेलन होते रहे, बैठकें होती रहीं, भाषण दिए जाते रहे परंतु अधिकांश देश और उनमें प्रमुखतम देश अमेरिका अथवा रूस की ओर झुकने लगे। भारतवर्ष की तत्कालीन सरकारों ने आंतरिक वैचारिक झुकाव तथा अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रूस से निकटता में निरंतर वृद्धि कर ली।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आभा के निरंतर क्षीण होने का एक प्रत्यक्ष परिणाम दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के रूप में सामने आया तो साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वैचारिक नेतृत्व प्रदान करने वाले देश के रूप में भारत की वैश्विक छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। आंतरिक राजनीतिक उथल–पुथल, अस्थिर सरकार और अप्रभावी शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का संयुक्त प्रभाव भारत की वैश्विक छवि पर भी पड़ा। क्षेत्रीय स्तर पर सार्क जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी पाकिस्तान जैसे देशों के क्रियाकलापों के चलते निष्प्रभावी और निष्प्रयोज्य ही हो गए। संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन तथा विश्व भर में अनेक स्थान पर बलपूर्वक आरोपित वामपंथी शासन के आधिकारिक अवसान के परिणामस्वरूप निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का चक्रवात सर्वत्र व्याप्त हो गया। इस कारण धीरे–धीरे विचारधारापरक राजनीतिक प्रयासों के स्थान पर वैश्विक समुदाय द्वारा स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त आर्थिक विकास के प्रतिमान प्रतिष्ठित होने लगे। राष्ट्रों में सुशासन की विश्व बैंक आधारित अवधारणा को अंगीकार करने की स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई।

विश्व राजनीति के आकार, आयाम और अवतार में परिवर्तन होने लगे। संपोष्य–विकास, आर्थिक– समृद्धि, सूचना–प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, समतामूलक उन्नति, समावेशी प्रगति, संतुलित–पर्यावरण, समग्र जैविक विविधता संरक्षण आदि नए विषय सामने आने लगे। इस परिस्थिति में विश्व के सामने जी–20 आया, जिसने नागरिक समाजों, जनप्रतिनिधियों, विचारकों, व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों, श्रमिकों, शोधार्थियों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक सहयोग, अभिशासन तथा वैश्विक संरचना के प्रश्नों पर समेकित विचार का अवसर उपलब्ध कराया। भारतवर्ष में शीर्ष स्तर पर राजनीतिक स्थिरता, सक्षम एवं प्रभावी नेतृत्वकारिता, वैचारिक सुस्पष्टता, सैद्धांतिक दृढ़ता, 'भारत प्रथम' प्रतिबद्धता तथा स्वतंत्र चिंतन–क्षमता ने जी–20 में अपने स्वर की प्रतिध्वनि विश्वभर में गुंजायमान करनी प्रारंभ कर दी। गत दशक में विभिन्न देशों में स्थित प्रवासी भारतीय समुदाय से प्रत्यक्ष, सघन, सकारात्मक संवाद ने भारतवर्ष की अंतरराष्ट्रीय छवि में निरंतर वृद्धि की। योग की वैश्विक स्वीकार्यता ने भी इस भारतीय ब्रांडिंग में सहयोग किया। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भी इस समय भारतवर्ष कर रहा है। ऐसे में नवंबर 2022 में जी–20 समूह की अध्यक्षता करने का अवसर जब भारत को प्राप्त हुआ तो सभी भारतवासियों को विश्व पटल पर अपने विचार, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता–विमर्श तथा सनातन अक्षुण्ण वैभव के दिग्दर्शन का अवसर भी मिल गया।

यही कारण है कि जी–20 की अध्यक्षता के काल में ध्येयवाक्य महा–उपनिषद के श्लोकांश से लिया गया। 'वसुधैव कुटुम्बकम' का इसके ध्येय वाक्य के रूप में अंगीकार किया जाना सहस्रों वर्षों पुरानी भारतीय विश्व–बंधुत्व और विश्व कल्याण दृष्टि का वैश्विक विज्ञापन है। आधुनिक विश्व की प्रमुखतम समस्याओं का प्राथमिकीकरण करता हुआ भारतवर्ष 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम' के वैदिक उद्घोष को संसार भर के नागरिकों तक पहुंचाने में समर्थ हो रहा है। यह भारत का नूतन अवतार है। भारत अब विश्व के व्यापार संघों का सदस्य है और इसके साथ ही वैश्विक ढांचे के नियम–कायदे तय करने में उसकी आवाज भी सुनी जा रही है। स्वाभाविक है कि इसके लिए भारत की ओर से चतुराई भरी कूटनीति आवश्यक है। जी–20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास सिद्ध होगा। जी–20 के विभिन्न समूहों की बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में बसे 60 प्रमुख शहरों में हुईं। इन सभी में एक साल में जो विकास कार्य हुए हैं, उनसे ये शहर न केवल सुंदर हुए, बल्कि लोगों की सुगमता भी बढ़ी है।

आजादी के 75 वर्षों में देश के रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। इसकी एक वजह हिंद महासागर और हिंद प्रशांत–महासागर में बदलते समीकरण हैं तो दूसरी तरफ सरका का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और यह संकल्प रक्षा क्षेत्र में भी है। श्री ओमप्रकाश दास, रिसर्च फैलो, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की रणनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव आए हैं, क्योंकि पड़ोसी देश

चीन की विस्तारवादी मानसिकता मुखर रूप से प्रकट होने लगी है। हिंद महासागर और हिंद–प्रशांत महासागर में भी समीकरण बदल रहे हैं। यहां दुनिया की बड़ी शक्तियां बड़े दांव लगा रही हैं। भारत का परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान अब सिर्फ छद्म युद्ध के भरोसे बैठा है। यानी स्पष्ट है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के अलावा अब भारतीय सैन्य बलों की भूमिका वैश्विक कूटनीति में भी है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भारतीय सैन्य बलों की स्थिति कैसी है? 2017, 2020 और 2022 में चीन के साथ झड़पों, स्टैंड ऑफ ने भारतीय पक्ष की सोच हमेशा के लिए बदल दी है। रूस की परिस्थितियों ने आपूर्ति संबंधी चिंताएं पैदा की हैं। यूक्रेन के हालात बताते हैं कि क्यों रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समय की मांग है। साइबर और अंतरिक्ष के आयाम अब युद्ध का हिस्सा हैं। पहले 1962 का भारत–चीन युद्ध, फिर सियाचिन पर दबदबा कायम रखने की चुनौती। 1999 का कारगिल युद्ध और 2020 की गलवान घाटी की झड़प हमारे सैन्य रणनीतिकारों को ये बताती रही हैं कि ऊंचाईयों पर लड़ाई नई चुनौतियों लेकर आती है, जिसकी जरूरत आगे भी बनी रहेगी।

लेकिन यही वक्त है, पीछे मुड़कर देखने का कि हम कहां से चले थे किन पड़ावों को हमने पार किया है। भारतीय सैन्य बलों की वीरता की कहानियां वैसे तो अनगिनत हैं, जिन्होंने भारत की अखंडता को सुनिश्चित किया है। स्वतंत्रता के चंद महीनों के बाद ही कश्मीर को लेकर भारत–पाकिस्तान के बीच 1947 के पहले युद्ध में ही पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़े। पाकिस्तानी सेना कबायली आदिवासियों के साथ 22 अक्तूबर, 1947 को श्रीनगर के पास तक पहुंच गई। भारत की सेना 26 अक्तूबर को जंग में कूदी और कश्मीर के दो– तिहाई हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। लेकिन एक तिहाई हिस्सा पर अभी भी पाक का कब्जा है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर, 1962 को लद्दाख और अन्य इलाकों में हमले शुरू कर दिए। चीनी सैनिकों के पास अपने नापाक इरादों के साथ–साथ अत्याधुनिक हथियार भी थे, लेकिन भारतीय जांबाजों ने हार नहीं मानी। 20 नवंबर, 1962 को चीन की और से युद्ध विराम हुआ, भारत पीछे तो जरूर हटा, लेकिन संसाधनों की कमी के बावजूद दुश्मनों को भारतीय सेना ने कड़ी टक्कर दी और इसकी एक बानगी थी, रेजांग ला का युद्ध, जहां मेजर शैतान सिंह की अगुआई में लगभग 113 भारतीय जवान करीब 1000 चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। हालांकि सैन्य इतिहासकार यह भी बताते हैं कि अगर भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है और उसने एक बार फिर 1965 में भारत की पश्चिमी सीमाओं पर हमला बोल दिया। 22 दिनों तक चला यह युद्ध, मुख्य रूप से कश्मीर पर कब्जे को लेकर था। पाक ने ताकतवर पैटन टैंकों इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान को समझौते की मेज पर आना पड़ा।

भारत उन देशों में है, जिनका पड़ोसी देश अपने कूटनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने आतंक की जड़ को समाप्त करने में अपनी पूरी प्रतिबद्ध ता दिखाई है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर इसके विरोध में गोलबंदी की कोशिशें की हैं, लेकिन आज भी चीन जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने में शर्मिंदा नहीं होता। भारत लगातार आतंकवाद का मुकाबला करने में वैश्विक स्तर पर दोहरे मानकों को, उसके राजनीतिकरण, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने को लेकर चुनौतियों से दो–चार हो रहा है। लेकिन भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। भारत ने राज्य और केंद्र के स्तर पर खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया है। राजनीतिक इच्छाशक्ति ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिसका नतीजा है कि आज भारत सशक्त देश बनकर उभरा है।

अमृत काल यानी साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है। सच यह है कि विकसित राष्ट्र का सपना, एक सुरक्षित राष्ट्र के बिना संभव नहीं हो सकता। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने तय किया है कि 2047 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वें वर्ष में प्रवेश करें, तब तक भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वदेशी खंभों पर टिका हो। एक अनुमान यह बताता है कि भारत अपनी जरूरतों का 35 फीसदी के आसपास ही रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करता है, जिसमें भी 90% योगदान सार्वजनिक क्षेत्र का ही है। आज चीन जहां अपने रक्षा खर्च का करीब 20 फीसदी अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है, तो अमेरिका करीब 12 फीसदी। वहीं भारत रक्षा बजट का सिर्फ एक फीसदी ही नए अनुसंधान और विकास पर लगा रहा है। भू–राजनीतिक स्थिति इस बात के संकेत दे रही है कि हम एक बदलाव के दौर में हैं, जहाँ दुनिया एक ध्रुवीय विश्व से बहु–ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां भारत के लिए असीम अवसर मौजूद हैं। चीन एक ओर अमेरिका को बराबरी की चुनौती दे रहा है, तो वहीं चीन भारत को अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखता है। इसलिए भारत को एक व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे।

बेशक इन 75 वर्षों में देश की आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र की उपलब्धियाँ गर्व की अनुभूति कराती हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतना पर्याप्त है? क्या हम और अच्छा कर सकते थे? निस्संदेह, अच्छे की गुंजाइश बाकी है। इसके लिए आवश्यकता है कि देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी सजग हो। प्रशासन के साथ– साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे आना होगा। स्वावलंबन को शब्दों से निकालकर क्रांति की विचारधारा में बदलना होगा।

प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारीः कस्तूरबा गाँधी

सुधा वोहरा*

अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में भारत के कोने–कोने से समाज के हर वर्ग, संप्रदाय की महिलाओं ने न केवल आजादी के रण में कूदने का फैसला किया अपितु सामाजिक कार्यों में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि उस समय हमारा देश सामाजिक स्तर पर भी पिछड़ेपन से जूझ रहा था। जहाँ एक ओर कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आजादी का बिगुल फूँका तो वहीं दूसरी ओर निर्धन परिवारों में जन्म लेने वाली अथवा उस समय शैक्षिक तौर पर राष्ट्र के पिछड़ेपन की वजह से शिक्षा से वंचित रहने वाली महिलाओं ने भी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित हो करके न केवल आजादी के रण में कूदने का संकल्प लिया अपितु समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने हेतु हरसंभव प्रयास किए। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ–साथ महिला क्रांतिकारियों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। ऐसी ही महान महिला क्रांतिकारियों में 'बा' के नाम से विख्यात कस्तूरबा गाँधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की धर्मपत्नी थीं, का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अंदर अच्छे–बुरे को पहचानने का विवेक था। उन्होंने ताउम्र बुराई का डटकर सामना किया और कई मौकों पर तो गाँधीजी को चेतावनी देने से भी नहीं चूकीं। इस प्रकार देश की आजादी और सामाजिक उत्थान में कस्तूरबा गाँधी ने बहुमूल्य योगदान दिया।

कस्तूरबा गाँधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा के पिता 'गोकुलदास मकनजी कपाड़िया' एक व्यापारी थे। उनकी माता का नाम ब्रजकुंवरबा कपाड़िया था, जो एक गृहिणी थीं। उस जमाने में ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे और विवाह भी छोटी उम्र में ही कर देते थे। कस्तूरबा के पिता महात्मा गाँधी के पिता के करीबी मित्र थे और दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय कर लिया था। कस्तूरबा बचपन में निरक्षर थीं और मात्र सात साल की अवस्था में उनकी सगाई 6 साल के मोहनदास के साथ कर दी गई और तेरह साल की छोटी उम्र में उन दोनों का विवाह हो गया। महात्मा गाँधी और कस्तूरबा गाँधी का विवाह एक बाल विवाह था। महात्मा गाँधी ने अपनी पुस्तक में लिखा हैं कि – जब हमारी शादी हुई तो हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं था, शादी करना हमारे लिए नए वस्त्र पहनना, मिठाई खाना और दोस्तों के साथ मजे करने जैसा था। परंतु कस्तूरबा का शुरुआती गृहस्थ जीवन बहुत ही कठिन था। उनके पति मोहनदास करमचंद गाँधी उनकी निरक्षरता से अप्रसन्न रहते थे, उन्हें ताने देते रहते थे और उनसे दूर रहने का प्रयास करते थे। कस्तूरबा गाँधी बातें करने और किसी का दिल जीतने में माहिर थीं, इसीलिए शादी के कुछ समय बाद ही महात्मा गाँधी कस्तूरबा गाँधी के प्रेम में इतने खो गए कि वह कभी–कभी स्कूल भी नहीं जाते थे। महात्मा गाँधी ने उनको कुछ पढना–लिखना सिखाया। कस्तूरबा को पढ़ाने लिखाने के अलावा उनमें देश प्रेम की भावना भी गाँधीजी ने ही जगाई, इसलिए कस्तूरबा गाँधी महात्मा गाँधी के प्रति बहुत वफादार थीं और हर कदम उनके साथ रहने का प्रयास करतीं। विवाह पश्चात पति–पत्नी सन 1888 तक लगभग साथ–साथ ही रहे परंतु मोहनदास के इंग्लैंड प्रवास के बाद वो अकेली ही रहीं। शिक्षा समाप्त करने के बाद गाँधी इंग्लैंड से लौट आये पर शीघ्र ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा।

इसके पश्चात मोहनदास जी सन 1896 में भारत आए और तब कस्तूरबा को अपने साथ ले गए। दक्षिण अफ्रीका जाने से लेकर अपनी मृत्यु तक 'बा' महात्मा गाँधी जी का अनुसरण करती रहीं। उन्होंने अपने जीवन को गाँधी की तरह ही सादा और साधारण बना लिया था। वे गाँधी जी के सभी कार्यों में सदैव उनके साथ रहीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गाँधीजी का बखूबी साथ दिया। वहां पर भारतीयों की दशा के विरोध में जब वो आन्दोलन में शामिल हुईं तब उन्हें गिरफ्तार कर तीन महीनों की कड़ी सजा के साथ जेल भेज दिया गया। जेल में मिला भोजन अखाद्य था अतः उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया पर अधिकारियों द्वारा उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिए जाने पर उन्होंने उपवास किया जिसके पश्चात अधिकारियों को झुकना पड़ा।

महात्मा गाँधी अक्सर अपनी बातों को मनवाने के लिए अनशन किया करते थे, इसलिए अक्सर उनको जेल हो जाया करती थी। ऐसी स्थिति में कस्तूरबा गाँधी उनका स्थान ले लेतीं और उन आन्दोलनों को जारी रखती थीं। सन 1915 में कस्तूरबा भी महात्मा गाँधी के साथ भारत लौट आयीं और हर कदम पर और उनका साथ दिया। कई बार जब गाँधी जी जेल गए तब उन्होंने उनका स्थान लिया। 1917 में जब बिहार में चंपारण आन्दोलन शुरू हुआ तब कस्तूरबा गाँधी ने अपनी सक्रिय भूमिका

* *आशुलिपिक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

निभाई। कस्तूरबा गाँधी ने महिलाओं के कल्याण पर काम किया, गरीब बच्चों को पढना लिखना सिखाया। इसके अलावा जब गाँधी जी नील के कर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब कस्तूरबा गाँधी ने पीछे रहकर वहां साफ–सफाई, अनुशासन एवं पढाई आदि के महत्व के बारे में बताया और मिलजुलकर रहने का संदेश दिया। इसके साथ गरीब लोगों का इलाज करने में और घर–घर जाकर दवा वितरण करने में सहयोग दिया। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान भी बा घूम–घूम कर स्त्रियों का उत्साहवर्धन करती रहीं। सन 1922 में गाँधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात उन्होंने वीरांगनाओं जैसा वक्तव्य दिया और इस गिरफ्तारी के विरोध में विदेशी कपड़ों के परित्याग का आह्वान किया। उन्होंने गाँधी जी का संदेश प्रसारित करने के लिए गुजरात के गाँवों का दौरा भी किया। 1930 में दांडी मार्च और धरासणा के बाद जब बापू जेल चले गए तब बा ने उनका स्थान लिया और लोगों का मनोबल बढाती रहीं। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 और 1933 में उनका अधिकांश समय जेल में ही बीता।

1939 में राजकोट के ठाकुर साहब ने प्रजा को कतिपय अधिकार देना स्वीकार किया था किंतु बाद में मुकर गए। जनता ने इसके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिये सत्याग्रह करने का निश्चय किया। बा ने जब यह सुना तो उन्हें लगा कि राजकोट उनका अपना घर है। वहाँ होने वाले सत्याग्रह में भाग लेना उनका कर्तव्य है। उन्होंने इसके लिये बापू की अनुमति प्राप्त की और वह राजकोट पहुँचते ही सविनय अवज्ञा के अभियोग में नजरबंद कर ली गईं। पहले उन्हें एक एकांत सुनसान में बसे गाँव में रखा गया जहाँ का वातावरण उनके तनिक भी अनुकूल न था। जनता ने आंदोलन किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें चिकित्सा की सुविधा से दूर रखना अमानुषिक है। फलतः उन्हें राजकोट से 10–15 मील दूर एक राजमहल में रखा गया। बा के जाने के कुछ समय बाद बापू ने भी सत्याग्रह में भाग लेने का निश्चय किया और वहाँ पहुँचकर उपवास आरंभ किया। जब बा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने एक समय ही भोजन करने का निश्चय किया। बापू के उपवास के समय वे सदैव ही ऐसा करती थीं। दो–तीन दिन बाद ही राजकोट सरकार ने यह भुलावा देकर कि वह बापू से मिलना चाहें तो जा सकती हैं, उन्हें बापू के पास भेज दिया। किंतु जब शाम को कोई उन्हें नजरबंदी के स्थान पर वापस ले जाने नहीं आया तब पता चला कि इस छलावे से उन्हें रिहा किया गया है। बापू को यह सह्य न था। उन्होंने बा को एक बजे रात को जेल वापस भेजा। राजकोट सरकार की हिम्मत न हुई कि वह सारी रात उन्हें सड़क पर रहने दे। वह वापस राजमहल ले जायी गयीं और उसके बाद दूसरे दिन बाकायदा रिहा की गयीं। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बापू समेत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को 09 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात बा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण करने का निश्चय किया किंतु वहां पहुँचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के आगा खाँ महल में भेज दिया गया। सरकार ने महात्मा गाँधी को भी यहीं रखा था। उस समय वे अस्वस्थ थीं। गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया और कभी भी संतोषजनक रूप से नहीं सुधरा।

बचपन से ही कस्तूरबा गाँधी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थीं। इस वजह से उनका स्वास्थ्य 1908 से ही खराब होने लगा था। इसके अलावा गाँधी जी के साथ कस्तूरबा गाँधी ने कई बार जेल की यात्राएं की, और कई उपवास किये। इन सबकी वजह से भी उनकी स्वास्थ्य समस्या और बढती गयी। जनवरी 1944 में उन्हें दो बार दिल का दौरा पड़ा। उनके निवेदन पर सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर का प्रबंध भी कर दिया और कुछ समय के लिए उन्हें थोडा आराम भी मिला पर 22 फरवरी 1944 को उन्हें एक बार फिर भयंकर दिल का दौरा पड़ा और बा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गयीं।

मोहनदास करमचंद गाँधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गाँधी जी से भी उन्नत थे। बा की पहचान सिर्फ यह नहीं थी कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर गाँधी जी का साथ दिया था, बल्कि यह कि उन्होंने कई बार गाँधी जी के मना करने के बावजूद संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। वह एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थीं और गाँधी जी की प्रेरणा थीं। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर ऐसी महान वीरांगना को शत–शत नमन।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा में 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिजनों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं सहित कुल 100 प्रतिभगियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

अपने स्वागत भाषण में संस्थान के संकाय सदस्य श्री पी. अमिताभ खुंटिआ ने योग दिवस समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह अब इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम्' की सच्ची भावना में कल्याण, एकता और सद्भाव का पर्याय बन गया है।

योग गुरु श्री पी. के. राघव ने बड़े ही सुंदर ढंग से योगाभ्यास का संचालन किया और सभी प्रतिभागियों ने पूरी तन्मयता के साथ इसका अभ्यास किया। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में योग और योगाभ्यास करने के संदेश के साथ हुआ।

मानव हस्तक्षेप का पर्यावरण पर प्रभाव

मंजु सिंह*

पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और पर्यावरण एवं प्रकृति मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान हैं। प्रकृति और मनुष्य परस्पर पूरक हैं। मनुष्य जैसे प्राकृतिक परिवेश में रहता है, उसका व्यवहार, रहन–सहन, वेशभूषा, भाषा, खानपान इत्यादि उसी के अनुसार विकसित होते हैं। पर्यावरण मानव जीवन का मूल आधार है। यह कहना बहुत हद तक उचित होगा कि मानव के जीवन का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना शायद ही संभव हो। पहले के समय में मानव प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति को ईश्वर के तुल्य माना जाता था। परंतु जैसे–जैसे समय बीतता गया, मानव प्रगति की अंधाधुंध दौड़ में और अपने जीवन की व्यस्तता एवं स्वार्थ के चलते पर्यावरण को भी प्रभावित करता आ रहा है। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आई है और इसका स्तर दिन–प्रति–दिन बिगड़ता जा रहा है।

इस पृथ्वी पर ईश्वर की दो ही देन हैं, एक प्रकृति और दूसरा जीव, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनका जीवन एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। मानव प्रत्येक लाभ के लिए प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति मनुष्य को साँस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि इत्यादि प्रदान करती है, जो किसी भी जीवन के मूल आधार हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आस–पास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं परंतु जैसे–जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता व स्वार्थ के चलते पर्यावरण को अपने अनुरूप बदलना आरंभ कर दिया। मनुष्य भौतिक पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता हैः अधिक जनसंख्या, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना और वनों की कटाई। इस तरह के परिवर्तनों ने जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण, खराब वायु गुणवत्ता और पीने योग्य पानी की कमी को बढ़ाया है। आज स्थिति यह है कि पर्यावारण का स्तर बिगड़ता जा रहा है और यह मानव जीवन के लिए ही खतरा बनता जा रहा है। एक कहावत है कि "जैसा आप बोते हो वैसा ही काटोगे।'' अतः, जैसा आप प्रकृति को दोगे वैसा ही वह आपको लौटाएगी।

* *कंप्यूटर ऑपरेटर, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति एक बड़ा चिंतनीय विषय बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम पर्यावरण के वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि, इस पर सरकार और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत काम कर रहे हैं, परंतु जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और इसका महत्व नहीं समझेगा तब तक इस समस्या पर लगाम नहीं कसी जा सकती। पर्यावरण के स्तर को बेहतर बनाना मानव पर ही निर्भर करता है, परंतु आज हम मनुष्यों ने अपने पर्यावरण को इतना अधिक दूषित कर दिया है कि यहाँ जीवन जीना दूभर होता जा रहा है। हमने संसाधनों का सर्वाधिक दुरूपयोग किया है। हम विकास के दौर में कदम से कदम मिलाने के लिए अपने हरे–भरे और सुंदर पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं।

पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व

पर्यावरण जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे मानव से बेहतर कौन जान सकता है परंतु जिंदगी की इस भाग–दौड़ में शायद हम पर्यावरण के वास्तविक मूल्य को भूलते जा रहे हैं। हम इसके बारे में विचार करें तो इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं और इसके महत्व को अच्छी तरह से समझने में दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। पर्यावरण, जीवित जीवों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाये रखता है। पृथ्वी विभिन्न जीवित प्रजातियों का घर है जो लाखों वर्षों से प्रकृति का हिस्सा हैं। यह भोजन, आवास, हवा, भूमि, प्रकाश, इत्यादि प्रदान करता है। मानव की सभी जरूरतों को पूरा करता है चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इसके अलावा मनुष्य का संपूर्ण जीवन पर्यावरणीय कारकों पर पूरी तरह निर्भर करता है। यह पृथ्वी पर विभिन्न जीवन चक्रों को बनाए रखने में भी मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा पर्यावरण प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है जो निम्न तथ्यों से सिद्ध होता हैः–

- प्रकृति मानव को एक बेहतर जीवन जीने के लिए कपड़े, भोजन, प्रकाश, शुद्ध हवा, औषधि, जड़ी–बूटियाँ सब कुछ प्रदान करती है।
- प्रकृति मानव को नदियां, तालाब, झरने और वन व विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे आदि प्रदान करती है जो मानव जीवन को सुगम बनाते हैं।
- प्रकृति उद्योगो के लिए कच्चा माल इत्यादि भी प्रदान करती है जो अनेक प्रकार के उद्योगों के आधार हैं।

- मौसम के अनेक रूप, उनसे जुड़े त्योहार, हर मौसम की खास किस्म की फसल इत्यादि मानव जीवन को सुगम बनाते हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र हमें कृषि और फसलों को उगाने में मदद करता है जिससे हमें अनाज, सब्जियाँ, फल इत्यादि खाद्य वस्तुएँ मिलती हैं।
- विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षी व पेड़–पौधों की प्रजातियाँ, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, इस चक्र को सही रखने पर विशेष योगदान देती हैं।

मानव हस्तक्षेप से पर्यावरण में बदलाव और इसके प्रभाव

आज हमारा देश कई पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रस्त है जो पिछले कुछ दशकों से काफी बढ़ती जा रही हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले इन प्रभावों के लिए काफी हद तक मानव के द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्यों के हस्तक्षेप को जिम्मेदार माना जा सकता है। मानव तथा पर्यावरण का आपस में गहरा तथा अटूट संबंध है। मानव ही पर्यावरण को स्वच्छ या प्रदूषित करता है तथा उसका प्रभाव मानव को उसी रूप में प्रभावित करता है। मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने में पर्यावरण को अपने अनुरूप बदलना चाहता है और अपने आस–पास की चीजों के प्रति संवेदनशीलता को भी भूल जाता है। व्यापार और वाणिज्य, उद्योग और अन्य कारखानों ने मनुष्यों के लिए कृषि क्षेत्र को छोड़कर तकनीकी दुनिया में कदम रखने का मार्ग तो प्रशस्त किया परंतु इससे पर्यावरण के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं अनेक पर्यावरणीय आपदाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं जैसे कि अम्ल वर्षा, महासागरों का अम्लीकरण, जलवायु में परिवर्तन, मौसम चक्र बिगड़ना, अत्यधिक वर्षा होना या सूखा पड़ना, ओजोन परत का ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग, आदि। जैसे–जैसे समय बीत रहा है वैसे–वैसे समस्याएं गहराती जा रही हैं और प्रकृति की शुद्धता को भी नष्ट करती जा रही हैं। वनों की कटाई, गंदगी व प्रदूषण फैलाने, पराली जलाने और कृषि में रसायनों के प्रयोग से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होता है। पहले की तुलना में आज के पर्यावरण की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आना इस बात का प्रमाण है कि मानव पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील हो गया है। पर्यावरण का इस तरह प्रदूषित होते जाना मानव जीवन और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खतरा बन जाएगा। इसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। पर्यावरण की वर्तमान स्थिति से हर व्यक्ति भली–भांति परिचित है और इसके स्तर से मानव जीवन पर भी कितना प्रभाव पड़ रहा है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। पर्यावरण के स्तर में आने वाले चिंताजनक बदलाव का विषय केवल भारत के लिए ही चिंतनीय नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए ही चिंता का विषय है। किसी भी देश की संस्कृति उसके पर्यावरण पर निर्भर करती है। भारत गाँवों का देश है और भारतीय संस्कृति कृषक संस्कृति कहलाती है। यहाँ के किसान अपनी धरती से अत्यधिक लगाव रखते हैं व खेती भी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। भारतीय संस्कृति और पर्यावरण परस्पर आश्रित हैं। यहाँ का किसान ऋतुओं के अनुसार फसलें बोता, उगाता और काटता है। यहाँ भारतीय लोक संस्कृति में प्रकृति वैसे ही समाहित है जैसे शरीर में आत्मा। हरे–भरे खेतों में लोग काम करते हैं, आम के पेड़ों के नीचे बैठकर ये रखवाली करते हैं। प्रकृति में रची–बसी यह लोक संस्कृति धीरे–धीरे विलुप्त हो रही है। प्राचीन समय से ही रोगग्रस्त होने पर पेड़, पौधों, वनस्पतियों से भिन्न–भिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं। हम प्रकृति से कोसों दूर ईंट पत्थरों की दुनिया में प्रवेश कर गये हैं। आज जनता प्रकृति से प्रेम नहीं बल्कि अपने स्वार्थ में उसका दोहन करना जानती है। कम्प्यूटर युग कहे जाने वाले आज के समय में हमारी संस्कृति प्राकृतिक से कृत्रिम हो गई है। बदलते वैज्ञानिक युग में शनैः–शनैः हमारी संस्कृति का स्वरूप बदलता जा रहा है, गाँव नगरों में बदल रहे हैं, नये–नये कल–कारखाने, उद्योग, मिलें, फैक्ट्रियाँ स्थापित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं देश में वैज्ञानिक तकनीकों से बेमौसम कृत्रिम फसलें, फल आदि उगाए और पकाए जाने लगे है।

पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल रूप को बदल रही है। भारत विकास कर रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, ऊँची–ऊँची इमारतें व बड़े–बड़े उद्योग ग्रामीण संस्कृति में प्रयुक्त छोटे–छोटे उपकरणों (खुरपी, कुदाल, हल) और हस्तशिल्प के छोटे–छोटे उद्योगों को विस्थापित कर रहे हैं। अब शायद ही कोई बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी या साइकिल से चलता हो, इनका स्थान पेट्रोल और डीजल से चलने वाली तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने ले लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह विकास ही है जिसने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है और यह हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। विकास की दौड़ में हम पर्यावरण को शुद्ध करने वाली भारतीय संस्कृति के क्रियाकलापों जैसे हवन, यज्ञ आदि से हटकर प्रकृति को दूषित करने वाली संस्कृति जैसे प्लास्टिक को जलाना, नदियों में अपशिष्ट बहाना, पेट्रोल, डीजल चालित वाहनों के प्रयोग को अपना रहे हैं। आधुनिक विकासशील भारत की उपभोक्तावादी संस्कृति में पर्यावरण मानव के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है।

अतः, हमें पर्यावरण से होने वाली क्षति से पहले ही जागरूक हो जाना चाहिये जिससे मनुष्य के जीवन को बचाया जा सके। पर्यावरण में आने वाले बदलाव के कारण और इसके प्रभावः

- हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से पर्यावरण गर्म हो रहा हैं। सुरक्षात्मक ओजोन परत नष्ट हो रही है, जिससे सूर्य की अल्ट्रा–वायलेट किरणें सीधे पृथ्वी में प्रवेश करती हैं और बर्फ पिघलने लगती है। इससे जानवरों और मनुष्यों में त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां होती हैं।
- शारीरिक स्वच्छता के लिये उपयोग में लाए गये साबुन, डिटर्जेंट, घर की नालियों की साफ सफाई में प्रयुक्त कीटनाशक, खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, मलमूत्र, कचरा, मृत शरीर आदि का निस्तारण नदियों में किया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है।
- कारखानों के प्रदूषित जल, अपशिष्ट, कूड़ा आदि को खाली भूमि में डाल दिया जाता है इसमें से रसायन, ताप, विषैली गैसें आदि मृदा में प्रवेश कर जाती है और कृषि योग्य उर्वरा भूमि भी बंजर हो जाती है।
- पेड़ों की कमी, बढ़ते प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के कारण विभिन्न जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। कभी ग्रामीण जिलों से शहरी क्षेत्रों

में प्रवास करने वाले पक्षी अब उद्योगों के हानिकारक उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉनिक तरंगों के कारण दिखाई नहीं देते है।

- वनों को काटकर उनके स्थान पर फैक्ट्रियों, मिलों, औद्योगिक इकाइयों का निर्माण तथा वृक्षों का समुचित मात्रा में पुनः रोपण न करने से वृक्षों की कमी हो रही है। इससे वायु मण्डल में वृक्षों से प्राप्त ऑक्सीजन की कमी, भूमि की उर्वरता में कमी, बाढ़ का खतरा और वर्षा की कमी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण से श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण प्रत्येक पाँच में से चार व्यक्ति इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कम आय वाले लोग प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल के उपयोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक होता है।
- वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल, डीजल से निकलने वाला धुआँ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस धुएँ से लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें हमारी त्वचा, नेत्र, फेफड़ों को विकारग्रस्त कर रही हैं।
- वातावरण को नियंत्रित करने वाले यंत्र जैसे ए.सी. आदि में टेट्रा फ्लोरो ईथेन नामक गैस के उपयोग और ओजोन गैस के क्षरण से विकिरण किरणें पृथ्वी के जीव जंतुओं, पेड़–पौधों आदि को नुकसान पहुँचा रहीं हैं और इसी कारण से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है।
- औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट, भारी धात्विक पदार्थ (पारा, सीसा, जस्ता, तांबा आदि) का रासायनिक कचरा नदियों में बहाये जाने से नदियों का जल भी प्रदूषित हो रहा है।
- तीव्र ध्वनि से बजने वाले वाद्य यंत्रों, लाउडस्पीकरों, माइकों, इलेक्ट्रॉनिक वूफर साउण्ड वाले बड़े–बड़े स्पीकर वाले वाहनों के हार्न आदि संयंत्रों के ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, दिल का दौरा, दिमागी बीमारियाँ जैसे माइग्रेन, अनिंद्रा, कार्यक्षमता में ह्रास आदि का खतरा बढ़ रहा है।

पर्यावरण व मानव जीवन के संरक्षण के संदर्भ में कदम

अभी स्थिति इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि इसे सुधारा न जा सके। इसके लिए हर मानव का दायित्व बनता है कि इसकी स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान दें और गुणवत्ता को बचाने के लिए बेहतर कदम उठाएँ। यह सही समय है जब हम इन मुद्दों पर प्रकाश डालें क्योंकि इन समस्याओं को नकारना कोई समाधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की दौड़ में शामिल होने के साथ भारत को उस पथ का अनुसरण भी करना चाहिए जो पर्यावरण को पोषण प्रदान करता है। प्रकृति ने हमें कई उपहार दिए हैं जिनके कारण मानव आज इस धरती पर जीवित रह पाया है। मानव अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए दीर्घकालिक परिणामों को समझे बिना पर्यावरण में मनचाहे बदलाव करता है, लोग लगातार ऐसी तकनीक का उपयोग करते है जो हमारी प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

21वीं सदी के पर्यावरण के स्तर को देखते हुए मानव जीवन के संरक्षण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पर्यावरण के तत्वों के बीच संतुलन का होना बहुत आवश्यक है, इन तत्वों में असंतुलन का होना ही पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब हम प्रकृति के बनाए नियमों को अच्छी तरह से समझकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा उपभोग करेंगे तभी यह पर्यावरण संतुलन में बना रहेगा और हम स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकेंगे। इस उद्देश्य से लोगों में कई माध्यमों से यह जागरूकता भी फैलाई भी जा रही है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का सीमित रूप में प्रयोग करें और इसका दुरूपयोग करने से बचें। ऐसे पदार्थों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए जिनका पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जा सके। विद्यालय से प्रारंभ करके महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक 'पर्यावरण शिक्षा' को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

अगर मानव अभी से पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में इस धरती पर किसी भी प्राणी के लिए जीवन दुष्कर हो जाएगा।

अतः हमें उस अपसंस्कृति से बचना होगा जो प्रकृति का दोहन करना जानती है और उस भारतीय संस्कृति को विलुप्त होने से बचाना होगा जिसमें प्रकृति प्रेम कूट–कूट कर भरा है। पशु–पक्षियों को हानि पहुँचाने से बचना होगा एवं पीने योग्य पानी की शुद्ध व्यवस्था और उसकी आपूर्ति को सही करना होगा। भविष्य में अगर पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो पानी के लिए अगला युद्ध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2080 तक लगभग 3 अरब 20 करोड़ लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से महामारी में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी और उस समय हमारे पास उससे निजात पाने के लिए संसाधन नहीं होंगे। यदि हम वनों को काटकर औद्योगिक प्रतिष्ठान बना रहे हैं, तो प्रकृति एवं जल के संरक्षण के लिए उसी अनुपात में अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण भी करना होगा। वनों का विकास वृक्षारोपण के द्वारा ही किया जा सकता है तथा वन प्रबंधन, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वाहनों से निकलने वाले धुएँ को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिये प्लास्टिक बैग, थैलों और बोतलों का प्रयोग बंद करना होगा। कृषि हेतु जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कृत्रिम वर्षा, परमाणु बम आदि विस्फोटक हथियारों का निर्माण और प्रयोग रोकना होगा। वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रकृति के साथ होने वाले खिलवाड़ को बंद करना होगा। इस बात का प्रमाण इस सदी की सबसे बड़ी समस्या कोविड–19 महामारी है जिसने पूरे विश्व हो हिला कर रख दिया था। इसे एक सीख मानकर हमें अपने भविष्य को सुधारने पर काम करना चाहिए।

ध्वस्त होता सामाजिक ताना–बाना

बीरेन्द्र सिंह रावत*

ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसके बिना कुछ भी ठीक से विकसित नहीं हो सकता है। हर परिवर्तन अपने साथ कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से हमारे जीवन में दूरगामी बदलाव आए हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव धीरे–धीरे पूरे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है। प्रगति में समाज–कल्याण और सामूहिक–हित की भावना छिपी होती है। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ''विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होता है। विकास केवल आर्थिक वृद्धि या विकास नहीं है, बल्कि वह स्वयं में मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक वृद्धि परिवर्तनों को भी सम्मिलित करता है।' आज, समय के साथ अनेकानेक परिवर्तन हो रहे हैं। उनमें से अधिकतर सकारात्मक होते हैं परंतु कुछेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका धीरे–धीरे सामुदायिकता और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आलेख के विषय पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर दो प्रसंग प्रस्तुत करना समीचीन होगा। जून 2006 में मैं उत्तराखंड में स्थित अपने पैतृक स्थान (ग्राम पड़खंडाई, पोस्ट भौन, जिला पौड़ी गढ़वाल) से परिवार के साथ नई दिल्ली वापस आ रहा था। रामनगर से हमने बस पकड़ी तो मेरे बगल की सीट में इटली के श्री एल्फ्रेड जो बैठे। वह जिम कार्बेट नेशनल पार्क का भ्रमण करके दिल्ली वापस आ रहे थे। अगल–बगल बैठे तो थोड़ी देर में बातचीत का सिलसिला भी शुरु हो गया। एक–दूसरे के खान–पान, रहन–सहन, शौक, आजीविका के साधन सहित अन्य अनेक बातों के साथ–साथ परिवार के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। उनके अनुसार ''हमारे माता–पिता आपसी सहमति से तब ही अलग हो गए थे जब मेरी छोटी बहन और मैं बहुत छोटे थे। हमारी माता जी एक उद्यमी हैं, उन्होंने हमारी हर खुशी का ख्याल रखा और जब हम अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो गये तो उन्होंने हमें अपनी जिंदगी अपने ढंग जीने की स्वतंत्रता दे दी। मेरी छोटी बहन कई वर्षों से अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ किसी दूसरे शहर में रह रही है और मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तीसरी बार भारत आया हूँ, और हर बार मुझे एक अलग देश की गर्लफ्रेंड मिली। मैं यहाँ आकर; यहाँ के लोगों एवं उनकी सोच को जानकर; यहाँ की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता और नैसर्गिक सुंदरता को देखकर तथा हर बार एक नई गर्लफ्रेंड पाकर बहुत खुश हूँ। एक बात और, हमारे यहाँ पर व्यक्तिवादी सोच का बोलबाला है और इस प्रकार हम अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं, परंतु मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ।''

उन दिनों जर्मनी में फुटबॉल विश्व कप चल रहा था और एक राष्ट्रप्रेमी होने के नाते वह चाहते थे कि यह विश्व कप उनका देश ही जीते। 09 जुलाई 2006 को हुए फाइनल में इटली ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 5–3 से हराते हुए चौथी बार फुटबॉल विश्व कप अपने नाम कर भी दिया। इस फाइनल मैच के अंतिम क्षणों में फ्रांस के कप्तान जिनेडिन जिडान ने इटली के मार्को मतेराजी की छाती पर अपने सिर से वार किया था जिसके कारण रेफरी द्वारा उन्हें रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर कर दिया गया और अंततः फ्रांस मैच भी हार गया। फाइनल मैच के नियमित समय में यह मुकाबला 1–1 की बराबरी पर छूटा था और संयोगवश दोनों टीमों के गोल करने वाले फ्रांस के जिनेडिन जिडान और इटली के मार्को मतेराजी ही थे।

उपरोक्त पहले प्रसंग से जहाँ एक ओर मुझे एक पारिवारिक–सामाजिक भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर जिनेडिन जिडान के कृत्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक नामचीन खिलाड़ी ऐसे कैसे आवेश में आ गया और इस प्रकार विरोधी टीम को लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया। यह कतई अस्वीकार्य था क्योंकि फाइनल में दोनों टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। तब उनकी एक गलती के कारण फ्रांस यह खिताब दूसरी बार नहीं जीत पाया था। हालांकि, उसके बाद फ्रांस यह खिताब दूसरी बार 2018 में जीत चुका है। परंतु जब मैं आज इन बातों पर गौर करता हूँ तो मैं सत्य–असत्य और अर्धसत्य के फेर में फंसकर वास्तविकता का आभास करने में अपने को असहाय पाता हूँ।

प्राचीन समय में भारतीय समाज में परिवार को सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था परंतु वर्तमान समय में सामाजिक संरचना एक परिवर्तन के दौर से गुजरी है तथा जीवनयापन आर्थिक रूप से आंदोलित हुआ है। परिवार की मुख्य रूप से दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं–i) संयुक्त परिवार, और ii) एकल परिवार। भारत के प्राचीन समाज का स्वरूप संयुक्त परिवार है, वहीं आधुनिक समाज का स्वरूप एकल परिवार है। प्राचीन समय में एक ही परिवार में दादा–दादी, ताऊ–ताई, माता–पिता, चाचा–चाची, बुआ और सगे एवं चचेरे भाई–बहन सब साथ रहते थे, यानी दो से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। इसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में सभी जिम्मेदारी परिवार के मुखिया के पास होती है, जो सभी को बाँटकर कार्य देते हैं। संयुक्त परिवार में सभी मिलकर कमाते हैं, और सभी मिलकर खाते हैं। हर सम्पत्ति में सभी का समान अधिकार होता है और सभी समान रूप से श्रम करते हैं। संयुक्त परिवार का संचालन करना एक राष्ट्र के संचालन के समान होता है और ये दायित्व परिवार के मुखिया के पास होता है। परिवार के भी अपने नियम होते हैं, जिनके अनुसार सभी को चलना पड़ता है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा नियम बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम–स्नेह होता है, जिस कारण इस परिवार में प्रेमभाव हमेशा बना रहता है और इस गुण के कारण इस परिवार के लोग संस्कारवान भी होते हैं।

संयुक्त परिवारों के युग में, आज से लगभग 25–30 वर्ष पूर्व तक जब संयुक्त परिवारों का प्रचलन कहीं अधिक था, उस समय नैतिक मूल्यों एवं सामूहिकता को काफी महत्व दिया जाता था। उस समय जब भी कोई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक गतिविधि होती थी तो वह आपसी सहयोग से ही संपन्न होती थी। घर–गाँव में शादी–ब्याह हो या तीज–त्यौहार, मंदिर निर्माण हो या फिर स्कूल निर्माण, सब काम समुदाय के आपसी सहयोग से ही संपन्न होते थे। उस समय विकास कार्यों के लिए भी शासन–प्रशासन द्वारा फंड बमुश्किल मुहैया कराया जाता था। एक सभ्य समाज के लिए जनता का शिक्षित होना अति आवश्यक है। किसी क्षेत्र में स्कूल खोलना हो तो शासन–प्रशासन से स्कूल की मान्यता हासिल

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

करने से पूर्व बुनियादी ढांचे का निर्माण क्षेत्रीय जनता द्वारा विभिन्न तरीके अपनाते हुए धन इकट्ठा करके किया जाता था। इन तरीकों में क्षेत्रीय जनता एवं प्रवासी बंधुओं से चंदा इकट्ठा करना, रामलीला का आयोजन एवं गाँव–गाँव जाकर होली गायन करना और राष्ट्रीय पर्वों के सुअवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरियां निकालना शामिल थे। यही नहीं, स्कूल प्रबंधन समिति के पद अवैतनिक होने के कारण विभिन्न खर्चों का वहन समिति के सदस्यों को अपनी जेब से ही करना पड़ता था। अतः यह कह सकते हैं कि उस समय सामुदायिकता और समाज कल्याण की भावना सर्वोपरि थी। आज समय के साथ सब बदल गया है, जीवनयापन आर्थिक रूप से आंदोलित होने के कारण समूहवादी सोच की जगह अब व्यक्तिवादी सोच को प्राथमिकता दी जा रही है एवं संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। इसके साथ ही वैश्वीकरण ने जहाँ एक ओर आर्थिक प्रगति के भरपूर अवसर उपलब्ध कराये हैं तो वहीं दूसरी ओर हमारी युवा पीढ़ी को उन्मुक्त पाश्चात्य संस्कृति से रूबरू कराने और अपने समाज एवं धर्म से विमुख करने में योगदान दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आनंद स्वैच्छिक ढंग से प्राप्त करने के लिए सर्वत्र स्वतंत्र है। वह खानपान, जीवनयापन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक अंतः संबंध इत्यादि सभी विषयों में स्वेच्छाचारी हो गया है। इस प्रकार की उन्मुकता मानवता के वास्तविक सुख में साधक नहीं हो सकती। साल 2010 में 'बिहैवियरल एंड ब्रेन साइंसेज' नाम की पत्रिका में एक लेख छपा था। इसे कई वैज्ञानिकों ने अपने तजुर्बे के आधार पर लिखा था और इसके मुताबिक़ एशियाई और पश्चिमी देशों के लोगों के दरम्यान सबसे बड़ा अंतर 'व्यक्तिवाद' और 'समूहवाद' का है। रिसर्च की बुनियाद पर ज्यादातर जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देशों के लोग खुदपरस्त होते हैं। वे किसी और के बारे में सोचने से पहले खुद अपने बारे में सोचते हैं। उनके लिए अपनी खुशी सबसे पहले आती है। पश्चिमी सभ्यता की प्रशंसक एवं अनुयायी हमारी युवा पीढ़ी अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का त्याग करते हुए पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है और अपनी आर्थिक प्रगति को लेकर आत्म–मुग्ध है। यह प्रायः परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक अथवा राजनैतिक से भिन्न मानती है और इस प्रकार अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। पिछले वर्ष धर्म नगरी हरिद्वार, उत्तराखंड में बेटे–बहू से पोते–पोती का सुख दिलाने के लिए एक बुजुर्ग दंपती ने कोर्ट से गुहार लगाई है। हरिद्वार जिला कोर्ट में दायर याचिका में इस बुजुर्ग दंपती ने कहा है कि हमने अपने इकलौते बेटे की परवरिश में, उसे काबिल बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। इसके बाद भी हमें इस उम्र में अकेले रहना पड़ रहा है जो कि किसी यातना से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो हमारे बेटा–बहू, जिनकी शादी 2016 में हो गयी थी, हमें एक साल के भीतर पोता–पोती दें, लड़का हो या लड़की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है या फिर वे हमें पाँच करोड़ रुपये का मुआवजा दें, जो हमने उनकी परवरिश पर लगाए हैं।

यह आज के समाज का कटु सत्य है कि माता–पिता अपने बच्चों के लालन–पालन और उनकी पढ़ाई–लिखाई संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते है और उन्हें अपनी पसंद के करियर के लायक बनाते हैं। परंतु अपने करियर को सर्वोपरि मानते हुए आज के युवा अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से बच रहे हैं, जबकि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक इकाई है। परिवारों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। अगर परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ व खुशहाल होंगे, तो समाज भी खुशहाल होगा। पारिवारिक सुख और शांति के लिए परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी स्नेह, विश्वास और सम्मान आवश्यक है। बर्गेस. ई. डब्ल्यू. तथा हार्नीलाक के अनुसार–परिवार व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जिसमें वे विवाह, रक्त या दत्तक संबंध से संबंधित होकर एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं एवं एक–दूसरे पर स्त्री–पुरूष, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–बहन इत्यादि के रूप में प्रभाव डालते व अंतःक्रिया करते हुए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं।' परिवार की विशेषताओं में से तीन प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: i) भावनात्मक आधारः परिवार के सदस्य भावनात्मक आधार पर परस्पर एक–दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, बलिदान, त्याग आदि की भावनाएं होती हैं जो परिवार के संगठन को सुदृढ़ करती हैं; ii) सदस्यों की जिम्मेदारीः परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी अवश्य होती है। सदस्यों के इस उत्तरदायित्व के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी रहता है; और iii) सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थानः सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। परिवार के रूप में इकाइयों के मिलने से समाज का निर्माण होता है। अतः जितनी जिम्मेदारी माता–पिता की अपने बच्चों के प्रति होती है, उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों की भी अपने माता–पिता के प्रति होती है।

'समाज' शब्द का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रायः व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है जैसे शिक्षक समाज, आर्य समाज अथवा स्त्री समाज आदि। इन शब्दों में समाज शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में करते हैं अर्थात जब हम 'शिक्षक समाज' की बात करते हैं तो उस समय हमारे मन में इसका तात्पर्य 'शिक्षकों का एक समूह' होता है। परंतु समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह अथवा संकलन (एकत्रीकरण) मात्र को ही समाज नहीं कहा जाता है अपितु व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का निर्माण मात्र व्यक्तियों के संकलन से नहीं होता है, इसके लिए उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। सामाजिक संबंधों का निर्माण तब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति (कर्ता) परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं और एक–दूसरे से अंत–क्रिया करते हैं। सामाजिक संबंध स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते है। उदाहरणार्थ परिवार के सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं जबकि एक दुकानदार और ग्राहकों, डॉक्टर और मरीजों के बीच अस्थायी संबंध होते हैं। सामाजिक संबंध असंख्य होते हैं जिसके कारण इनकी प्रकृति अत्यंत जटिल होती है। समाज का निर्माण इन्हीं विविध प्रकार के असंख्य सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है और सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ताने–बाने को ही समाज कहा जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार 'जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम समाज कहते हैं।' अतः समाजशास्त्र में समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों का एक सुव्यवस्थित ताना–बाना अथवा जाल है।

जैसा कि आलेख के शुरुआती अनुच्छेद में वर्णित है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से हमारे जीवन में दूरगामी बदलाव आए हैं। प्रौद्योगिकी के आज के युग में हमें सूचना की प्राप्ति एवं विभिन्न प्रयोजनों के लिए नित नए माध्यम प्राप्त हो रहे हैं। इन्हीं में एक माध्यम है सोशल मीडिया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया का वैश्विक समुदायों और संगठनों के एक–दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त लाभों में से एक यह है कि इसने उत्कृष्ट वैश्विक संचार को सक्षम बनाया है। इसने उन व्यक्तियों और समुदायों की सहायता करने में मौलिक भूमिका निभाई है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कई समूह और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित हैं। नए कौशल और अवधारणाओं को सीखने की सुविधा के लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है।

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभिन्न आयु समूहों के छात्रों और शिक्षार्थियों के साथ शिक्षकों और पेशेवरों को एक साथ लाकर सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। नवीनतम जानकारी और समाचार प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया इंटरनेट पर सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। सोशल मीडिया आपके प्रियजनों और बड़े समुदाय के साथ जानकारी साझा करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यही नहीं, आप अपनी प्रतिभा को सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करके निखार सकते हैं और आय अर्जित कर सकते हैं। परंतु सोशल मीडिया को अक्सर दोधारी तलवार भी कहा जाता है। सोशल मीडिया उपयोग के सबसे खराब पहलुओं में साइबरबुलिंग, हैकिंग और फर्जी खबरें फैलाना हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होने वाली बदमाशी साइबरबुलिंग है। यह पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने या चिढ़ाने के लिए झूठे सोशल मीडिया खातों का उपयोग करता है। हैकिंग कई लोगों को प्रभावित करती है। हैकिंग से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। दिनों–दिन हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ हैकर्स अपने फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति की वित्तीय और सामाजिक स्थिरता को बिगाड़ने में कामयाब हो रहे हैं। फर्जी खबरें समाज पर विनाशकारी प्रभाव डालती है और अक्सर विभिन्न समुदायों के मध्य वैमनस्य पैदा करती हैं। फर्जी खबरें तेजी से फैलती हैं, विघटन प्रवृति के व्यक्ति अक्सर झूठी सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं और उन्हें समूहों और अन्य प्लेटफार्मों पर फर्जी खबरें फैलाकर साझा करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करते हैं उनमें इसकी मनोवैज्ञानिक लत विकसित हो जाती है, वे अक्सर समाज और प्राकृतिक दुनिया से कट जाते हैं। सोशल मीडिया की लत ने वैश्विक किशोर आबादी को अधिकांश नकारात्मक तरीकों से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि भावनाओं को सरल पाठ संदेशों के साथ आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही, सोशल मीडिया पर बातचीत की गुणवत्ता अक्सर स्तरीय नहीं रह पाती है। भावनात्मक जुड़ाव कम होने से आज का युवा वर्ग अपने संस्कारों से दूर हो रहा है और अन्य अनेकानेक कारणों के साथ समाज में अविश्वास का भाव पैदा हो रहा है। यह सामुदायिकता, आपसी सौहार्द एवं एकता की भावना को प्रभावित कर रहा है।

इस आलेख के द्वितीय अनुच्छेद में उल्लिखित अप्रिय घटना के संबंध में मैं यह बताना चाहूँगा कि फुटबॉल विश्व कप, 2006 के फाइनल में फ्रांस के कप्तान जिनेडिन जिडान के द्वारा इटली के मार्को मतेराजी की छाती पर अपने सिर से वार करना उस घटना का केवल एक पहलू था, या यूँ कहें कि यह अर्धसत्य था। बाद में पता चला था कि उस घटना के चंद मिनट पहले मतेराजी ने जिनेडिन की माताजी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था और उसका प्रतिकार जिनेडिन ने मतेराजी की छाती पर अपने सिर से वार करके किया था। आज के मतलबी समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल अर्धसत्य अपितु असत्य को भी इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि यह पूरी सत्य प्रतीत होता है और समाज–विरोधी, देश–विरोधी ताकतें अपने कुत्सित एजेंडे को चलाने में सफल हो जाती हैं।

इसका हालिया उदाहरण समाज, देश एवं पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली 04 मई 2023 को मणिपुर में घटी घटना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की खबरों के अनुसार उस दिन एक समुदाय की अनियंत्रित एवं हिंसक भीड़ ने दूसरे समुदाय के गाँव पर धावा बोला तो गाँव के पाँच लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गये। इनमें दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थीं। उनमें से तीन एक ही परिवार के थे, एक 56 साल का व्यक्ति, उसका 19 साल का बेटा और 21 साल की बेटी। दो अन्य महिलाएं एक 42 साल की और दूसरी 52 साल की भी समूह का हिस्सा थीं। जंगल के रास्ते में उन्हें नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन की एक टीम ने बचाया। नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन से दो किलोमीटर दूर टूबू के पास हिंसक भीड़ ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और पुलिस टीम से अपने कब्जे में ले लिया। भीड़ ने तुरंत 56 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ के सामने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया। इसके बाद 21 साल की युवती के साथ दिनदहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। जब 21 साल की युवती के छोटे भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसकी भी हत्या कर दी। वहीं दो अन्य महिलाएं इलाके के कुछ परिचित लोगों की मदद से मौके से भागने में सफल रहीं। अपुष्ट खबरों के अनुसार समुदाय विशेष की महिलाओं के साथ सारी हदें पार करने बाली इस घिनौनी घटना के पीछे एक 'झूठी खबर' थी। दरअसल, 03 मई 2023 को मणिपुर में दूसरे समुदाय की ओर से निकाले गए 'आदिवासी एकता मार्च' के दौरान हिंसा भड़क गई थी और चूड़ाचांदपुर जिले में एक फोटो वायरल हुई। फोटो में पॉलिथीन में लिपटी एक महिला की लाश थी। वायरल फोटो के साथ एक मैसेज भी वायरल था कि एक समुदाय की महिला के साथ दूसरे समुदाय के लड़कों ने मेडिकल कॉलेज में रेप किया और उसकी हत्या कर दी। यह फर्जी फोटो वायरल होते ही उस समुदाय में हंगामा मच गया और हिंसा भड़क गई। वायरल हुई तस्वीर का बाद में पता चला कि वह मामला मणिपुर की है ही नहीं, जिस लड़की की तस्वीर वायरल हुई थी वह दिल्ली की थी। उसकी हत्या किन्हीं और कारणों से 2022 में हुई और मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। इस फेक न्यूज ने समुदाय विशेष को भड़काने का काम किया। मणिपुर में अगर ये फेक न्यूज न फैली होती तो शायद 04 मई 2023 को यह घिनौनी घटना न घटी होती। इसी तरह, बिना सोचे समझे या जानकारी की पुष्टि किये बिना उसको फॉरवर्ड करने से तीन वर्ष पूर्व 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं को ड्राइवर सहित मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा था। उस समय पालघर के इलाके में बीते कुछ दिनों से अफ़वाह फैली थी कि कुछ लोग बच्चों की चोरी करके उनकी किडनी निकाल ले रहे हैं। एक फॉरवर्ड मैसेज में बच्चा चोरों को लेकर सावधान रहने की बात कही गई थी। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं फर्जी खबरों की वजह से घटी होंगी और इन विनाशकारी घटनाओं में जान–माल की भारी क्षति हुई होगी। इनके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। साथ ही, अलग–अलग समुदायों के मध्य अविश्वास की भावना प्रबल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में अत्यधिक खुलेपन, दिनों–दिन खत्म होते संयुक्त परिवार, पारिवारिक संस्कारों की कमी, समूहवादी सोच की जगह व्यक्तिवादी सोच को प्राथमिकता देने, वैश्वीकरण के कुप्रभाव और सोशल मीडिया में बढ़ते फेक न्यूज के चलन की वजह से आज सामाजिक ताना–बाना ध्वस्त हो रहा है।

रोमानिया में जन्मे अमेरिकी लेखक, प्रोफेसर और नोबेल पुरस्कार विजेता श्री एली विजेल के अनुसार *'एक ऐसा विनाश जिसे केवल मनुष्य ही भड़का सकता है, केवल मनुष्य ही रोक सकता है।'* इसलिए स्वयं, समाज एवं राष्ट्र के हित में हमें अविलंब इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन–मनन करना चाहिए और पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाने चाहिए।

विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियाँ

राजेश कुमार कर्ण*

भारत आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर गया है। वर्ष 2047 तक के इस कालखंड में देश हर क्षेत्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बना रहा है। भारत का सपना है कि इस दौरान वह विकसित देश बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और प्रयास, सबको साथ लेकर चलने के हैं जिसमें लोगों को जनधन से स्वाभिमान मिला तो किसानों को सम्मान। नारी को उज्ज्वला का उपहार मिला तो गरीबों को रहने के लिए आवास। जल जीवन मिशन की सौगात मिली तो खेती पर प्राकृतिक आपदा का असर न पड़े, इसके लिए फसल बीमा की सुरक्षा मिली। इलाज का बोझ न पड़े इसके लिए आयुष्मान दिया तो कोविड काल में वैक्सीन का रामबाण भी दिया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है। कभी 'तीसरी दुनिया का देश' कहा जाने वाला भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लालफीताशाही पद्धति को बदलते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करते हैं। बेशक आजादी के बाद से हम अपनी यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 2047 तक एक विकसित समाज बनने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की आबादी में एक अरब से अधिक लोग जुड़े हैं, पर अधिकांश क्रय शक्ति कुछ लोगों तक सीमित है। आर्थिक असमानता भी देश के सामने बड़ा मुद्दा है। आज हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन किसान इस पेशे से बाहर जा रहे हैं।

आजाद भारत अपनी 100 साल की यात्रा के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। उम्मीद है कि भारत इस यात्रा का समापन एक विकसित देश के रूप में करेगा। इसके लिए जिम्मेदार जरूरी कार्य–योजनाओं का जिक्र करना जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून की वजह से स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी है। भारत का स्कूली तंत्र दुनिया के विशाल शिक्षा तंत्रों में एक है। यहां करीब 15 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और 26.5 करोड़ छात्र हैं। अच्छी बात यह है कि अब प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब शत–प्रतिशत नामांकन होने लगा है। फिर भी, जैसा कि 'असर' की हालिया रिपोर्ट कहती है, बच्चों में किताब पढ़ने और अंकगणित की बुनियादी क्षमता चिंताजनक रूप से गिरी है, जबकि बीते कुछ वर्षों में यह बढ़ रही थी। कई राज्यों में तो यह गिरावट सरकारी व निजी, दोनों तरह के स्कूलों में और लड़के व लड़कियों, दोनों में दिखी है।

साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी प्रमुख चिंता का कारण है। शीर्ष 100 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में– एक भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान नहीं है। करीब चार दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति पर अमल के बावजूद अभी शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ सुधार होने शेष हैं। कोचिंग उद्योग का व्यापक रूप शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सुधारों को आईना दिखाने का ही काम कर रहा है। कायदे से अब तक पाठ्यक्रम में समयानुकूल परिवर्तन हो जाने चाहिए थे, लेकिन कहना कठिन है। कि यह काम कब तक पूरा होगा? आज जब समान नागरिक संहिता और एक देश–एक चुनाव की चर्चा हो रही है, तब एक देश–एक पाठ्यक्रम की दिशा में क्यों नहीं बढ़ा जा सकता? यह राष्ट्रीय एकत्व को बल देगा और सभी को समानता के धरातल पर लाएगा। हमने शिक्षा के लिए एक पराई भाषा अंग्रेजी को तरजीह दिया परिणामस्वरूप 90% भारतीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। शिक्षा का सीधा संबंध तो रोजगार के साथ जुड़ गया है पर शिक्षा को अभी तक रोजगारोन्मुख नहीं बनाया जा सका है।

बिमटेक के निदेशक श्री हरिवंश चतुर्वेदी के अनुसार हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में बड़ी संख्या ऐसे संस्थानों की भी है, जिनकी हालत को अच्छा नहीं माना जा सकता और जो संसाधनों की कमी से हर समय जूझते रहते हैं। जब 1949 में संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब आर्टिकल 45 के अंतर्गत यह कहा गया कि सरकार को दस साल के अंदर देश के सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देनी होगी। जब 1960 तक देश में साक्षरता सिर्फ 24% हो पाईं, तब शिक्षा की इस विकट स्थिति से उबरने के लिए 1964 में भारत सरकार ने प्रो. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। कोठारी आयोग ने अन्य सुझावों के साथ–साथ एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने और शिक्षा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 2.9% से बढ़ाकर अगले 20 वर्षों में 6% करने का सुझाव दिया। लेकिन 60 वर्षों के बाद भी हम सभी प्रकार की शिक्षा पर कुल सालाना खर्च को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा पाए हैं। 1976 तक शिक्षा संविधान के अंतर्गत केंद्र की सूची में सम्मिलित था। जिसे आपातकाल के दौरान संविधान की समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका मतलब था कि शिक्षा के बारे में केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकते थे, आर्थिक संसाधन आवंटित कर सकते थे और उनका क्रियान्वयन भी कर सकते थे।

उदारीकरण के दौर में गरीब वर्गों के परिवारों की अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की उम्मीदों और हसरतों को पूरा करने और विश्व स्तर पर स्कूली शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। मिसाल के तौर पर 1999 में संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) पारित किया गया और वर्ष 2000 में 'सर्व शिक्षा अभियान' की शुरूआत की गई।

21 वीं सदी में दुनिया में इंटरनेट ने चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (इंडस्ट्री 4.0) को जन्म दिया, जिसे डिजिटल युग का नाम दिया गया। चौथी औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति और उसके बाद की सभी आर्थिक क्रांतियों को पीछे छोड़ दिया। इस दौर में ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियां सामने आईं, जिन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था में उथल– पुथल मचा दी। एआई, मशीन लर्निंग, 3डी, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, जेनोमिक्स आदि ने एक अभूतपूर्व संभावना को जन्म दिया है, जिससे कि आने वाले दो दशकों में दुनिया की मानवीय, जैविक

* *आशुलिपिक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

एवं पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख व ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इन सभी संभावनाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत की प्राथमिक स्कूली एवं उच्च शिक्षा के लिए अगले 10–12 वर्षों का एक प्रभावशाली खाका पेश किया गया है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की वास्तविकताओं से रूबरू कराता है। विज्ञान क्षेत्र में नौकरशाहीकरण के कारण देश में प्रतिभा की कमी हो गई है। भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में विकसित किए गए विज्ञान अपनाने चाहिए। विकसित देशों में शुमार होने के लिए भारत को कम से कम कुछ क्षेत्रों में ज्ञान–निर्माता और पेटेंट जन्मदाता देश बनना होगा। अगला क्षेत्र हरित अर्थव्यवस्था का है। भारत को बचाने के लिए हमें हरित, यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहीं अधिक तेजी से विकसित करनी पड़ेगी और अपनानी भी होगी। सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और ऐसे ही कई अन्य उत्पादों को देश में ही बनाना चाहिए। हमें इनका स्रोत बनना होगा और आपूर्तिकर्ता भी। भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा (बड़ी पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) की हिस्सेदारी आज भी केवल 12.3% है। करीब 80% उत्पादन कोयले से ही होता है। इस अनुपात को 2047 तक पलटने की जरूरत है।

देश के सामने रोजगार सृजन का मुद्दा भी चुनौतीपूर्ण है। औपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंदों को अधिकाधिक काम मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा दिए बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। खासकर, श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मौजूदा 25% से बढ़ाकर 50% करने से तरक्की, सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर में स्वतः उन्नति आएगी। महिलाओं को सशक्त बनाकर ही हम विकसित देश बन पाएंगे। महिलाओं के सशक्तीकरण में निवेश करना नैतिक अनिवार्यता और आर्थिक रणनीति, दोनों है। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम देशों को महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मेंटोरशिप में भी नवाचार, सहयोग व निवेश जारी रखना चाहिए। आर्थिक समृद्धि व सामाजिक उन्नति का मार्ग महिलाओं के योगदान से ही प्रशस्त होता है। इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों को और भी अधिक विस्तार देने का समय है जिससे ज्यादा से ज्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य की राह तैयार हो सके। जेएनयू के अटल मैनेजमेंट स्कूल के प्रोफेसर डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, यदि इसके युवा उचित कौशल और शिक्षा से सुसज्जित हो जाएं। सरकार के निर्णयों के साथ–साथ यह बहुत हद तक हम लोगों में बदलाव की इच्छा पर भी निर्भर करेगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाए। गाँवों–कस्बों के परंपरागत धंधों का भी आधुनिकीकरण करके उन्हें शिक्षा का आवश्यक अंग बनाया जाए। उन धंधों को प्रतिष्ठित भी बनाया जाए, ताकि लोग उन्हें करते हुए शर्म महसूस न करें।

आजादी के इन 75 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े–बड़े अस्पताल खुले हैं, जहां कई अन्य देशों के मुकाबले सस्ते एवं बेहतर इलाज उपलब्ध हैं। भारत ने भी महामारी संक्रमण देखा है और चुनौतियँ अभी भी जारी हैं। संक्रामक रोग कम हो गए हैं, लेकिन गैर–संचारी रोग बढ़ रहे हैं। 2017 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेतृत्व वाली रिपोर्ट हेल्थ ऑफ द नेशंस में कहा गया है कि गैर–संचारी रोग जैसे हृदय, लिवर और किडनी रोग सभी मृत्यु दर में लगभग दो तिहाई का योगदान करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि हर चार भारतीय वयस्कों में से एक को मधुमेह या पूर्व मधुमेह है। हर तीन में से एक वयस्क उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है और हर पांच में से दो वयस्क मोटापे से ग्रस्त है और उन्हें कोलेस्ट्रॉल संबंधी विकार भी हैं। इन घातक बीमारियों के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.7 डाक्टर हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि प्रति 1000 लोगों पर औसतन 2.5 डाक्टर होने चाहिए।

गावों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। भारत को गांव प्रधान देश माना जाता रहा है। आज भी लगभग 65% आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है। लेकिन आजादी के लंबे अरसे तक गांवो के सामर्थ्य को वह अवसर नहीं मिला, जिसका वह हकदार था। देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों के पास बैक में खाते तक नहीं थे। ऐसे में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास की नई कल्पना सामने रखी कि व्यक्ति, गांव और क्षेत्र के समानांतर विकास से समग्र ग्रामीण विकास संभव है जिसे उन्होंने करके भी दिखाया है। एक समय था जब कहा जाता था कि गांव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। आज हर परिवार के पास बैंक खाते हैं, गांव की अर्थव्यवस्था, गांव मे सुविधाओं, गांव के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। गांव–गरीब को देश में पहली बार सुरक्षा और सम्मान मिला है और विकास की तेज गति से गरीबी भी कम हुई है। केंद्र सरकार की देश बदलने की प्रक्रिया और पहल पूरी तरह गरीबी उन्मूलन को समर्पित है। ग्रामीण विकास सैद्धांतिक नहीं हो सकता, इसके लिए एक समर्पण भाव की जरूरत है। इस देश को अगर समृद्ध, सुविधापूर्ण और आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को समृद्ध, सुविधापूर्ण और आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांवों में रहने वाली 70% प्रतिभा को अर्थतंत्र से जोड़ना ही होगा, ताकि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार देश की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसमें 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। औपनिवेशिक शासन काल में आर्थिक शोषण, बदहाली, निरक्षरता और पराधीनता का क्रूर दंश सबसे अधिक गाँवों को ही झेलना पड़ा। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. दलीप कुमार ने ठीक ही लिखा है कि आजादी के बाद भी हमने स्वतंत्र भारत के विकास के उसी पाश्चात्य मॉडल को आगे बढ़ाया, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन बना पाना संभव नहीं। उद्योगों के विकास हुए लेकिन शहरों में औद्योगिकीकरण, वाणिज्यीकरण तथा शहरीकरण एक–दूसरे के पर्याय बन गए। विकास के पथ पर शहर तेजी से बढ़ते गए। इससे देश के अंदर एक समृद्ध इंडिया बना, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, रोजगार के अवसर बढ़े तो दूसरी ओर अविकसित भारत जो पूरी जनसंख्या के लिए अनाज, सब्जी, फल, दूध, दही, घी की आपूर्ति तो करता है पर स्वयं गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या से अब भी संघर्ष करता दिख रहा है। वहां न गुणात्मक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और न ही रोजगार के अवसर। कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय तक अविकसित भारत के साढ़े छह लाख गांव विकसित इंडिया के उपनिवेश ही बने रहे। आजाद भारत में केंद्र और राज्यों की सरकारों ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए। परंतु विकास की गति वैसी नहीं रही कि गांव भी शहरों के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ सकें।

बेशक भारत के बंद पड़े पारंपरिक कुटीर एवं घरेलू उद्योगों को बढ़ाने के चीन की तरह भारत में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया। रोजगार के अवसर नहीं होने से कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया। रोजगार के लिए शिक्षित युवाओं, कुशल एवं अकुशल–कामगारों का शहर की ओर पलायन निरंतर जारी है। 90 के दशक में प्रारंभ नई आर्थिक नीति, उदारीकरण और वैश्वीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति पर कुछ अच्छे और बुरे प्रभावों को भली–भांति देखा जा सकता है।

भूमि सुधार और कृषि के आधुनिकीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि तो हुई है पर कृषि कार्य में बढ़ती लागत की तुलना में किसानों की आय में समुचित वृद्धि नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय में दुगुनी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की संख्या और एमएसपी की दर में डेढ़ से दो गुनी तक की वृद्धि की गई है। परंतु कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के मामले में किसान अब भी बेचारा है। पिछले दिनों कृषि बिल लाकर सरकार ने किसानों की आय वृद्धि करने की बात कही, जिसका दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ। किसान संगठनों में भी फूट दिखाई दी और राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन को उग्र बनाने तथा इसे सरकार विरोधी हथियार के रूप में प्रयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आंदोलन की उग्रता को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और तीनों बिल वापस ले लिए गए और किसान पहले की तरह बिचौलियों के चंगुल में फंसे रह गए।

आजादी के बाद सरकारी नीतियों और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं बनी और कार्यान्वित की गई। लचर प्रशासनिक व्यवस्था और ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। 'महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई पर सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसमें जो लूट हुई, वह भी चर्चा का विषय है। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया, स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया। ये सभी नारे चुनाव के वक्त राजनीतिक दल दुहराते रहे। इस पर सेमिनारों, सभा गोष्ठियों, विधान सभाओं और संसद में डिबेट होते रहे पर परिणाम के नाम पर वही ढाक के तीन पात।

समावेशी विकास के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। स्वावलंबन की इस यात्रा में चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जैसी चुनौतियां अभी शेष हैं। समग्र विकास के विशेषज्ञ श्री विकास सिंह के अनुसार पूर्ण स्वावलंबन के लिए कई क्षेत्रों में पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होगी। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। हम अभी इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। हाशिए पर जी रहे लोगों के लिए आर्थिक स्तर पर सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना और बहुसंख्यक आबादी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करना मात्र नीतिगत नहीं बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता का मामला है। ऐसा समावेशी आर्थिक माडल बनाना होगा, जहां विकास को समता, समावेश और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए मजबूत नीतियां बनाना भी आवश्यक है। रोजगार की दृष्टि से यह सेक्टर महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश से भी देश की प्रतिभाओं का पूर्ण लाभ लेना संभव हो पाएगा। जीएसटी की दरों को. तर्कसंगत करना भी विकास को गति देने में भूमिका निभा सकता है।सुधारों की अगली कड़ी कृषि क्षेत्र पर केंद्रित होनी चाहिए। किसानों के लिए सुधार की आवश्यकता है। साथ ही इसमें ग्रामीण विकास भी समाहित होना चाहिए। इसी के साथ भारत को शहरी गरीबों के बारे में भी सोचना होगा। आमतौर पर इस वर्ग की अनदेखी कर दी जाती है। भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में विकास एवं सामाजिक समरसता के बीच साम्य की आवश्यकता है। इतिहास ऐसे विकास के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें समावेश हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिभाग हो।

गरीबी एवं अशिक्षा के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई है एवं इसके आगे विकास बौना साबित हो रहे हैं। भूख, कुपोषण, असमानता, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद, वंशवाद, साम्प्रदायिकता की समस्या से देश अभी भी पूर्णतः उबर नहीं पाया है। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा के विभेदों को पाटना अभी बाकी है। महिलाओं के लिए तमाम कानून एवं योजनाएं बनीं, लेकिन वे आज भी पहले की तरह ही असुरक्षित हैं।

प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की भी दरकार है, ताकि परिपक्व होते और आर्थिक रूप से विकसित होते भारत की चुनौतियों से निपटा जा सके। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इस बाबत कई बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं। निस्संदेह, कई काम करने बाकी हैं, इसलिए विकसित भारत के लिए हम पीछे के बजाय आगे की तरफ नजर रखकर चलें। वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव सचान ने ठीक ही लिखा है कि यह अच्छा है कि औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदले जाने वाले प्रस्तावित तीन विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूपों पर गृह मामलों की संसदीय समिति ने विचार–विमर्श शुरू कर दिया है। वैसे तो इन विधेयकों पर पहले भी विचार हो चुका है, लेकिन यह भी आवश्यक था कि इन पर विभिन्न दलों के सांसद भी चिंतन–मनन करें ताकि आम सहमति कायम हो सके और वे आसानी से पारित होकर कानून बन सकें। आशा की जाती है कि संबंधित संसदीय समिति में शामिल सांसद दलगत हितों से ऊपर उठकर इन विधेयकों पर विचार करेंगे। यह सही है कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों में समय–समय पर संशोधन हुए, लेकिन वे अभी भी औपनिवेशिक छाप लिए हुए हैं। इन कानूनों का जोर दंड देने पर अधिक था और न्याय देने पर कम। ये कानून लैंगिक समानता के अनुरूप भी नहीं हैं। कई मामलों में यह देखने में आया है कि यदि कोई अपराध पुरुष करे तो वह दंड का भागीदार होता है, लेकिन वही अपराध महिला करे तो नहीं। प्रस्तावित आपराधिक कानूनों का एक उद्देश्य लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना भी है, लेकिन जब तक न्यायालयों की कार्यप्रणाली नहीं बदलती तब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन है।

निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय मुकदमों के बोझ से दबे हैं। निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों के साथ उच्चतम न्यायालय में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। कोई भी न्यायालय समय पर न्याय नहीं दे पा रहा है। निःसंदेह इसका एक कारण न्यायाधीशों की कमी है, लेकिन यदि तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ भी जाती है तो भी बात बनने वाली

नहीं। स्पष्ट है कि समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायिक तंत्र में भी सुधार अनिवार्य हो चुके हैं। यह विचित्र है कि हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में सुधारों पर केवल चर्चा करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। अदालतों में लंबित करोड़ों मामले केवल लोगों को हताश निराश ही नहीं करते, वे देश की प्रगति में बाधक भी बनते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के संसाधन और समय अदालतों के चक्कर लगाने में जाया होता है। इसके अलावा समय पर न्याय न मिलने से विकास के कई काम अटके पड़े रहते हैं। साफ है कि सरकार को न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार के लिए सक्रिय होना ही होगा। उसे ऐसी ही सक्रियता पुलिस एवं प्रशासनिक सुधारों के मामले में भी दिखानी होगी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था। पता नहीं उसकी रपट किस ठंडे बस्ते में है? अपेक्षित प्रशासनिक सुधार न होने के दुष्परिणाम केवल जनता को ही नहीं, बल्कि सरकारों को भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि व्यापक प्रशासनिक सुधारों से क्यों बचा जा रहा है? यह प्रशासनिक सुधार न होने का ही परिणाम है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहा है। यदि कानून के शासन को जब–तब चुनौती दी जाती रहती है तो इसका एक बड़ा कारण न्यायिक तंत्र के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था में जरूरी सुधार न हो पाना है।

यदि देश को अमृतकाल में तेजी से प्रगति करनी है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो न्यायिक, पुलिस एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आवश्यक सुधारों का इंतजार खत्म होना ही चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों के कामकाज को न केवल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, बल्कि उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। सूचना अधिकार ने एक सीमा तक यह काम किया है। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग–सचेत होना होगा। देश की व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं, उनके लिए कहीं न कहीं आम नागरिकों का रवैया भी दोषी है। आम नागरिकों में नियम–कानूनों की अनदेखी की जो प्रवृत्ति नजर आती है, उसके पीछे अपनी जिम्मेदारी न समझने का भाव ही है। प्रायः यह भाव अनुशासनहीनता के रूप में नजर आता है।

वैज्ञानिक और नीति–निर्माता कहते हैं कि हमारी धरती संकट में है। लगभग दो शताब्दियों तक प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन के बाद पृथ्वी खाली सी होने लगी है। इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। भारत के कई हिस्सों में प्रकृति के प्रकोप को बार–बार देखा गया है। इस वर्ष उत्तर के कुछ राज्यों में बाढ़ से हुई तबाही का स्तर अभूतपूर्व था। इन समस्याओं के वैज्ञानिक व तकनीकी समाधान के लिए आधुनिक युग के सबसे बुद्धिमान लोग दिन–रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं तथा विश्व–समुदाय के नेतागण सर्वोत्तम नीतिगत समाधानों के लिए प्रयासरत हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया है। फिर भी, चुनौती की व्यापकता को देखते हुए, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर हरसंभव प्रयास करना चाहिए। जैसे, एक पत्ता भी तोड़ने से पहले पेड़ से क्षमा मांगें और प्रकृति का संरक्षण करें।

बेशक स्वच्छ हवा, साफ पानी न सिर्फ हमारी बुनियादी जरूरतें हैं बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी तत्व हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम साफ–सफाई की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाएं। साफ–सफाई को अपने जीवन में रचा–बसा लें। स्वच्छता और सफाई का मतलब सिर्फ अपने घर या कमरे को साफ रखने तक सीमित नहीं है। सड़कें, पार्क, पर्यटन स्थलों या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न करना व सफाई में योगदान देना भी हमारा कर्तव्य है। आज भी देश में प्रदूषित जल से लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के तंत्र पर बोझ बढ़ता है और देश को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। प्रदूषित हवा हमारे फेफड़ों और दिल की बीमार कर रही है। आइए हम सब संकल्प लें कि साफ–सफाई की संस्कृति अपना कर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को मजबूत करेंगे। ऐसे में ये पड़ताल अहम मुद्दा है कि स्वच्छता और साफ–सफाई निजी रूप के इतर हमारे समाज और राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। अस्वच्छता बहुत से शारीरिक, मानसिक कष्ट लाती है। पूरे वातावरण में कई तरह के दोष पैदा कर देती है। किंतु कुछ वर्षों पूर्व तक भारत में साफ–सफाई विकास के साथ सही कदमताल नहीं मिला पाई। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का नारा इसलिए ज्यादा समीचीन है क्योंकि नया भारत अब दुनिया में एक बड़ा कद रखता है। इसकी बढ़ती आर्थिक ताकत और क्षमताएं इसे दुनिया में आगे ले जा चुकी हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अस्वच्छता या गंदगी शायद एक कलंक के रूप में देश के माथे पर दिखाई देगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की बात इस तरह से की है कि ये बात आम जनमानस के मन में बैठ जाए और इसे वे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें।

आज अगर हमारे परिवेश में गंदगी है तो इसके दोषी हम स्वयं हैं क्योंकि किसी भी देश में गंदगी या अस्वच्छता ये बताती है कि एक नागरिक के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ सरकारी मशीनरी किसी देश में साफ–सफाई सुनिश्चित नहीं कर सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया है। हम अपने घर–गांव से गंदगी को कहीं दूर भी कर दें तो वो लौटकर बीमारियों के रूप में हमारे बीच में आनी ही आनी हैं। यह समझ आज हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए गंदगी पनपे ही ना ऐसी कोशिश होनी चाहिए। स्वच्छता उस शक्ति का भी परिचायक होती है, जिससे एक समाज के चरित्र का निर्माण होता है। ये शक्ति देश, गांव के स्थिर विकास की सबसे बड़ी परिचायक भी होगी। अगर देश को 140 करोड़ देशवासियों को बेहतर जीवन देना है तो क्या शहर और क्या गांव, क्या बच्चा और क्या वृद्ध, सबको सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए आगे आना होगा। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने देश को कूड़े का ढेर बनने से बचाना है। प्रधानमंत्री की स्वच्छ पहल को जमीन पर करोड़ों देशवासी ही उतार सकते हैं।

हमारे देश में हर साल जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 62 मिलियन टन कूड़े के ढेर के बीच पैदा होता है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस गंदगी व कूड़े से कहीं भी असहज नहीं होता क्योंकि उसकी समझ उसी माहौल के हिसाब से बनती है जिसमें वह पैदा हुआ है। दुनिया में इस तरह की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि तमाम तरह की गंदगी और साथ में जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव मिल कर महामारियों को जन्म दे रहे हैं। अभी हम कोविड 19 के दुष्प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसे में अगर हमने आज संकल्पों के साथ देश को गंदगी से मुक्त करने का काम नहीं किया तो नई महामारी हमें घेर लेगी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। इससे देश की छवि स्वस्थ भारत, सक्षम भारत और विकसित भारत वाली बनेगी।

कहानी (व्यंग्य)

अपनी – अपनी बीमारी

हरिशंकर परसाई*

हम उनके पास चंदा माँगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है। वे हमें भाँप गए। हम भी उन्हें भाँप गए। चंदा माँगने वाले और देने वाले एक–दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी माँगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएँगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले–आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। सोचा, यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियाँ बहुत देखी हैं–निमोनिया, कॉलेरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं। मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे! वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है ? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा ?

अजीब रोग है यह। चिकित्सा–विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए–यह आदमी टैक्स से मर रहा है। इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा–इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भुखमरी से।

टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है–हाय, हम टैक्स से मर रहे हैं। और जिसे न लगे वह कहता है–हाय, हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं कि जिनकी महत्त्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई। सोचा, कहें कि प्रापर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए। पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए, उसे प्यारी हो जाती है।

मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ। उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक–समाचार यों छपता–बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे! मगर अपने भाग्य में यह कहाँ? अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है।

उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ, दुख भी कैसे–कैसे होते हैं। अपना–अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि प्रापर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रु. चंदा न मिलने के दुख में मरे जा रहे थे।

मेरे पास एक आदमी आता था, जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। कई पतिव्रताएँ दूसरी औरतों के कुलटापन की बीमारी से परेशान रहती हैं। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गाँधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटो बैठता और बताता कि वहाँ कैसी बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था। किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा – भैया, युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं। फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों ? गाँधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते–मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया, उसके कष्ट को। गाँधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता। मगर गाँधी जी ने उसकी जिंदगी बरबाद की थी। गाँधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बरबाद कर गए। बड़े–बड़े दुख हैं ! मैं बैठा हूँ। मेरे साथ 2–3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रु. का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं।

तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके हैं। 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है। वह बहुत–बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता। मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रु. का खटका लगा है।

दूसरे बंधु पुस्तक–विक्रेता हैं। पिछले साल 50 हजार की किताबें पुस्तकालयों को बेची थीं। इस साल 40 हजार की बिकीं। कहते हैं – बड़ी मुश्किल है। सिर्फ 40 हजार की किताबें इस साल बिकीं। ऐसे में कैसे चलेगा? वे चाहते हैं, मैं दुखी हो जाऊँ, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थीं। वे बिक गईं। मगर जब मैं पैसे माँगता हूँ, तो वे ऐसे हँसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की। वह अपने पैसे माँगे, तो उसे भी व्यंग्य–विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता।

मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी हैं। मैं फिर दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सबके दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ। कहता हूँ – क्या ट्रेजडी है मनुष्य–जीवन की कि मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है। और कैसी निर्दय यह दुनिया है कि सिर्फ 40 हजार की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही है।

वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुःखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह–तरह के संघर्ष में तरह–तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन–स्तर न कर पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे ?

मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दें और मैं उससे मर जाऊँ। मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, न बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा।

* *प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार*

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान

भारत का संविधान: भाग 5 (अनुच्छेद 120), भाग 6 (अनुच्छेद 210) एवं भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351)

भाग 5 (अनुच्छेद 120): इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

भाग 6 (अनुच्छेद 210): इसमें विधान मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

भाग 17: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 (1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343 (2): संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष तक की अवधि तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 343 (3): इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा –

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 350: 0;Fkk ds fuokj.k ds fy, vH;konu esa ç;ksx dh tkus okyh Hkk"kk प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

राजभाषा अधिनियम, 1963: संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 10.05.1963 को राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह–राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज (कुल 14) हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे: संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा पत्र (परमिट), निविदा सूचनाएँ, निविदा फॉर्म।

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

नियम 2: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

(अ) क्षेत्र क में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, और झारखंड राज्य तथा दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(ब) क्षेत्र ख में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(स) क्षेत्र ग में, खंड अ एवं ब में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं।

नियम 5: हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में दिए जाएंगे।

नियम 7: कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

नियम 8 (1): कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी लिख सकता है।

नियम 8 (4): अधिसूचित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 10 (4): केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

राजभाषा नीति संबंधी मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के लिए निम्नलिखित कुल छह समितियाँ गठित की गई हैं:

(1) केंद्रीय हिन्दी समिति, अध्यक्ष – माननीय प्रधानमंत्री जी

(2) संसदीय राजभाषा समिति, अध्यक्ष – माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी

(3) मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियाँ, अध्यक्ष – संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री महोदय

(4) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अध्यक्ष – सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(5) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अध्यक्ष – विभाग में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव स्तर या उच्चतर स्तर के अधिकारी

(6) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अध्यक्ष – नगर में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठतम अधिकारी।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in